रजिस्ट्री सं० डी-(73

REGISTERED No. D-(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1980 (कार्तिक 17, 1902)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 1980 (KARTIKA 17, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

सं० ए० 19014/11/80-प्रशा० I—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की भूतपूर्व रीडर डा० (श्रीमती) शारदाम्बा राव को 26-9-1980 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग (स्टाफ) विनियमावली, 1958 के विनियम 4 के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप-सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस० बालचन्द्रन,
उप सचिव,
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 सितम्बर 1980

सं० 32013/3/80-प्रशा० I (i)—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	2	3
	सर्वश्री	
1	डी० पी० राय अनुभाग अधिकारी	10-5-80 से 30-6-80 तक तथा 2-7-80 से 1-10-80 तक।

1	2	3
2.	टी० एम० कोकल निजी सचिव	27-3-80 से 26-6-80 तक तथा 28-6-80 से 31-7-80 तक।
3.	एस० एस० छाबड़ा, अनुभाग अधिकारी	2-7-80 से 31-7-80 तक

सं० 32013/3/80प्रशा० I (ii)—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	एस० पी० जैन, निजी सचिव	28-5-80 से 31-7-80 तक
2.	ए० गोपालकृष्णन निजी सचिव (स्थानापन्न डेस्क अधिकारी)	28-5-80 से 31-7-80 तक
3.	जी० पी० सक्सेना अनुभाग अधिकारी [स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (विशेष)]	28-5-80 से 25-7-80 तक
4.	जे० एल० महन्ती [स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (विशेष)]	28-5-80 से 7-7-80 तक
5	आर० एन० शर्मा अनुभाग अधिकारी	1-6-80 से 3-7-80 तक

एस० बालचन्द्रन,
उप-सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० पी० सात०-2/79-स्थापना—श्री ज्ञान चन्द्र शर्मा और श्री वी० एस० यादव, कार्यालय अधीक्षक को महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियमित रूप में दिनांक 8-7-80 और 8-9-80 (पूर्वाह्न) से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाते हैं।

दिनांक, 15 अक्तूबर 1980

सं० ओ० दो०-1482/80—स्थापना—राष्ट्रपति निम्न लिखित को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमाण्डर) के पद पर डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाए जाने की शर्त पर उनके सामने दिखाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं :—

1	डा० (श्रीमती) स्नेह गुप्ता	30-8-80 (पूर्वाह्न)
2	डा० श्री कान्त स्वामी	8-9-80 (पूर्वाह्न)

ए० के० सूरी,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

सं० ई-16014/(6)/1/79—कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर श्री एच० एस० रंधावा ने 11 जुलाई, 1980 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, आई० ओ० सी० गुजरात रिफाइनरी, बड़ौदा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई-38013(3)/8/80-कार्मिक—जादुगोड़ा से स्थानान्तरण होने पर श्री ओ० पी० शर्मा ने श्री एस० सी० लाल के स्थान पर तारीख 20 सितम्बर, 1980 के पूर्वाह्न से एन० एफ० एल० पानीपत की के० औ० सु० ब० यूनिट के सहायक कमान्डेन्ट का पद का कार्यभार सम्भाल लिया। श्री एस० सी० लाल ने नई दिल्ली को स्थानान्तरण होने पर उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—कोचीन को स्थानान्तरण होने पर श्री के० एल० लुके ने 2 जुलाई, 1980 के अपराह्न से वी० पी० टी० विशाखापटनम की के० औ० सु० ब० यूनिट के सहायक कमांडेन्ट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

2. यह तारीख 7-9-80 के समसंख्यक के तहत जारी की गई अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

दिनांक, 14 अक्तूबर 1980

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—पानीपत से स्थानान्तरित होने पर श्री एस० सी० लाल ने 1 अक्तूबर, 1980 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली के सहायक कमांडेन्ट (आसूचना) के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/9/80-कार्मिक—तलचर को स्थानान्तरण होने पर, श्री एम० ए० जब्बार ने तारीख 11 सितम्बर 1980 के अपराह्न में एच० ई० सी० रांची की के० औ० सु० ब० यूनिट के सहायक कमाडेन्ट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-38013(3)/9/80-कार्मिक—रांची से स्थानान्तरित होने पर श्री एम० ए० जब्बार ने श्री टी० के० बनर्जी के स्थान पर 22 सितम्बर 1980 के पूर्वाह्न में के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० तल्चर के सहायक कमाडेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया और श्री बनर्जी ने, विशाखापटनम को स्थानान्तरित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

सं० ई-38013(3)/9/80-कार्मिक—पटना से स्थानान्तरित होने पर श्री पी० पी० सहजपाल ने 23 सितम्बर, 1980 के पूर्वाह्न में के० औ० सु० ब० यूनिट ए० एस० पी० दुर्गापुर के सहायक कमाडेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई-38013(3)/9/80—कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानान्तरित होने पर श्री एस० एन० सिंह ने श्री ओ० पी० शर्मा सहायक कमाडेंट के स्थान पर 8 सितम्बर 1980 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, यू० सी० आई० एल० जादुगोडा के सहायक कमाडेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया और श्री शर्मा ने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

सं० ई-38013(2)/1/80-कार्मिक—राउरकेला से स्थानान्तरण होने पर श्री वी० कृष्णप्पा ने 19 सितम्बर 1980 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट वी० पी० टी० विशाखापटनम के कमाडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया।

महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० 7/10/79-प्रशा०-I—इस कार्यालय की तारीख 14 दिसम्बर, 1979 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए और विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को, स्थाई रूप से तारीख 3 दिसम्बर 1977 से सहायक निदेशक (आंकड़े संसाधन) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
1	श्री एस० एन० चतुर्वेदी
2	श्री हिमाकर
3	श्री एच० आर० गलियानी

सं० 11/37/80-प्रशा०-I—राष्ट्रपति पंजाब, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशालय में, अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री जी० एस० गिल को उसी कार्यालय में तारीख 25 सितम्बर, 1980 के अपराह्न से, 1 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री गिल का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री गिल को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ तौर पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी। उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी० पद्मनाभ,
भारत के महापंजीकार

श्रम मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 8 नवम्बर 1980

सं० 23/3/80 सी० पी० आई०—सितम्बर, 1980 में **औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक** (आधार वर्ष 1960=100) अगस्त, 1980 **के स्तर** से पांच अंक बढ़ कर 402 (चार सौ दो) **रहा है।** सितम्बर 1980 माह का **सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 पर** परिवर्तित किए जाने पर 489 (चार सौ उन्नानवे) **आता है।**

आनन्द स्वरूप भारद्वाज,
संयुक्त निदेशक

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 11 अक्तूबर 1980

सं० 1378/ए०—दिनांक 4-10-1980 के क्रम में सर्वश्री ए० एस० पाटकर और जी० नारायणसामी की उपनियंत्रण अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति दिनांक 9-10-1980 के पूर्वाह्न से भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में नियमित मानी जाएगी।

सं० 1379/ए०—श्री जी० टी० चौरे निम्नांकित अधिकारी को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद) उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर सुधारित वेतन श्रेणी रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-

40-1000-ई० बी०-40-1200 में नियमित रूप में दिनांक 9-10-80 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

पी० एस० शिवराम,
महा प्रबंधक,
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 12 अक्तूबर 1980

सं० बी० एन० पी०/सी०/43/80—मुख्य लेखा नियंत्रक सी० बी० ई० सी० नई दिल्ली के कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री के० एस० सक्सेना को दिनांक 28-9-80 (पूर्वाह्न) से 22-9-81 तक बैंक नोट मुद्रणालय, देवास म० प्र० में प्रशासन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है।

ए० बी० चार,
उप महाप्रबंधक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

महालेखाकार महाराष्ट्र-I का कार्यालय

बम्बई-400020, दिनांक 3 अक्तूबर 1980

सं० प्रशा०-एक/सामान्य/आयेडी/31-खण्ड-III/सी/(1)/3510—महालेखाकार, महाराष्ट्र-I अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य श्री एस० एन० पोट्टी को दिनांक 30 मई 1980 पूर्वाह्न से अपने कार्यालय में आगे आदेश होने तक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक एडमन० I/जनरल/31-वो०-III/सी० 1 (आई)/3, दिनांक 27-6-80 रद्दोत्तरल किया गया है।

एस० आर० मुखर्जी
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्तूबर 1980

सं० 426/ए०-प्रशासन/130/79-80—निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थायी श्री सी० एन० नारायण को संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं पटना के कार्यालय में दिनांक 22-9-1980 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में अगले आदेश पर्यन्त तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० बी० दास भौमिक,
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा,
रक्षा सेवाएं

रक्षा मंत्रालय

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता, दिनांक 30 सितम्बर 1980

सं० 65/जी०/80—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न महाप्रबन्धक (सैलेक्शन ग्रेड)/स्तर-I डी० जी० ओ० एफ०-स्तर-I के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं।

1. श्री पी० एस० गौरीशंकरन, स्थानापन्न—महाप्रबन्धक (सैलेक्शन ग्रेड)/स्तर-II	30 अगस्त, 1980
2. श्री जी० एन० रामकिशन, स्थानापन्न—महाप्रबन्धक (सैलेक्शन ग्रेड)/स्तर-II	30 अगस्त, 1980
3. श्री जे० सी० सरवाहा, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (सैलेक्शन) ग्रेड/स्तर-II	30 अगस्त, 1980 (निकटतम परवर्ती विभाग, के अन्तर्गत)
4. श्री आर० के० चेल्लम, स्थानापन्न डी० डी० जी० ओ० एफ/स्तर II	30 अगस्त, 1980
5. श्री बी० बी० कर्मकार, स्थानापन्न डी० डी० जी० ओ० एफ०/स्तर II	30 अगस्त, 1980
6. श्री के० नारायण, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (सैलेक्शन ग्रेड)/स्तर-II	30 अगस्त, 1980

सं० 66/जी०/80—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न उप-प्रबन्धक/डी० ए० डी० जी० ओ० एफ० के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं:—

1. श्री पी० एस० सेन, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
2. श्री बी० एन० शर्मा, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
3. श्री सुकुमार घोष, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
4. श्री एस० के० बनर्जी, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
5. श्री वा० एस० चन्द्रमौलि, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980

6. श्री आर० नागुदेवन, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
7. श्री पी० एन० सुब्रामनियम, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
8. श्री ए० आर० दास, स्थानापन्न तदर्थ स्टाफ अफसर	दिनांक 14 अगस्त, 1980
9. श्री टी० ए० वी० आर नीम-विस्सन, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980
10. श्री आर० एन० उपाध्या, स्थानापन्न तदर्थ स्टाफ अफसर	दिनांक 14 अगस्त, 1980
11. श्री एस० के० पाल, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक	दिनांक 14 अगस्त, 1980

सं० 67/जी०/80—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक/टी० एस० ओ० के पद पर, उनके सामने दर्शाई गई तारीख से, आगामी आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं :—

1. श्री बी० एम० गोगाय, स्थायी फोरमैन	दिनांक पहली मई, 1980
2. श्री सी० एल० धर, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
3. श्री ए० के० समद्दर, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
4. श्री एस० एन० राय, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
5. श्री के० घोष, स्थायी फोरमैन	दिनांक पहली मई, 1980
6. श्री एम० एन० मूर्ति, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
7. श्री टी० सी० सेनगुप्ता, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
8. श्री वी० वैद्यानाथन, स्थायी फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
9. श्री ई० एस० नालकांटन, स्थायी फोरमैन	दिनांक पहली मई, 1980
10. श्री ओ० डी० मिश्रा, स्थानापन्न फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
11. श्री ए० वी० विश्वनाथन, स्थानापन्न फोरमैन,	दिनांक पहली मई, 1980
12. श्री एन० सी० सरकार, स्थानापन्न फोरमैन	दिनांक 31 मई, 1980
13. श्री एन० सी० घोष, स्थानापन्न फोरमैन	दिनांक 2री मई, 1980

शुद्धिपत्र

दिनांक 30 सितम्बर 1980

सं० 68/जी०/80—इस कार्यालय के दिनांक 7/11-2-80 के 381/ए०/जी० संख्यक पत्र के अंतर्गत प्रकाशित दिनांक 7-2-80 का 3/जी०/80 संख्यक गजट अधिसूचना के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों पाठों में क्रम संख्या 3 के सामने की प्रविष्टियों के बदले में नीचे लिखे रूप में रखिए :—

1. श्री एस० आर० अग्रवाल, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) — दिनांक 23 अक्तूबर, 1979 (निकटतम परवर्ती नियम के अंतर्गत)

दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० 69/80/जी०—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसरों को सहायक प्रबन्धक (परखावधि) के पद पर, उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

	दिनांक
1. श्री के० सेतुराम	21-12-1979
2. श्री पी० एस० अम्बिकापति	23-06-1980
3. श्री महेश चन्द्र	7-08-1980
4. श्री डी० के० श्रीवास्तवा	5-12-1979
5. श्री टी० वी० राव	19-06-1980
6. श्री अपूर्व गुहा	9-06-1980

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

प्रोन्नति

सं० 24/80/ए०/ई/-1 (एन० जी०)—महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां महोदय, श्री दिलीप कुमार मित्र, स्थायी सहायक को सहायक स्टाफ अफसर के पद पर, तदर्थ आधार पर, डी० पी० सी० की सम्पूर्ण रिक्तियों के प्रति दिनांक 20-8-80 से, आगामी आदेश न होने तक, प्रोन्नत करते हैं।

श्री मित्र ने सहायक स्टाफ अफसर के पद का उच्चतर कार्यभार दिनांक 17-9-80 (पूर्वाह्न) से ग्रहण किया।

दिनांक 14 अक्तूबर 1980

शुद्धिपत्र

सं० 23/80/ए०/ई०-1 (एन० जी०)—अधीक्षकों का तदर्थ आधार पर सहायक स्टाफ अफसरों (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर नियुक्ति के बारे में कार्योपरान्त स्वीकृति संबंधी इस कार्यालय का दिनांक 16-5-80 को 9/80/ए०/ई-1

(एन० जा०)/80 संख्यक गजट अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है —

क्रमांक 64—श्री निर्मल चन्द्र दास के सामने कालम 'सी' के नीचे

वास्ते 15-12-69

पढ़ा जाए 17-12-69

डी० पी० चक्रवर्ती,
ए० डी० जी० ओ० एफ०/प्रशासन
कृते महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरियां

वाणिज्य एवं नागर पूर्ति मंत्रालय
(वस्त्र विभाग)

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 10 अक्तूबर, 1980

सं० 13(1)/77/सी० एल० बी०-II—वस्त्र (शक्ति-चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1956 के खंड-II में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० 15(2) 67-सी० एल० बी० II/बी दिनांक 13 जनवरी 1972 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम संख्या 22(2) के सामने स्तंभ 2, 3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"22(2) निदेशक, रेशम उत्पादन एवं बुनाई, शिलांग — असम — 6, 6बी, 6 सी० 7 ए० 8, 8 ए० (महकारी क्षेत्र के बाहर)"

सं० सी० एल० बी० 1/1/6-जी/80—सूत वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी०/1/1/6-जी०/71 दिनांक 13 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में क्रम सं० 22 के सामने स्तंभ 2, 3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"22(2) निदेशक, रेशम उत्पादन एवं बुनाई, शिलांग — असम — 12(6), 12(6 ए) 12(7 ए), 12(7 एए), 12 सी और 12 ई (सहकारी क्षेत्र के बाहर)

(3) सचिव, रेशम उत्पादन एवं बुनाई विभाग — असम — 12(7 ए) और 12(7 एए) ,,

एम० मदुरै नायगम,
अपर वस्त्र आयुक्त

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन अनुभाग-1)
नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

सं० प्र-1/42(42)—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीखों से स्थाई पदों पर स्थाई रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थानापन्न पद	पद जिस पर स्थायी हुए	निदेशक के रूप में स्थायी होने की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	बी० एल० शर्मा . .	निदेशक (भा० पू० सेवा की श्रेणी I ग्रुप ए ग्रेड I) पू० तथा नि० म० नि० न० दि०	निदेशक (भा० पू० से० श्रेणी-I ग्रुप ए के ग्रेड I)	15-3-78	श्री एस० सी० अग्रवाल स्थायी निदेशक के स्थान पर जो 1-12-75 से उप महानिदेशक के रूप में स्थायी हुए
2.	के० के० नाग . . .	—वही— पू० तथा नि० निदेशक कलकत्ता	—वही—	15-3-78	श्री पी० के० चटर्जी स्थायी निदेशक के स्थान पर जो 31-12-76 (अप०) में सेवा निवृत्त हुए।

1	2	3	4	5	6
3	ए० एम० एन० मूर्ति	—वही— पू० तथा नि०म०नि० नई दिल्ली	—वही—	15-3-78	श्री पी० सी० माथुर स्थायी निदेशक के स्थान पर जो 28-2-78 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।
4	एस० सिंह	निदेशक (सेवा निवृत्त) (भा० पू० सेवा० की श्रेणी I ग्रुप ए ग्रेड I) पू० तथा नि० म० नि० नई दिल्ली।	निदेशक (भा० पू० स० श्रेणी के ग्रुप ए के ग्रेड मे)	1-10-78 31-1-80 (सेवा निवृत्त)	श्री बी० आर० आर० आयंगर स्थायी निदेशक के स्थान पर जो उप महानिदेशक के रूप मे स्थायी हुए।
5	बी० नागराज	—वही—	—वही—	1-11-78	श्री पी० पी० कपूर, स्थायी निदेशक के स्थान पर जो 31-9-78 से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।
6.	आर० एन० दास	—वही—	—वही—	27-3-80	श्री जे० सी० भंडारी स्थायी निदेशक के स्थान पर जो उप-महानिदेशक के रूप मे स्थायी हुए।

दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० प्र०-1/1(1163)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, महोदय ने श्री जी० एस० चतुर्वेदी को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली मे दिनांक 1-10-80 के अपराह्न से उप निदेशक (बिक्री कर) के रूप मे नियुक्त कर दिया है।

श्री चतुर्वेदी की नियुक्ति अस्थाई है और वह 1-10-80 (अपराह्न) से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

कृष्ण किशोर
उपनिदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक अक्तूबर 1980

सं० 8148-बी/ए/19012 (3-डी एस आर)/80-19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्री डी० एस० राव को सहायक रसायनज्ञ के रूप मे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मे वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान मे, अस्थाई क्षमता मे, आगामी आदेश होने तक 15-7-1980 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

सं० 6341-एन/ए-19012(3-वाई० एस० एस०)/80-19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) श्री वाई० एस० शास्त्री को सहायक रसायनज्ञ के रूप मे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मे वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान मे अस्थाई क्षमता मे, आगामी आदेश होने तक 14-7-1980 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

वी० एस० कृष्णस्वामी
महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० ए-19011(39)/79-स्था० ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, श्री जी० एम० कुमार, उप

खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 19-9-80 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक उसी विभाग में स्थानापन्न क्षेत्रीय खान नियंत्रक के रूप में सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

सं० ए-19012(131)/80-स्था० ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री डी० जे० तहलरमानी, स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अ० प्र०) को दिनांक 30-8-80 के पूर्वाह्न से भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप से सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

सं० ए-19012(132)/80-स्था० ए—श्री पी० डी० गंगाने, स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) की पदोन्नति भारतीय खान ब्यूरो में सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30-8-80 के पूर्वाह्न से 3 महीने के लिए की गई है।

एस० वी० अली
कार्यालय, अध्यक्ष,
भारतीय खान ब्यूरो

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० 4(38) 80-एस-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० मनोबी सिंह को आकाशवाणी इम्फाल में 23-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4(80) 80-एस-I—महानिदेशक आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री रवि रंजन मिश्र को आकाशवाणी जैपुर (उडीसा) में 28-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4(89) 80-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री सैला थंगा सैलो को आकाशवाणी ऐजल में 29-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (95) 80-एस-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री प्रद्युम्न सिंह को आकाशवाणी जम्मू में 10-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (81) 80-एस-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बी० एस० सवाई को आकाशवाणी औरंगाबाद में 28-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

नई दिल्ली दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० 4 (19) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा कु० प्रमिला राव को आकाशवाणी जयपुर में 28-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (20) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री शशांक सिंह आदर्श को आकाशवाणी जगदलपुर में 27-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (25) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० वी० कपिल को आकाशवाणी चण्डीगढ़ में 17-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (36) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री प्रेम चन्द पाहवा को आकाशवाणी शिमला में 8-9-80 से अगले आदेश तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (56) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बी० एस० चौहान को आकाशवाणी अहमदाबाद में 8-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (57) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री यू० पी० परमार को आकाशवाणी अहमदाबाद में 30-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (79) 80-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री वी० एस० शिवनंदा को आकाशवाणी मंगलौर में 27-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (80) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री बी० एस० इंगले को आकाशवाणी जलगांव में 1-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 21 अक्तूबर 1980

सं० 4 (32) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एल० डी० मंडलोई को आकाशवाणी रायपुर में 30-8-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (60) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एस० महनाथन को आकाशवाणी मद्रास में 11-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 4 (85) 80-एस-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री एच० टी० आकाशवाणी को आकाशवाणी अहमदाबाद में 27-9-80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र जयाल
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० 3/39/64-एस-2—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री सी० आर० पाल, मुख्य लिपिक, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता को आकाशवाणी, कर्सियांग में 29-9-80 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० वी० सेषाद्री
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

(सिविल निर्माण स्कंध)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० ए०-12011/2/80-सी० डब्ल्यू०-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली निम्नलिखित व्यक्तियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सामने लिखे स्थान और तारीख से 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न क्षमता मे सहायक इंजीनियर/सहायक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल/विद्युत्त) के रूप मे नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	नाम और पदनाम	नियुक्ति स्थल	जिस तारीख से नियुक्त किए गए
	सर्वश्री		
1.	के० वेलुकुट्टी, सहायक इंजीनियर (सिविल)	जलगांव (बम्बई मंडल)	31-7-80 (पूर्वाह्न)
2.	वी० रामचन्द्रन, सहायक इंजीनियर (सिविल)	गोहाटी (गोहाटी मंडल)	13-9-80 (अपराह्न)
3	डी० पी० मंडल, सहायक इंजीनियर (सिविल)	अल्मोड़ा (लखनऊ मंडल)	29-8-80 (पूर्वाह्न)
4.	ए० के० चक्रवर्ती, सहायक निर्माण सर्वेक्षक (सिविल)	कलकत्ता (सर्कल कार्यालय)	30-7-80 (पूर्वाह्न)
5.	ए० के० खान, सहायक इंजीनियर (सिविल)	सिलीगुड़ी (कलकत्ता मंडल)	30-7-80 (पूर्वाह्न)
6.	ए० पी० दिवाकरन, सहायक इंजीनियर (सिविल)	श्रीनगर (दिल्ली मंडल)	23-8-80 (अपराह्न)
7.	के० पी० शंकरन, सहायक इंजीनियर (सिविल)	ऐजल (गोहाटी मंडल)	15-9-80 (पूर्वाह्न)
8.	एस० एन० भट्टाचार्य, सहायक इंजीनियर (विद्युत्त)	बम्बई उप-मंडल	3-9-80 (अपराह्न)
9.	एस० एन० मंडल, सहायक इंजीनियर (विद्युत्त)	कलकत्ता उप-मंडल	30-7-80 (पूर्वाह्न)
10	ए० जे० एस० उप्पल, सहायक इंजीनियर (विद्युत्त)	गोहाटी उप-मंडल	14-8-80 (अपराह्न)

उनकी नियुक्ति पहले से ही जारी किए आदेश संख्या ए० 32014/1/80-सी० डब्ल्यू-1 दिनांक 25-7-1980 में निहित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी।

एस० रामास्वामी,
अपर मुख्य इंजीनियर के इंजीनियरी अधिकारी
कृते महानिदेशक

दूरदर्शन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० ए०-12020/3/79-एस-2—लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को लेखाधिकारी के पद पर रु० 800-1200 के वेतनमान में उनके सामने दी गई तिथि से व उनके नामों के आगे उल्लिखित कार्यालयों में उन्हें दो वर्षों की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है:—

क्रम सं०	नाम	कार्यग्रहण की तारीख	कार्यालय
1.	श्री राम बाबू	14-7-80 (पूर्वाह्न)	दूरदर्शन विज्ञापन नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली।
2.	श्री ए० एल० मिगलॉनि	1-8-80 (पूर्वाह्न)	केन्द्र अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय क्रय एवं भंडार, दूरदर्शन, नई दिल्ली।

उपर्युक्त अधिकारियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं०-10 (24) ई-3/60, दिनांक 4 मई, 1961 के अनुसार किया जाएगा।

सी० एल० आर्य,
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय,

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० ए-38012/2/80-स्था०—वि० दृ० प्र० निदेशक, श्री स्वपन कुमार घोष को निदेशालय में 8 अक्तूबर, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर सहायक उत्पादन प्रबन्धक (मुद्रण प्रचार) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जनक राज लिखी
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० ए-12025/2/80(ए० आई० आई० एच० पी० एच०)/प्रशासन-1—राष्ट्रपति ने श्री अरुणमा मजूमदार को 19 सितम्बर, 1980 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में स्थाई इंजीनियरी (डिजाइन) के सहायक प्रोफेसर के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० ए०-32015/1/80-स्टोर-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री राम प्रसाद सोनी को 15 सितम्बर, 1980 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो करनाल में सहायक भण्डार प्रबन्धक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 21 अक्तूबर 1980

सं० ए०-32013/1/78-स्टोर-1—राष्ट्रपति ने श्री सोहन लाल को सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल में 5 सितम्बर 1980 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक डिपो मैनेजर के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया है।

शिवदयाल
उप निदेशक प्रशासन (स्टोर)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० ए-19027/2/80-प्र०-3—श्री धनेश्वर प्रसाद कनूनी हिन्दी अनुवादक को इस निदेशालय के अधीन फरीदाबाद में तारीख 26 सितम्बर, 1980 (पूर्वाह्न) से 28 फरवरी, 1981 तक पूर्णतया अल्पकालीन और तदर्थ आधार पर या जब तक

पद नियमित आधार पर भरा जाता है, दोनों में से जो भी पहले हो, स्थानापन्न हिन्दी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी० एल० मनीहार
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 4 अक्तूबर 1980

सं० पी० पी० ई० डी० /4(787)/79-प्रशा०—श्री एन० पी० पिल्लै, स्थायीवत् वैज्ञानिक सहायक 'बी' और स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड "एस० बी०" ने, अपना त्यागपत्र निदेशक, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाने पर, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में अपने पद का कार्यभार 26 सितम्बर, 1980 के अपराह्न में छोड़ दिया।

एस० जी० नायर
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना

बुलन्दशहर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० नपविप/प्रशा०-1/(177)/80-एस-/14066—नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता, विद्युत परियोजना अभियन्ता प्रभाग के स्थाई नकशा नवीस 'ब' तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी०, श्री एल० सी० चौधरी को, नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना में, दिनांक 5 जून 1980 के पूर्वाह्न से अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थानापन्न रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० डी० भाटिया
प्रशासन अधिकारी
कृते मुख्य परियोजना अभियन्ता

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 25 सितम्बर 1980

सं० डी० पी० एस०/2/1(5)/77-प्रशा०/16516—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने इस निदेशालय के भंडारी श्री एम० आर० वैद्य को 21 अप्रैल 1980 (पूर्वाह्न) से 7 जून, 1980 (अपराह्न) तक के लिए इसी निदेशालय में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति श्री एम० के० जान, सहायक भंडार अधिकारी के स्थान पर की गई है, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है।

सी० बी० गोपालकृष्णन
सहायक कार्मिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 16 अगस्त 1980

आदेश

सं० नाईस/का प्र 5/2606/0302/1674—1 जब कि श्री यूसुफ अली खान अनुरक्षण ईंधन संयंत्र में वैज्ञानिक सहायक 'अ' के पद पर कार्यरत थे, उनको दिनांक 2-4-1980 से 28-4-1980 पर्यन्त जिसके साथ दिनांक 29-4-1980, 30-4-1980 और 1-5-80 को अनुलग्नन की अनुमति दी गई थी, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर वह काम पर नहीं आए, किन्तु उन्होंने दिनांक 30-4-1980 को एक पत्र भेजकर प्राय: 15 दिन के अवकाश वृद्धि करने के लिए प्रार्थना की;

2. और जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के प्रशासन ने दिनांक 17-5-80 को एक तार भेज कर उनसे काम पर तत्काल आने के लिए कहा, और तार की डाक प्रति संदर्भ सं० का० प्र० 4/य-9/वि अ से/1248, दिनांक 17-5-1980 के अन्तर्गत पावती सह पंजीकृत डाक द्वारा निवास संख्या 19-3-616, गाजी बंडा हैदराबाद-500253, के पते पर भेजी गयी, जो डाक प्राधिकारियों द्वारा इस अभ्युक्ति के साथ वापस कर दी गई, "व्यक्ति नगर के बाहर गया हुआ है";

3. और जब कि यूसुफ अली खान ने दिनांक 13-5-1980 को विजयवाड़ा से अवकाश में एक मास की वृद्धि करने के लिए एक और पत्र भेजा;

4. और जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के प्रशासन ने दिनांक 22-5-1980 को श्री यूसुफ अली खान को एक तार भेज कर यह सूचित किया कि उनकी अवकाश वृद्धि की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई और उनसे तत्काल काम पर आने के लिए कहा गया;

5. और जब कि दिनांक 22-5-1980 के उक्त तार की डाक प्रति संदर्भ सं० का० प्र० 4/य-9/वि अ से/ 1297, दिनांक 22-5-1980 के अन्तर्गत पावती सह पंजीकृत डाक द्वारा निवास संख्या 42/2/14, अजीत सिंह नगर, ब्लॉक सं० 39, विजयवाड़ा-15, को प्रेषित की गई जो डाक प्राधिकारियों द्वारा बिना वितरित किए हुए इन अभ्युक्तियों के साथ लौटा दी गई, "इस नाम का कोई व्यक्ति ब्लॉक सं० 39 में नहीं रहता है, अत: प्रेषक को वापस किया जाता है";

6. और जब कि श्री यूसुफ अली खान प्रशासन द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों के बावजूद भी काम पर नहीं लौटे ;

7. और जबकि अनुशासनिक प्राधिकार ने श्री यूसुफ अली खान के विरुद्ध केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत जांच करने का प्रस्ताव किया, और एक अभियोग पत्र ज्ञापन सं० ना० ई० स०/का० प्र० 5/2606/1487, दिनांक 24-7-80 को पावती सह पंजीकृत डाक द्वारा निवास सं० 19-3-616, गाजी बंडा, हैदराबाद-500253, और नि० सं० 42-2-14, अजीत सिंह नगर, ब्लॉक सं० 39, विजयवाड़ा-15, को भेजा गया ;

8. और जब कि उक्त ज्ञापन सं० ना ई स/का प्र 5/2606/0302/1487, दिनांक 24-7-80 की निवास सं० 19-3-616, गाजी बंडा, हैदराबाद-500253, और नि० सं० 42-2-14, अजीत सिंह नगर, ब्लॉक सं० 39, विजयवाड़ा-15, को प्रेषित प्रतियों को डाक प्राधिकारियों द्वारा बिना वितरित किए हुए क्रमश इन अभ्युक्तियों के साथ वापस कर दिया गया, "व्यक्ति भारत के बाहर चला गया" तथा "पत्र पानेवाला अज्ञात है" ;

9. और जब कि उक्त श्री यूसुफ अली खान निरन्तर अनुपस्थित रहे और नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र को अपना अता-पता सूचित करने में असमर्थ रहे ;

10. और जब कि उक्त श्री यूसुफ अली खान स्वेच्छा से सेवा त्यागने के अपराधी हैं ;

11. और जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र को बिना अपना अता-पता सूचित किए हुए सेवा त्यागने के कारण, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1965 के नियम 14 के अनुसार जांच करना युक्तियुक्त व व्यावहारिक नही है ।

12. अत: अब परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश सं० 22 (1)/68-प्र 11, दिनांक 7-7-79 और/या केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1965 के नियम 19(11) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा अनुरक्षण ईंधन संयंत्र के वैज्ञानिक सहायक 'अ' उक्त श्री युसुफ अली खान को सेवाओं से तुरन्त प्रभाव से हटा देने का आदेश देते है ।

हस्ताक्षरित
एन० कौंडल राव
मुख्य कार्यपालक

पते :—

(1) श्री यूसुफ अली खान,
नि० सं० 19-3-616,
गाजी बंडा,
हैदराबाद-500253 ।

(2) श्री यूसुफ अली खान,
नि० सं० 42-2-14,
अजीत सिंह नगर,
ब्लॉक सं० 39,
विजयवाड़ा-15 (आ० प्र०) ।

हैदराबाद-500762, दिनांक 27 अगस्त 1980

सं० ना० ई०स०/का प्र भ/0704/5720—अधिसूचना सं० ना ई स/का प्र भ/0704/5335/दिनांक 2-8-1980 के क्रम में नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने अस्थायी औद्योगिक प्रवरण श्रेणी लिपिक श्री पी० राजगोपालन को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में दिनांक 11-8-1980 से अगले आदेशों तक के लिए स्थानापन्न सहायक कार्मिकाधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

प० श्री रा० मूर्ति
प्रशासनिक अधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपाक्कम-603102, दिनांक 7 अक्तूबर 1980

सं० एम० ए० पी० पी०/31(1266)/75-आई० ई०—चूंकि मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के अप्रथ श्री ट्रेड्समैन (ए) श्री के० वी० मणि के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1865 के नियम 14 के अन्तर्गत जांच करने का आदेश हुआ है ;

और चूंकि उक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम के उपनियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर ने मुझे जांच प्राधिकारी नियुक्त किया है ;

और चूंकि जांच के लिए नियमित सुनवाई 11 अगस्त, 1980, 8 सितम्बर, 1980 तथा 29 सितम्बर, 1980 को हुई और दोषी कर्मचारी, रजिस्टर्ड डाक से नियमानुसार नोटिस दिए जाने के बावजूद, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हुआ ;

तथा इसलिए अब मैं एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं कि श्री के० पी० मणि, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस को मेरे सामने उपस्थित हों ।

के० जंबुलिंगम
जांच प्राधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500016, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० प० ख० प्र०-8/1/80-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी सहायक एवं स्थानापन्न हिन्दी अनुवादक श्री सोमनाथ सचदेव को उसी प्रभाग में श्री जे० आर० गुप्त सहायक कार्मिक अधिकारी जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, के स्थान पर 29-9-80 से 1-11-80 तक स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एम० एस० राव
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1980

सं० ए०-32013/9/78-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 30-4-79 की अधिसूचना संख्या ए-32013/9/79-ई० सी० के क्रम में, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो सहायक तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति को प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर और दी गई तारीखों के बाद छः माह की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी है:—

क्रम संख्या	नाम	तैनाती स्टेशन	तदर्थ नियुक्ति जारी रखने की अवधि
1.	श्री के० चन्द्रचूड़न	निदेशक, रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली।	28-9-79 के बाद
2.	श्री एन० आर० एन० अयंगार . .	—वही—	28-9-79 के बाद

इस विभाग की दिनांक 8-1-80 की अधिसूचना सं० ए० 32013/9/78-ई० सी० के क्रम संख्या 3 तथा 4 एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं।

सं० ए० 32013/2/80-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से और 30-9-80 तक तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है और इन्हें प्रत्येक के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया गया है:—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	नया तैनाती स्टेशन	कार्य ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री के० बी० नन्दा . .	वै० सं० स्टेशन, श्रीनगर	वै० सं० स्टेशन, श्रीनगर	2-8-80 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जे० एल० सूरी . .	वै० सं० स्टेशन, नई दिल्ली	वै० सं० स्टेशन, नई दिल्ली	25-7-80 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एल० आर० गोयल . .	वै० सं० स्टेशन, पालम	निदेशक, रेडियो निर्माण और विकास एकक नई दिल्ली	30-7-80 (पूर्वाह्न)

सं० ए० 38013/1/80-ई० सी०—वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित तीन अधिकारियों ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31-7-80 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है:—

क्रम सं०	नाम और पदनाम	स्टेशन
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जी० एल० रलवानी, सहायक तकनीकी अधिकारी .	वै० सं० स्टेशन, बम्बई
2.	श्री जी० आर० पटेल, सहायक तकनीकी अधिकारी .	वै० सं० स्टेशन, बम्बई
3.	श्री एन० एस० एस० मनी, सहायक संचार अधिकारी .	वै० सं० स्टेशन, बम्बई

दिनांक 14 अक्तूबर 1980

सं० ए०-32013/2/80-ई० सी०—राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित चार सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से 30-9-80 तक तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्त किया है और उन्हें उनके नामों के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	नया तैनाती स्टेशन	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री आर० जी० राव . .	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास	वै० सं० स्टेशन, त्रिवेन्द्रम	30-8-80 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पी० ए० शास्त्री . .	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	30-7-80 ,,
3.	श्री एच० एस० ग्रेवाल . .	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली	2-8-80 ,,
4.	श्री आर० वी० राव . .	वैमानिक संचार स्टेशन, औरंगाबाद	रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली	28-8-80 ,,

सं० ए० 32014/2/80-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित संचार सहायकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	जिस स्टेशन पर तैनात किया गया है	कार्यभार संभालने की तारीख
	सर्वश्री			
1.	एम० आर० शर्मा . .	वै० सं० स्टेशन, नई दिल्ली	वै० सं० स्टेशन, नई दिल्ली	1-8-80
2.	पी० आर० फेरवि . .	वै० सं० स्टेशन, नागपुर	वै० सं० स्टेशन, नागपुर,	31-7-80
3.	डी० के० चौधरी . . .	वै० सं० स्टेशन, अगरतला	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	16-8-80
4.	एस० के० दास . . .	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	वै० सं० स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर	8-9-80
5.	पी० आर० गांगुली . .	वै० सं० स्टेशन, रांची	वै० सं० स्टेशन, भुवनेश्वर	25-8-80
6.	एस० के० राय . . .	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	वै० सं० स्टेशन, कलकत्ता	30-7-80

सं० ए० 32013/3/80-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित चार सहायक संचार अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से 30-9-80 तक संचार अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	जिस स्टेशन पर तैनात किया गया	कार्यभार संभालने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री बी० एन० मित्र	डी० जी० सी० ए० मुख्यालय, नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	31-7-80 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एस० आर० सेठी	ए० सी० एस० अहमदाबाद	ए० सी० एस० नागपुर	30-8-80 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम० पी० के० पिल्लै	ए० सी० एस० विशाखापत्तनम	ए० सी० एस० बंगलौर	22-8-80 (पूर्वाह्न)
4	श्री वी० एन० अयर	ए० सी० एस०, भुवनेश्वर	ए० सी० एस०, मद्रास	5-8-80 (पूर्वाह्न)

सं० ए० 38013/1/80-ई० सी०—अनियंत्रक संचार, वैमानिक संचार स्टेशन, सफदरजंग, एयरपोर्ट, नई दिल्ली कार्यालय के श्री ओ० पी० बहल, संचार अधिकारी के निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दिनांक 31-8-80 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

आर० एन० दास
सहायक निदेशक, प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 1980

सं० ए० 32013/12/78-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों को 25-9-80 से तथा अन्य आदेश होने तक विमान क्षेत्र अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	स्टेशन
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कविराज सिंह	ए एस० ओ० (ए० टी० सी०) मुख्यालय
2.	श्री जे० एस० आर० के शर्मा	मद्रास
3.	श्री अमीर चन्द	ग्वालियर
4.	श्री एच० डी० लाल	भोपाल
5.	श्री जी० एस० बंसल	राजकोट
6.	श्री एम० एस० गोसांई	पालम
7.	श्री सी० एन० एस० मूर्ति	मद्रास
8.	श्री ए० एन० माथुर	कुम्भीग्राम
9.	श्री पी० के० खन्ना	दम दम
10.	श्री पी० बी० देसवानी	ए० ओ० (पी०) मुख्यालय
11.	श्री के० पी० एस० नैय्यर	मद्रास
12.	श्री ए० के० झा	नार्थ लखीमपुर
13.	श्री एम० जे० सिंह	पालम
14.	श्री एम० के० वोहरा	सान्ताक्रुज
15.	श्री विनोद कुमार यादव	सान्ताक्रुज
16.	श्री दलजीत सिंह चतरथ	पालम
17.	श्री डी० डी० वुठ्ठ	श्रीनगर
18.	श्री के० के० मल्होत्रा	दम दम
19	श्री जी० एम० कालसी	लेह
20.	श्री ए० टी० रिचर्ड	मद्रास

(1)	(2)	(3)
21.	श्री राजिन्द्र पाल सिंह	बम्बई एयरपोर्ट
22.	श्री अरूल आनन्द	तिरुपति
23.	श्री सी० एम० कोटिहाथ	बम्बई
24	श्री पी० एन० भास्कर	भावनगर
25.	श्री एच० सी० मलिक	अमृतसर
26.	श्री एच० आर० जोशी	बम्बई
27.	श्री एम० सी० हरिया	बेगमपेट
28.	श्री बी० एन० सिंह	दम दम
29.	श्री आर० के० रमन	बेगमपेट
30.	श्री राज कुमार	गौहाटी
31.	श्री एन० जयसिम्हा	सान्ताक्रुज
32.	श्री पी० एम० नारायण	मद्रास
33.	श्री सुरेन्द्र सिंह	सान्ताक्रुज

सी० के० वत्स
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

सं० 1/228/80स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता शाखा के अधीक्षक श्री सुतापेस दास को अल्पकालीन खाली जगह पर 15-7-80 से 23-8-80 (दोनों दिनों समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनाक 10 अक्तूबर 1980

सं० 1/56/80-स्था —विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा मद्रास शाखा के अधीक्षक श्री एस० पेरूमल को अल्पकालीन खाली जगह पर 16-6-80 से 21-7-80 (दोनों दिनों समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एच० एल० मलहोत्रा
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते महानिदेशक

बम्बई, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० 1/298/80-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के अस्थायी तकनीकी सहायक श्री शेख अब्दुल रहीम को नियमित आधार पर 29 जुलाई, 1980 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी शाखा में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं० 1/393/80-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार (I) को नियमित आधार पर 10 सितम्बर, 1980 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्विचन समूह, बम्बई में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

पी० के० गोविन्द नायर
निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० 16/247/76-स्थापना-I—श्री सिद्दिक अहमद (रा० व० सें० गुजरात) के विषय में जारी की गई इसी संख्या दिनांक 18-9-80 की अधिसूचना उनकी सेवाएं राज्य सरकार को सौंपने बाबत रद्द समझी जाए क्योंकि आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।

आर० एन० महन्ती
कुल सचिव
वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय

मद्रास-600 034, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० IV/16/384/78-पी० एफ० ए० डी० जे०-II—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियमावली, 1976 के नियम "क" के उपनियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि दिनांक 21-2-1976 से प्रभावी है, यह घोषित किया जाता है कि उप नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्टित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नमक अधिनियम 1944 की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और उनके नाम, पता व अन्य विवरण जिन पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 33 में निर्दिष्टित अधिकारी द्वारा 10,000/- रुपए या उससे अधिक शास्ति अधिरोपित की गई है नीचे दिए जाते हैं। चौथाई हिस्सा 30-6-1980 के लिए :—

क्र०सं०	व्यक्ति का नाम	पता	अधिनियम के उल्लिखित उपबंध	अधिरोपित शास्ति की राशि
1	2	3	4	5
1.	मसर्स गिण्डि मशीन टूल्स लिमिटेड	एल० 4 सं० 103/75/टी० ए० 68 पल्लिकरने (पोस्ट) मद्रास-601 302	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के 1944 की धारा 9 (1) (ख ख) और केन्द्रीय	1,500/- रुपए चुकाने का दण्ड दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	श्री के० जी० सुब्रमण्यम अय्यर श्री सी० आर० कृष्ण अय्यर के सुपुत्र ।	1 स्ट्रीट, रवि कालनी मेंट थामस मौंट मद्रास-600 016	उत्पादन शुल्क 1944 के नियम 173पी०पी० (1) (4) और पी०पी० (1) (5)	1,000/- रुपए चुकाने का दण्ड दिया गया है ।
2.	श्री के० मुत्तुसामी उदयर	एल० 5 स० 24/64 तबाकू व्यापारी, राघवेन्द्रपुरम मेलग जिला	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के 1944 का धारा 9(1) (ख) तथा 9(1) (ख ख) पढ़िए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 1944 की अधिनियम 151-ग और 223-क	दण्डित और 500/- रु० प्रत्येक सहवती पर (कुल 1000/-रु०) चुकाने का जुर्माना, अनुपस्थिति में 2 महीने का कठोर कारावास प्रत्येक सहवती पर आदेश दिया गया है ।

II—विभागीय न्यायनिर्णय

—शून्य—

वी० आर० रेड्डी,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नागपुर, दिनाक 15 अक्तूबर 1980

स० 13/80—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, नागपुर के कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक, श्री एम० बी० बनकर की प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षक इ०, श्रेणी 'ख' के पद पर पदोन्नति होने पर उन्होंने श्री व्ही० एम० भोजराज जिनका प्रमुख लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर तबादला हो गया है, को कार्यभार मुक्त कर सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, नागपुर के कार्यालय का दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण किया ।

सं० 14/80—ऐसे ही, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यायलय, नागपुर के कार्यालय में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक, श्री बी० टी० कोठारी की प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षक इ०, श्रेणी 'ख' के पद पर पदोन्नति होने पर उन्होंने श्री व्ही० के० त्रिपाठी, जिनका प्रमुख लेखा अधिकाकारी के पद पर पदोन्नति फलस्वरूप तबादला हो गया है, को कार्यभार मुक्त कर प्रशासनिक अधिकारी (मुख्या०), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर के कार्यालय का दिनाक 30 सितम्बर, 1980 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया ।

के० शंकररामन
समाहर्ता

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली-1, दिनाक 16 अक्तूबर 1980

स० 30/80—निरीक्षण एव लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मद्रास स्थित दक्षिणी प्रादेशिक यूनिट में कार्यरत श्री ए० नटराजन ने वार्धक्य के कारण सेवा निवृत्त होने पर दिनाक 30-9-80 के (अपराह्न) से निरीक्षण अधिकारी (सीमा शुल्क एव केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) ग्रुप "ख" के पद का कार्यभार त्याग दिया ।

के० जे० रामन्,
निरीक्षण निदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-110022, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० ए०-32014/1/80-प्रशा० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में छः महीने की अवधि के लिए अथवा पदों के स्थायी आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से नियुक्त करते हैं :—

क्रम स०	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(1)	(2)	(3)
	सर्वश्री	
1.	ए० के० एम० गोविल अभिकल्प सहायक	19-9-80 (पूर्वाह्न)

(1)	(2)	(3)
सर्वश्री		
2.	एम० एस० मोटवानी, अभिकल्प सहायक	6-9-80 (पूर्वाह्न)
3.	आर० के० ठाकुर, अभिकल्प सहायक	5-9-80 (पूर्वाह्न)
4.	रविन्दर कुमार, अभिकल्प सहायक	5-9-80 (पूर्वाह्न)
5.	आई० एस० गुप्ता, पर्यवेक्षक	30-9-80 (पूर्वाह्न)
6.	एच० एन० यादव, पर्यवेक्षक	7-10-80 (पूर्वाह्न)
7.	पी० राम ब्राह्मण, पर्यवेक्षक	6-10-80 (पूर्वाह्न)
8.	एस० आर० सैनी, पर्यवेक्षक	25-9-80 (पूर्वाह्न)
9.	के० डी० सिंह, पर्यवेक्षक	23-9-80 (अपराह्न)
10.	एच० जैड० कुरैशी, पर्यवेक्षक	3-10-80 (पूर्वाह्न)

के० एल० भंडला
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० 1/112/69-ई० सी०-9—राष्ट्रपति जी ने श्री ओ० पी० गुप्त, वास्तुविद्, के० लो० नि० वि० का दिनांक 18-6-1980 का सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी नोटिस स्वीकार कर लिया है। तदनुसार श्री ओ० पी० गुप्त दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

के० ए० अनंतनारायणन
प्रशासन उपनिदेशक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कोचीन मेरचन्डस एसोसिएशन के विषय में

एर्णाकुलम, दिनांक 29 सितम्बर 1980

सं० 401/लिक्वी०/560—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कोचिन मेरचन्डस एसोसिएशन का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ए० अहम्मद कुञ्ञु
कम्पनी प्रोसिक्यूटर एन्ड ऐक्स० आफिस असिस्टेन्ट
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीस, केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स आम्बेर होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर, दिनांक 7 अक्तूबर 1980

सं० 1-सांख्यिकी/1493/9375—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आम्बेर होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी० सी० गुप्ता
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
राजस्थान, जयपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हावड़ा आइरन और स्टील वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

सं० एल०/10949-एच०/डी०/1952—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती कि आदरणीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 26-11-79 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्च-न्यायालय, कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जेम्हास्स और कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (समापन अन्तर्गत) के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

सं० एल०/24489-एच०/डी०/1966—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्चन्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 18-3-80 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और भारत वाणिज्य विस्तार प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

कलकत्ता, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

स० 16506/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर भारत वाणिज्य विस्तार प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ए० बी० बिश्वास
कम्पनियो का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बीअर एण्ड समाईल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालधर, दिनाक 13 अक्तूबर 1980

सं० जी०/स्टेट/560/3636—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 580 की उपधारा (5) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बीअर एन्ड समाईल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पराडाईज इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

जालधर, दिनाक 13 अक्तूबर 1980

स० जी०/स्टेट/560/2759/7794—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैराडाईज इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और हिमगिरी फाईनेन्स एन्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

जालधर, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

स० जी०/स्टेट/560/3146/7800—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हिमगिरी फाईनेन्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हेयर को इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे

जालधर, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

स० जी०/स्टेट/560/3257/7815—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हेयर को इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सुरिन्द्र चिट फण्ड एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे

जालंधर, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० जी०/स्टेट/560/2854/7811—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सुरिन्द्र चिट फण्ड एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एन० एन० मौलिक
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रशान्त आइरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

सं० ए० 480/2510(2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रशान्त आइरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस० सील
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 स्ट्रा पेपर मिल्स आफ इंडिया लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

सं० 1222/टी० ए०-1 (560)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर स्ट्रा पेपर मिल्स आफ इंडियालमिटे डि का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी० एस० राजू
कम्पनियों का रजिस्ट्रार,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

आयकरण अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनांक 16 अक्तूबर 1980

सं० एफ० 48-ए० डी०/(ए० टी०)/80-- श्री नारंजन दास, स्थानापन्न सहायक अधीक्षक, आयकर अपील अधिकरण दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली, जिन्हें आयकर अपील अधिकरण दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर दिनांक 17-9-1980 से 16-10-1980 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, देखिए, इस कार्यालय के दिनांक 1 सितम्बर 1980 की अधिसूचना सं० एफ० 48-ए० डी० (ए० टी०)/80, को अब आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर और तीन महीने की अवधि अर्थात् दिनांक 10-10-1980 से 16-1-1981 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और श्री नारंजन दास को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जाएगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

टी० डी० सुगला
अध्यक्ष

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 33) की धारा 269 (1) (4) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति को अधिकार में करने के बारे में अधिसूचना

भारत सरकार

कार्यालय निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

लखनऊ-1, दिनांक 30 अगस्त 1979

सं० जी० आई० आर० 13-जे०/अर्जन--एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इलाहाबाद में स्थित चौक में संपत्ति सं० 16 (पुरानी संख्या 30) पर, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) की उपधारा (2) में लिखित प्रावधानों के अनुसार, श्री बी० मजूमदार, अधिशासी इंजीनियर इलाहाबाद सेन्ट्रल डिवीजन, 76 लूकरगंज इलाहाबाद और श्री टी० के० चटर्जी सहायक निदेशक (निरीक्षण) कार्यालय आयकर आयुक्त द्वारा इस हेतु विधिवत् प्राधिकार से दिनांक 27 अगस्त, 1979 को कब्जा कर लिया गया है अधिनियम की धारा 269 (1) की उपधारा (4) के अनुसार उक्त संपत्ति उपरोक्त तारीख से ही पूर्णतया, सभी ऋण भारों से मुक्त, केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है।

सं० जी० आई० आर० सं० 20-पी०/अर्जन--एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इलाहाबाद के गांधीनगर मुट्ठीगंज में संपत्ति सं० 230 पर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) की उपधारा (2) में लिखित प्रावधानों के अनुसार, श्री बी० मजूमदार अधिशासी इन्जीनियर, इलाहाबाद सट्रल डिवीजन 76 लूकरगंज इलाहाबाद द्वारा इस हेतु विधिवत् प्राधिकार से दिनांक 23 अगस्त 1979 का कब्जा कर लिया गया है। अधिनियम की धारा 269 (1) की उपधारा (4) के अनुसार उक्त सम्पत्ति उपरोक्त तारीख से ही पूर्णतया, सभी ऋण भारों से मुक्त, केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है।

अमर सिंह बिशेन
सक्षम प्राधिकारी
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त
(अर्जन रेंज), लखनऊ

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलौर

बंगलौर, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं॰ सी॰ आर॰ 62/26340/79-80/ए॰ सी॰ क्यू॰/बी॰—यतः मुझे आर॰ तोतात्री,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी सं॰ 6, और 6/1 है, तथा जो 'बी' स्ट्रीट, I मेन, शेशाद्रीपुरम, बंगलौर-20 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6 फरवरी, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी॰ एल॰ हुन सं॰ 52, I मेन रोड मल्लेश्वरम्, बंगलौर-55

(अन्तरक)

1. श्री
(1) एच॰ ए॰ गोपीनाथ } सं॰ 48, 17 क्रास मल्ले-
(2) एच॰ ए॰ श्रीनिधि } स्वरम् बंगलौर
(3) एच॰ डी॰ बालाजी } सं॰ 257, 17 क्रास अप्पर
(4) एच॰ डी॰ नारायण } प्यासूस आरयर्स बंगलौर-
बाबू 6

(अन्तरिती)

3. (1) जी॰ बी॰ नवले—ग्राउंड फ्लोर
(2) एच॰ एन॰ केशावमूर्ती-I फ्लोर।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं॰ 3695 दिनांक 6-2-1980)

घर संपत्ति है जिसका नं॰ 6 और 6/1 'बी' स्ट्रीट, I मेन, शेशाद्रीपुरम, बंगलौर-20

सब मिलकर 670.41 स्केवर्स मीटर्स चकबंदी है।
पू॰ में—डा॰ 1 प्रह्लाद के संपत्ति
प॰ में—'बी' स्ट्रीट
उ॰ में—एस॰ वी॰ लर्वउममा की घर
द॰ में—प्राईवेट संपत्ति।

आर॰ तोतात्री,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलौर

बंगलौर, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० सी० आर. 62/26660—यतः मुझे आर० तोताती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12/1, पुराना, 16 (नया) है, तथा जो सैट सं० 2, रेसकोर्स रोड, बंगलौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17 अप्रैल, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री यू० एन० रामदास बलाल सं० 12/1, रेस कोर्स रोड बंगलौर-9

(अन्तरक)

2. श्री नारायन टी० शेट्टी सं० 12/1, (पुराना), 16 (नया) 2 मंजिल, रेसकोर्स रोड बंगलौर-9।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 172/80-81 दिनांक 17-4-1980)

घर संपत्ति जिसका सं० है कारपोरेशन पुराना सं० 12/1 और नया सं० 16,

जगह सं० 2 (संपत्ति सं० 3 का एक विभाग) रेस कोर्स रोड़ बंगलौर-9

जिसका चकबंदी है,

उ० में—प्राईवेट संपत्ति

द० में—प्राईवेट संपत्ति

पू० में—कामन प्यासेज

प० में—प्राईवेट संपत्ति

आर० तोताती,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलौर

दिनांक : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, बंबई

बंबई, दिनांक 25 अगस्त 1980

निर्देश सं० ए० आर-III/ए० पी०-350/80-81—अतः मुझे ए० एच० तेजाले,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 50-55 है तथा जो महुर व्हीलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 21 फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मिनेव्हा डिलर्स प्रा० लि०

(अन्तरक)

2. लोक सेवा उद्योग प्रीमीसेस को० आ० सो० बल०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 996/74 बंबई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 21-2-1980 को रजिस्टर्ड किया गया है

ए० एच० तेजाले,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, बम्बई

दिनांक 25-8-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बंबई

बंबई, दिनांक 8 सितम्बर 1980

निर्देश सं० ए० आर-2/2934-7/फरवरी-80—अतः मुझे, ए० एच० तेजाले,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 45 टी० पी० एस० है तथा जो जुहु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बंबई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री पट्रिक आश रांड्रिगज, श्री चार्लस अलबर्ट रांड्रिगज (अन्तरक)

2. मरीन एण्ड प्रिमायसीस को आप सो लिमिटेड (अन्तरिती)

3. सोसायटी के सदस्य

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० एस० 921/75 बंबई उप-रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 4-2-1980 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० एच० तेजाले,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II बम्बई

दिनांक : 8-9-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I बंबई

बम्बई, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० आर०I/4373-14/फरवरी, 1980—अत: मुझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 19/69, 128, 18/69 कुलाबा है तथा जो व्हिक्टोरिया बंदर रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 14 फरवरी, 1980 विलेख नं० 1785/79 बम्बई

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. तुगभद्रा सुगर वर्कस् प्रा० लि०

(अन्तरक)

2. ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 1785/79/बंबई उप रजिस्ट्रार अधिकारी दिनांक 14-2-1980 को रजिस्टर्ड किया गया है।

सुधाकर वर्मा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I बम्बई

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/-II/एस० आर०-1/2/80—अत: मुझे, बलजीत भटियानी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या 2662, बारादरी शेर अफगान, है तथा जो बिल्ली मारान, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती पिम्मा देवी पत्नी आफ लक्ष्मीनारायण और दूसरे डब्ल्यू० जेड-113, गांव पासैबान, दिल्ली।
(अन्तरक)

2 श्री मंजूर अलाई और श्रीमती हबीब हजूर 2446 बारादरी शेर अफगान, बिल्ली मारान, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी नं० 2662, बारादरी, शेर अफगान बिल्ली मारान, दिल्ली।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच ब्लाक, विकास भवन, आई पी स्टेट नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II-/एस० आर०-1/2-80/238—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 59 रोड़ नं० 41 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25 फरवरी 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री तीर्थराम सचदेव सन आफ दिवानचन्द (2) राम दास (3) सुभाष चन्द्र (4) गुलशन कुमार सन्स आफ तीर्थ राम सचदेव 59-रोड़ नं० 41 पंजाबी बाग, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. कुमारी चांद रानी सोनी पत्नी, केदारनाथ, आर 836/62, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 59, रोड़ नं० 41, पंजाबी बाग में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1100 वर्गगज है निम्न प्रकार से घिरा हुआ है:—

उत्तर —गली

दक्षिण —रास्ता नं० 41

पूर्व —प्लाट नं० 57

पश्चिम —प्लाट नं० 59

श्रीमती बलजीत भटियानी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच ब्लाक, विकास भवन,

आई० पी० स्टेट नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-II/एस० आर-I/2-80/6225—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 9694-9695 है तथा जो गली नीम वाली, नवाबगंज वार्ड नं० 12 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री नन्दलाल सन आफ त्रिलोक चन्द और दूसरे 9694, गली नीम वाली, नवाब गंज दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राकेश कुमार और दूसरे 6177 कूचा शिव मंदिर गली बताशका खारी बावरी दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी का हिस्सा नं० 9694 और 9695 जो कि गली नीमवाली नवाबगंज, वार्ड नं० 12 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 61 वर्गगज।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II एच ब्लाक, विकास भवन,

आई॰ पी॰ स्ट्रीट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/II/एस॰ आर-I/2-80/6190—अत मुझे, बलजीत मटियानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है और जिसकी स॰ 58 है तथा जो कर्त्ता ईश्वर भवन, खारी बावली, दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शाम सुन्दर मित्तल सन आफ गोविन्द राम 939, गली नोना मैना, बिहाइन्ड नावल्टी सिनेमा दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राम अवतार सन आफ रूप चन्द और दूसरे गाव सोना डिसट्रिक गुड़गांव, हरियाणा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोप्रटी नं॰ 58 क्षेत्रफल 13 वर्ग गज जो कि स्थित है कर्ता ईश्वर भवन खारी बावली दिल्ली।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II एच ब्लाक विकास भवन आई० पी० स्टेट
दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर II/28/3132—अतः मुझे, बलजीत भटियानी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो 25/23 तिलक नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1980।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री डा० एम० पी० नारंग सन आफ देस राज नारंग एण्ड हिज वाइफ श्रीमती विनोद कुमारी नारंग आई-24 कीर्ती नगर, नई दिल्ली।

2. श्रीमती गीता रानी चोपड़ा विडो आफ राम प्रकाश चोपड़ा आफ बी० एफ० 36 टैगोर गार्डन नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गगज, जो कि प्लाट नं० 25/23 तिलक नगर पर बना है।

श्रीमती बलजीत भटियानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II एच० ब्लाक विकास भवन आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर-I/2-80/6234—अत: मुझे, बलजीत मटियानी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 49 है तथा जो रामा रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया नजफगढ़ दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 23 फरवरी 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री सतीश कुमार ओसवाल सन आफ शीतल प्रसाद ओसवाल मकान नं० 2/5 रूप नगर दिल्ली-7

(अन्तरक)

2. मैसर्स अब्दुल सलम बुल मर्चेन्ट 1009 पान मण्डी सदर बाजार दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान का हिस्सा जिसका नं० 49 जोकि रामा रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया, नजफगढ़ रोड पर स्थित है निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है।

उत्तर —प्लाट नं० 48
दक्षिण —रेलवे लाईन
पूर्व —खाली जगह
पश्चिम —रास्ता

श्रीमती बलजीत मटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 10-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक विकास भवन आई पी० स्टेट

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर, 1980

नई दिल्ली

निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर-II/2-80/3143—अत: मुझे, बलजीत भटियानी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या है जो सी० एल-6, ब्लाक-एल० हरीनगर गांव तिहार दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री रजिन्द्र सिंह सन आफ जोगिन्द्र सिंह मेन रोड, राम गढ़ तिहार।

(अन्तरक)

2 श्री सरूप सिंह सन आफ शान सिंह ई० 4-5, रघुबीर नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का टुकड़ा जिसका नं० सी० एल-6, जो कि एल० ब्लाक हरी नगर में स्थित है निम्न प्रकार से घिरा हुआ है।

उत्तर —प्लाट नं० सी० एल-7

दक्षिण —प्लाट नं० सी० एल-4

पूर्व —रास्ता 40' चौड़ा

पश्चिम —गली 15' चौड़ी

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज - दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 9-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक, विकास भवन आई पी० स्टट नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आरII/2-80/3147—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या है तथा जो खेतीबाड़ी जमीन 17-बीगास गांव होलम्बीकलान दिल्ली, स्ट्रीट मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी, के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री टेकू एलाइस टेकचन्द सन आफ चद्र होलम्बी कलान, दिल्ली स्टेट दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राम किशन, सन आफ दीप चन्द गांव शाहपुर गढ़ी, दिल्ली-40

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खती बाड़ी जमीन जो कि गांव होलम्बी कलान दिल्ली स्टेट दिल्ली में स्थित है निम्नलिखित प्रकार से हैं :

रेकट नं०	किता नं०	एरिया
31	17	2-10
31	18/2	2-8
31	22/2	2-8
31	23	4-16
31	24	4-18

श्रीमती बलजीत भटियानी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II एच ब्लाक, विकास भवन आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक, 9 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर-II/2-80-3115—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो डी-13/35, रजौरी गार्डन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती सुमेश बाला पत्नी आफ केवल कृष्ण आहूजा डी-7/52, रजौरी गार्डन, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार एण्ड विनोद कुमार सन्स आफ मुल्तान सिंह गुप्ता डी-34, रजौरी गार्डन नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० डी-13/35 रजौरी गार्डन।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक 9-10-1980।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक विकास भवन आई० पी० स्टेट

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर-III/2-80 3142—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो 1/2 शेयर आफ सी० एल-6, ब्लाक एल०, हरी नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री भीम सैन चोपड़ा सन आफ राम चन्द चोपड़ा एण्ड राजेन्द्र सिंह सन आफ जोगिन्द्र सिंह मेन रोड, रामगढ़ कैन्ट, बिहार

(अन्तरक)

2. श्री सरूप सिंह सन् आफ शान सिंह ई-5, रघुबीर नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप.—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1/2 हिस्सा, प्लाट नं० सी० एल-6, जो कि ब्लाक एल० हरी नगर में स्थित है। जो कि निम्न प्रकार से घिरा हुआ है ।

उत्तर —प्लाट नं० सी० एल०-7
दक्षिण —प्लाट नं० सी० एल०-4
पूर्व —रास्ता 40′ चौड़ा
पश्चिम —गली 15′ चौड़ी

श्रीमती बलजीत भटियानी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 9-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक विकास भवन आई पी० स्टेट

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर-I/2-80/6192—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो प्लाट नं० 8, ब्लाक-ए-I माडल टाउन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शकुन्तला नैय्यर पत्नी, मनोहर लाल नय्यर केअर/आफ मधुबन अरपना ट्रस्ट, कनाल जनरल एटोरनी (अन्तरक)

2. श्री रूप चन्द जैन सन आफ चुन्नी लाल जैन और दूसरे 7/17, दरियागंज, असारी रोड, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिल मकान जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग गज है जिसका नं० 8, ब्लाक नं० ए-I, जो कि माडल टाउन में स्थित है। जो कि निम्न लिखित प्रकार से घिरा हुआ है।

पूर्व —रास्ता

पश्चिम —बिल्डिंग प्लाट नं० ए० 8 पर

उत्तर —बिल्डिंग प्लाट नं० ए-1/9

दक्षिण —बिल्डिंग प्लाट नं० ए-1/7

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एच ब्लाक, विकास भवन, आई पी० एस्टेट दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/I/एस आर-III/2-80/979—अत: मुझे बलजीत भटियानी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी संख्या 1-ए०-4/67 है तथा जो दयानन्द कालोनी लाजपत नगर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18 फरवरी, 1980।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री योगराज धींगरा पुत्र टेकचन्द निवासी 1-ए-4/67 लाजपतनगर नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री चेला राम सिन्धी पुत्र लीला राम सिंधी निवासी 1-ए-4/67 लाजपत नगर नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० 1-ए-4/67 लाजपत नगर नई दिल्ली जो लीस होल्ड राइटस क्षेत्रफल 100 वर्ग गज के अन्दर बना है। निम्न प्रकार से है :—
उत्तर—मकान नं० ए-68
दक्षिण—मकान नं० ए-66
पूर्व—सड़क
पश्चिम—गली

बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- दिल्ली, नई दिल्ली-110002।

दिनांक : 16-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक, विकास भवन आई पी० स्टेट

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/-II/एस० आर-II/2-80/3126—अत: मुझे, बलजीत भटियानी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० कोटी नं० 5, रोड़ नं० 46ए है तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5 फरवरी, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ललित कुमार सन आफ आर० के० नन्दा अ०-10/49 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री दर्शन सिंह सन् आफ एस० मोहिन्द्र सिंह एफ-143, मान सरोवर गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोटी नं० 5, रोड़ नं० 46-ए पर पंजाबी बाग में स्थित है जो निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है।
उत्तर —सर्विस गली
दक्षिण —रोड़ नं० 46ए
पूर्व —प्लाट नं० 3
पश्चिम —प्लाट नं० 7

श्रीमती बलजीत भटियानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक: 21-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II/एच० ब्लाक विकास भवन, आई पी० स्टेट

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/- /एस० आर-I/2-80/6231—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी संख्या 1309 और 1310 वार्ड नं० 8 है तथा है तथा जो गली तान सुखराम कुण्डेवाल अजमेरी गेट दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती सरला देवी पत्नी लट अमर नाथ 1308, गली तान सुखराय, खण्डेवालान, अजमेरी गेट दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री कालू मल गोयल, पुत्र मोती राम 2774, गली आर्य समाज, बाजार सीता राम दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्राप्टी नं० 1309 और 1310, वार्ड नं० 8, गली तानसुखराय, कुण्डेवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक विकास भवन

आई० पी० स्टेट, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस० आर०-II/2-80/3136—अत: मुझ, बलजीत भटियानी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या 4/बी०/2 है, तथा जो तिलक नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1980।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री टोडर मल सन आफ शंकर दास 4/बी/2, तिलक नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती दर्शन शर्मा पत्नी श्री विद्या सागर, एफ-35, वेस्ट पटेल नगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्राप्टी नं० 4-बी/2, तिलक नगर, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है।

उत्तर : गली

दक्षिण : रास्ता

पूर्व : जी० बी० पी०

पश्चिम : जी० बी० पी०

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक विकास भवन

आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर-II/2-80/3177—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या लाट नं० 39, रोड़ नं० 54 है तथा जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित है (और उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26 फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के

1. श्रीमती पुष्पा धवन पत्नी लेफ्टि० कर्नल पी० के० धवन और लेफ्टि० कर्नल पी० के० धवन फ्लैट नं० 170 सर्विस एनकलेव स्टेट-II, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री किरोरी राम सन् आफ लिक्खी राम डी-10/49, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक लाट नं० 39 जो कि रोड़ नं० 59, पंजाबी बाग में स्थित है निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है।

उत्तर : सर्विस लेन

दक्षिण : रोड़ नं० 54

पूर्व : लाट नं० 37

पश्चिम : दूसरी भूमि

श्रीमती बलजीत भटियानी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, एच० ब्लाक, विकास भवन आई० पी० स्टेट दिल्ली

नई दिल्ली-110002 दिनांक 21 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस० आर-I/2-80/6203—अतः मुझे, बलजीत भटियानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 153/2 है तथा जो कमला नगर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 13 फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमती हरीन्द्र ग्रेवाल स्लाईम हरीन्द्र कौर पत्नी श्री ए० एस० ग्रेवाल 110, सेक्टर 9-बी०, चंडीगढ़।

2. श्री मदन गोपाल, सन आफ चमन लाल जुनेजा, 163, गुजरावालान टाऊन दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित से किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रोपर्टी नं० 153-डी/2, कमला नगर जिसका मुनिसिपल नं० 6670/2 है निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है

उत्तर : 60 फुट चौड़ा रास्ता
दक्षिण : 15 फुट चौड़ा रास्ता
पूर्व : प्रोप्रटी प्लाट नं० 154
पश्चिम : 15 फुट चौड़ा रास्ता

श्रीमती बलजीत भटियानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-11-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II/एच० ब्लाक विकास भवन

आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०/II/एस० आर-1/2-80/6201—अत: मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या 153-डी/2 है तथा जो कमला नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 13 फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सतीन्द्र गिल एलाईस सतीन्द्र कौर पत्नी जी० एस० गिल, 110-सेन्टर 9-बी चण्डीगढ़

(अन्तरक)

2. श्री मदन गोपाल सन् आफ चमन लाल जुनेजा, 163 गुजरावाला टाऊन, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान नं० 153-डी/2, कमला नगर में मुनिस्पिल नं० 6670/2, निम्नलिखित प्रकार से घिरा हुआ है।

उत्तर : 60 फुट चौड़ा रास्ता
दक्षिण : 15 फुट चौड़ा रास्ता
पूर्व : प्रापर्टी प्लाट नं० 154
पश्चिम : 15 फुट चौड़ा रास्ता

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंजII-, एच० ब्लाक, विकास भवन

आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/-II/एस० आर-II/2-80/3145—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो 16 बीगाज और 16 बिसवास गांव होस्टल दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ओंकार प्रसाद सन् आफ कचरू गांव हास्टाल (अन्तरक)

2. श्री मंगतु राम सन् आफ राम रीख, गांव बडेला दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 16 बिगाज और 16 बिसवास, खसरा नं० 18/4/2, 6, 7 और 8 गांव हास्टसाल, दिल्ली स्टेट, दिल्ली ।

श्रीमती बलजीत भटियानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास
आई० पी० स्टेट, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एच० आर-/II/2-80/3227—अतः मुझे, बलजीत भटियानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि 20 बीघा है तथा जो गांव जतीकरा दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री ओम प्रकाश, सन आफ जीआ राम, हसतसाल, दिल्ली।
2. श्री रणधीर सिंह, सन् आफ शाम सिंह और श्री चन्द्र सिंह, गांव दौलतपुर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, जिसका क्षेत्रफल 20 बीघा, 27 बीघा में और 13 बिसवास, गांव जतीकरा में स्थित है।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 16-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर **आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-II एच० ब्लाक विकास भवन,
आई० पी० स्टेट, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/-II/ए० सी० क्यू-II/एस० आर-II/2-80/3183—अतः मुझे, बलजीत भटियानी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी संख्या कृषि भूमि 29 बिगाज है तथा जो गांव मसुदाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री रोशन लाल सन आफ बिशन दास नजफगढ़, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री रघुबीर सिंह सन आफ बिशन दास नजफगढ़, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 24 बिगाज, स्थित है मसूदाबाद गांव में।

श्रीमती बलजीत भटियानी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I दिल्ली, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० पी० एन०—2221—यतः मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, (1961 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो गांव काहलवा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करतारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पित्त का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. निर्मल सिंह पुत्र धन्ना सिंह गांव काहलवां ।

(अन्तरक)

2. श्री मान सिंह पुत्र भईया सिंह गाव बिन्दीपुर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर न० 2 मे है ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 99 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करतारपुर मे लिखा है ।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं॰ ए॰ पी॰ 2222—यतः मुझे आर॰ गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर बाईपास रोड नजदीक चगीटी, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जसवंत राय पुत्र श्री संत राम ई॰ डी॰ 248 धन मोहल्ला, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री परमिन्द्र सिंह, गगन इन्द्र सिंह सुपुत्र दविन्द्र मोहन वीर सिंह मार्फत मैसर्ज दुआबा कोच बिल्डर्स जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में है।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं॰ 7582 दिनांक 1 फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर॰ गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 14-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं॰ ए॰पी॰ नं॰ 2223—यतः मुझे आर॰ गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो गांव तलवंडी माधो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री मेहर सिंह, महिन्द्र सिंह, प्रीतम सिंह सुपुत्र सुन्दर सिंह गांव तलवंडी माधो तहसील, नकोदर।

(अन्तरक)

2. श्री गुरुदेव सिंह, गुरमेल सिंह बलकार सिंह हरबंस सिंह सुपुत्र नरंजन सिंह गांव डाकखाना तलवंडी माधो, नकोदर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में है।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं॰ 2731 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

आर॰ गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज जालन्धर।

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० डी० पी० नं० 2224—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बस्ती शेख नजदीक मारगो कैंप, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री चानन राम पुत्र रूलीया राम वासी मारगो कैंप, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री रामलुभाया पुत्र राम लाल, 425, आदर्श नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 8141 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निदश सं० ए० पी० नं० 2225—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बस्ती नौ जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वजोर कौर सुपुत्री अरवेल सिंह मिलाप चौक जालंधर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी जसबीर सिंह सुर्दशन कौर पत्नी लखबीर सिंह, 82 न्यू जवाहर नगर जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7680 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निदश सं० ए० पी० नं० 2226—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनिम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बस्ती नौ, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती वजीर कौर सपुत्री अखेल सिंह मिलाप चौक, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी राजिन्द्र सिंह और सुदर्शन कौर पत्नी लखबीर सिंह 82-न्यू जवाहर नगर, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7661 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश स० ए० पी० नं० 2227—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो गली नं० 15-बी मंडी अबोहर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1 श्रीमती प्रकाशवती पत्नी पृथ्वी राज बाई गली नं० 14-15, मण्डी अबोहर।

(अन्तरक)

2 श्रीमती नरजन कौर पत्नी नरिन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी जडिवाला तहसील फाजिलका।

(अन्तरिती)

3 जैसा कि ऊपर नं० 2 मे है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रूची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2830 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी अबोहर मे लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2228—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची नं० 2 में लिखा है तथा जो देवाल होशियारपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय होशियापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम लाल पुत्र बुध राज सब्जी मण्डी जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह सिक्का पुत्र हजारा सिंह 262 लाजपत नगर जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति विलेख नं० 4240 दिनांक फरवरी 1980 रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० पी०-2229—यतः मुझे आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची नं० 2 में लिखा है। तथा जो देवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, होशियारपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमृत लाल पुत्र बुधराज सब्जी मण्डी जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह बिक्रम पुत्र हजारा सिंह 262 लाजपत राय नगर जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा विलेख नं० 4274 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी होशियारपुर मे लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० सी० नं० 2230—यत: मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची नं० 2 में लिखा है तथा जो देवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री हरिकृष्ण पुत्र बोध राज सब्जी मण्डी, जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री अजीत सिंह भिक्का पुत्र हजारा सिंह 262 लाजपतराय नगर, जालंधर। (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा विलेख नं० 4731 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निदेश सं० ए० पी० नं० 2231—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मगाना तहसील फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आत्मा सिंह पुत्र राम सिंह गांव मगाना, फगवाड़ा (अन्तरक)

2. श्री दर्शन राम पुत्र कर्म चन्द गांव मगाना, फगवाड़ा (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2270 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2232—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नजदीक तक्की मोहल्ला फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, व्यक्तियों, निम्नलिखित अर्थात् :—

1. श्री राम प्रकाश पुत्र कृष्ण दियाल महली गेट, फगवाड़ा द्वारा विनोद कुमार।

(अन्तरक)

2. श्री प्रमोद कुमार योगेश चन्द्र शराब ठेकेदार माडल टाऊन, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

3. जैसा सूची नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2264 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2233—यतः, मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो संत नगर पुराना फाजिलका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

1. श्री मुंशी राम पुत्र गंगा राम वासी निहाल खेड़ा तहसील फाजिलका।

(अन्तरक)

2. श्री लेखराज पुत्र जैलाल वासी जोहड़ी मंदिर रोड़, अबोहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जिसका कि विलेख नं० 2854 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर, 1980

निदश सं० ए० पी० नं० 2234—यत: मुझे, आर० गिरधर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मण्डी अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती परमेश्वरी सपुत्री जैराम दास वासी अबोहर (अन्तरक)

2. श्री भगनलाल पुत्र बजरंग दास वासी गली नं० 4, अबोहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा विलेख नं० 2778 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए०पी० नं० 2235—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मण्डी अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 । को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शांति देवी सपुत्री जैराम दास वासी अबोहर (अन्तरक)

2. श्री पवन कुमार पुत्र बजरंग दास वासी गली नं० 4, अबोहर (अन्तरिती)

3 जैसा कि ऊपर नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2859 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2236—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है जो रेलवे रोड़, जलालाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलालाबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा)

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :-

1. श्री अवनाश चन्द्र पुत्र तारा चन्द वासी जलालाबाद।
(अन्तरक)

2. श्री सादा नन्द पुत्र शेर चन्द वासी दुकान नं० 1275 रेलवे रोड़, जलालाबाद।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 150 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलालाबाद में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2237—यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मुहल्ला ओरजय फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री साधु राम प्रेमजीत, इन्द्रजीत मुरजीत कुमार सपुत्र किशोरी लाल वासी मुहल्ला मुदा फगवाड़ा।

(अन्तरक)

2. श्रन पुरना पत्नी सुबाश चन्द्र वासी मोहल्ला दादल फगवाड़ा अब मोहल्ला ओरज्य फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2387 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2238——यतः मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है जो अवाद पुरा पिछले पासे सन्तपुरा गुरुद्वारा जालन्धर में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1980। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य के उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री रमेश्वर सिंह पुत्र श्री० कैप्टन कर्म सिंह वासी-4 मानटाऊन, जालन्धर ।

(अन्तरक)

2 श्री सुभ राज पुत्र हरी राम वासी जगतपुर जटा तहसील फगवाड़ा जिला कपूरथला ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 8195 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 11 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2239—यत: मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो फिरोजपुर शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती प्रेम रानी सुतमनी श्री अमृत लाल वासी फिरोजपुर शहर।

(अन्तरक)

2. श्री मेवा राम पुत्र मूल चन्द और श्रीमती सुदर्शना कुमारी सपुत्री मेवा राम वासी फिरोजपुर शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 5492 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2241—यत: मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माडल टाऊन, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री किशन दास रीटायर्ड असी० डी० उ० पुत्र गौरी शंकर चौक पाढीया बटाला ।

(अन्तरक)

2. श्री शरण कुमार मार्फत आर० एल० सेठ एण्ड कंपनी, बाजार शेखा, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7603 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2242—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माडल टाऊन, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री बिशन दास रिटायर्ड एस० डी० ए० पुत्र गौरी शंकर चौक पाढीया बटाला।

(अन्तरक)

2. श्री ज्ञान चन्द मार्फत आर० एल० सेठ, बाजार शेखा जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1326 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालधर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० डी० पी० नं० 2244—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो माडल टाऊन जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों के) बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तरसेम लाल पुत्र बारू राम गांव उदेसिया, तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री प्रपात सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, गांव जलालपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित म किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 8143 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निदेश सं० ए० पी० नं० 2243—यत मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल [illegible] लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अनूप सोढी पुत्र श्री शिवराज सोढी जालन्धर द्वारा मुख्तयार श्री भीम सैन जगौता।

2. श्री कर्म चन्द पुत्र बतना राम, लखन कुमार, राम प्रकाश दविन्द्र सपुत्र कर्म चन्द, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7688 दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 190

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2240—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गडा रोड, जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री ऊजागर सिंह पुत्र अमर सिंह वासी 945, गड़ा रोड़ जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुखजीत कौर पत्नी हरजीत सिंह वासी-88-ग्रीन पार्क, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर न० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7820 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 14-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2245—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो गांव चश्रू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय लम्बी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक फरवरी 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1 श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री जसवंत सिंह गांव चश्रू।

(अन्तरक)

2. श्री बंत सिंह कुलवन्त सिंह सपुत्र जगराज सिंह गांव चश्रू।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 102 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी लम्बी मे लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2246—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो आर० बी० बद्रीनाथ कालोनी जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1980 में।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्रशोतम लाल सवरवाल पुत्र अमर नाथ गांव रूड़का कलां, जालन्धर।
2. मेजर एम० के० भाटिया पुत्र करम चंद, डब्ल्यू० ए० एम० 173 बस्ती नौ जालन्धर।
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7924 में दिनांक फरवरी, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० न० 2247—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो आर० बी० बद्रीनाथ कालोनी, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री प्रशोत्तम लाल सबरवाल पुत्र अमरनाथ गांव रूड़का कला (जालन्धर)

(अन्तरक)

2. मेजर एस० के० भाटिया पुत्र करम चन्द डब्ल्यू० ए० एस०, 173 बस्ती 9 जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 7883 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निदेश सं० ए० पी० नं० 2248—यत: मुझे, आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो ज्ञान नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री गुरदावर सिंह पुत्र बचन सिंह गांव जगपालपुर तहसील फगवाड़ा।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मुग्न्द्र कौर पत्नी नरंजन सिंह गांव मंसारपुर, तहसील जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हित बद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7779, फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2249—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बाई० पास जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1 श्री तारा सिंह पुत्र जवाहर सिंह लक्ष्मी पुरा जालन्धर (अन्तरक)

2. श्रीमती संध्या देवी पत्नी कृष्ण लाल 47 विजय नगर जालन्धर (2) रतन चन्द पुत्र मुन्दर लाल विजय नगर जालन्धर (3) सरोज रानी पत्नी हरीश कुमार मोहल्ला कोलिया जालन्धर।

3. जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसाकि विलेख नं० 7681 फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० 2250—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बाई पास जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1980

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तारा सिंह पुत्र जवाहर सिंह लक्ष्मी पुरा जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री करतार सिंह कलसी पुत्र तेजासिंह अमर बाग जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग मे सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा विलेख नं० 7656 फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2251—यत. मुझे आर० गिरधर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो सैंटल टाऊन फगवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1980

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत., अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री तारासिंह पुत्र माया सिंह सैंटर टाउन फगवाडा (अन्तरक)

2 श्री बलदेव सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी इन्द्रा नगर फगवाडा (अन्तरिती)

3 जैसा ऊपर सूची नं० 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पति तथा व्यक्ति जैसा विलेख 2335 फरवरी 80 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा, लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 14-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश स० ए० पी० न० 2252--यत मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची म लिखा है तथा जो रामा मंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडीसाबो मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री किशन लाल हंस राज सपुत्र परस राम पुत्र तोता राम वासी राम मंडी

(अन्तरक)

(2) 1 अर्जन दास चरणजी लाल
2 फत्ता ट्रेडिंग कम्पनी
3 मदन लाल मनोहर लाल
4 बालक राम लक्ष्मण दास
5 भगवान सिंह सतोख सिंह
6 चानन राम देव राज
7 काशी राम किशोर चंद
8 हरदेव सिंह कृष्ण कुमार
9 बाबू राम प्रेम चन्द
10 धर्मपाल मदनलाल
11 सतपाल पवन कुमार
12 गगा राम राधा राम
13 काहनामल जोत राम
14 केवल कृष्ण पवन कुमार
15 बृज लाल केवल कृष्ण
16 रिखीराम वेद प्रकाश
17 बनारसी दास रतन चन्द
18 ठाकर मल हंस राज
19 किशोर चन्द ओम प्रकाश
20 नारायण दास रोशन लाल
21 बाबू राम विजय कुमार
22 लाल चन्द अमर नाथ
23 तारा चन्द जुगल किशोर
24 कृष्ण गोपाल पवन कुमार
25 राम रतन दास बशेशर दास
26 राज कुमार नंद लाल
27. दर्शन सिंह दीदार सिंह
28 अर्जन सिंह तीर्थ सिंह
29 बलवंत सिंह अजीत सिंह
30 हंस राज तरसेम चंद
31 शिव दयाल राम नारायण
32 रिखी राम जगमोहन लाल
33 त्रिलोक चंद मगत राय
34 गुरमुख सिंह हरबंस सिंह
35 हरनाम सिंह हरदवारी लाल
36 बलबीर सिंह जसबीर सिंह
37. गोकल चंद पृथी चंद
38 राजा राम सोम प्रकाश

39. कुन्दन लाल सरबन कुमार
40. खेम सिंह हीरा सिंह
41. बिशनामल कांशीराम
42. टहिल सिंह किशन सिंह
43. हरि सिंह रणजीत सिंह
44. तिलक राम जी दास
45. हरी राम बृज लाल
46. अमरनाथ वेद प्रकाश
47. परसराम किशोर चंद
48. बीरबलदास राजकुमार
49. मजू राम अशोक कुमार
50. मुख्तयार सिंह राम सरूप
51. जगत प्रकाश कालड़ा एण्ड को०
52. गणेशा मल थानामल
53. मनजीत सिंह एवं को०
54. तेलू राम शाम लाल
55. तुलसी राम इन्द्र मल
56. बिशनामल ओम प्रकाश
57. दित्ता राम लक्ष्मण दास
58. रोशन लाल जगदीश राम
59. राजा राम ओम प्रकाश
60. मोलक राम जनक राज
61. कौर चंद देस राज
62. नरता राम अशोक कुमार
63. मनोहर लाल अमृत लाल
64. सीता राम तेज इन्द्र पाल
65. खेतू राम कृष्ण चंद
66. बृजलाल वेद प्रकाश
67. मुंशी राम नरंजन दास
68. राम जी दास देवेन्द्र कुमार

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2941 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश स० ए० पी० नं० 2253—यत: मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रामा मण्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री मोहन लाल पुत्र परस राम वासी रामा मण्डी।

(अन्तरक)

(2) 1 अर्जन दास चरणजी लाल
2. फत्ता ट्रेडिंग कंपनी
3. मदन लाल मनोहर लाल
4. बालक राम लक्ष्मण दास
5. भगवान सिंह संतोख सिंह
6. चानन राम देव राज
7. काशी राम किशोर चंद
8. हरदेव सिंह कृष्ण कुमार
9. बाबू राम प्रेम चंद
10. धर्मपाल मदनलाल
11. सतपाल पवन कुमार
12. गंगा राम राधा राम
13. काहनामल जोत राम
14. केवल कृष्ण पवन कुमार
15. बृज लाल केवल कृष्ण
16. रिखी राम वेद प्रकाश
17. बनारसी दास रतन चंद
18. ठाकुर मल हंस राज
19. किशोर चंद ओम प्रकाश
20. नारायण दास रोशन लाल
21. बाबूराम विजय कुमार
22. लालचंद अमर नाथ
23. तारा चन्द जुगल किशोर
24. कृष्ण गोपाल पवन कुमार
25. राम रतनदास बशेशर दास
26. राज कुमार नंदलाल
27. दर्शन सिंह दीदार सिंह
28. अर्जन सिंह तीर्थ सिंह
29. बलवंत सिंह अजीत सिंह
30. हसराज तरसेम चंद
31. शिव दयाल राम नारायण
32 रिखी राम जगमोहन लाल
33. त्रिलोक चंद मंगत राय
34. गुरमुख सिंह हरबंस सिंह
35. हरनाम सिंह हरदवारी लाल
36 बलबीर सिंह जसबीर सिंह
37. गोकल चंद पृथी चंद
38. राजा राम सोम प्रकाश
39. कुन्दन लाल सरवन कुमार

40. खेम सिंह हीरासिंह
41. बिशनामल कांशीराम
42 नेहिल सिंह किशन सिंह
43. हरि सिंह रणजीत सिंह
44. तिलक राम रामजी दास
45. हरी राम बृज लाल
46. अमरनाथ वेद प्रकाश
47. परस राम किशोर चंद
48. बीरबल दास राज कुमार
49. मंगू राम अशोक कुमार
50. मुखतयार सिंह राम सरूप
51. जगत प्रकाश कालड़ा एण्ड को०
52. गणेशा मल भानामल
53. मनजीत सिंह एवं को०
54. तेलू राम शामलाल
55. तुलसीराम इन्द्रमल
56. बिशनामल ओम प्रकाश
57. दिल्ला राम लक्ष्मण दास
58. रोशन लाल जगदीश राय
59. राजा राम ओम प्रकाश
60. मोलक राम जनक राज
61. कौर चंद देस राज
62. नरुता राम अशोक कुमार
63. मनोहर लाल अमृत लाल
64. सीता राम तेज इन्द्रपाल
65. खेतू राम कृष्ण चंद
66. बृज लाल वेद प्रकाश
67. मुंशीराम नरंजन दास
68. रामजी दास दवेन्द्र कुमार।

(अन्तरिती)

(3) 1. मगत राय 2. अशोक कुमार 3. पवन कुमार 4. कमल कांत सुपुत्र तरलोक चन्द्र वासी रामन
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) 1. श्री मंगत राय 2. अशोक कुमार 3. पवन कुमार 4 कमलकांत सुपुत्र तरलोक चन्द वासी रामन
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2936 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना,

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 14 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2254—यत: मुझे, आर० गिरधर, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रामा मण्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी साबो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री साधुराम पुत्र परस राम वासी रामा मण्डी

(अन्तरक)

(2)
1. अर्जन दास चरणजी लाल
2. फत्ता ट्रेडिंग कंपनी
3. मदन लाल मनोहर लाल
4. बालक राम लक्ष्मण दास
5. भगवान सिंह संतोख सिंह
6. चानन राम देव राज
7. कांशी राम किशोर चंद
8. हरदेव सिंह कृष्ण कुमार
9. बाबू राम प्रेम चंद
10. धर्मपाल मदनलाल
11. सतपाल पवन कुमार
12. गंगा राम राधा राम
13. काहनामल जोत राम
14. केवल कृष्ण पवन कुमार
15. बृज लाल केवल कृष्ण
16. रिखीराम वेद प्रकाश
17. बनारसी दास रतन चंद
18. ठाकुर मल हंसराज
19. किशोर चंद ओम प्रकाश
20. नारायण दास रोशनलाल
21. बाबू राम विजय कुमार
22. लालचंद अमर नाथ
23. ताराचंद जुगल किशोर
24. कृष्ण गोपाल पवन कुमार
25. राम रतन दास बशेशरदास
26. राज कुमार नंदलाल
27. दर्शन सिंह दीदार सिंह
28. अर्जन सिंह तीर्थ सिंह
29. बलवंत सिंह अजीत सिंह
30. हंसराज तरसेम चंद
31. शिव दयाल राम नारायण
32. रिखी राम जगमोहन लाल
33. त्रिलोक चंद मंगत राय
34. गुरमुख सिंह हरबंस सिंह
35. हरनाम सिंह हरदवारी लाल
36. बलबीर सिंह जसबीर सिंह
37. गोकल चंद पृथी चंद
38. राजा राम सोम प्रकाश
39. कुन्दन लाल सरवन कुमार

40. खेम सिंह हीरा सिंह
41. बिशनामल कांशी राम
42. तेहल सिंह किशन सिंह
43. हरि सिंह रणजीत सिंह
44. तिलक राम रामजी दास
45. हरी राम बृज लाल
46. अमरनाथ वेद प्रकाश
47. परस राम किशोर चंद
48. बीरबल दास राजकुमार
49. मंगू राम अशोक कुमार
50. मुखतयार सिंह राम सरूप
51. जगत प्रकाश कालड़ा एण्ड को०
52. गणेशा मल भानामल
53. मंजीत सिंह एवं को०
54. तेलूराम शामलाल
55. तुलसीराम इन्द्रमल
56. बिशनामल ओम प्रकाश
57. दिल्ला राम लक्ष्मण दास
58. रोशन लाल जगदीश राय
59. राजा राम ओम प्रकाश
60. मोलक राम जनक राज
61. कौर चंद देसराज
62. नत्था राम अशोक कुमार
63. मनोहर लाल अमृत लाल
64. सीता राम तेज इन्द्रपाल
65. खेतू राम कृष्ण चंद
66. बृजलाल वेद प्रकाश
67. मुंशी राम नरंजन दास
68. रामजी दास देवेन्द्र कुमार

(अन्तरिती)

(3) 1. मंगत राम 2. अशोक कुमार 3. पवन कुमार 4. कमल कांत सुपुत्र तरलोक चन्द वासी रामन
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

(4) 1. मंगत राम 2. अशोक कुमार 3. पवन कुमार 4. कमल कांत सुपुत्र तरलोक चन्द, वासी रामन

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की** तामील से 30 दिन की **अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, **अधोहस्ताक्षरी के** पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—**इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त** अधिनियम के **अध्याय 20-क** में परिभाषित हैं, वही **अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2940 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 14-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2255—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो कोतवाली बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती संतोष रानी पत्नी हरी नारायण शीश महल बाजार होशियारपुर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती बिमला देवी पत्नी बसन्त लाल अग्रवाल पुत्र शाम लाल अग्रवाल मोहल्ला जगतपुरा होशियारपुर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 4389 दिनांक फरवरी 1980 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 17-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 अक्तूबर 1980

निर्देश स॰ ए॰ पी॰ 2256—यतः मुझे, आर॰ गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो सैदा गेट जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक मार्च, 1980।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सवरना रानी पुत्री मुन्शी राम पत्नी मंगल दास मकान नं॰ 46 तालाब बहरियां जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री रामचन्द पुत्र सरदारी लाल ए॰ क्यू॰ 123 पक्का बाग जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा की ऊपर न॰ 2 मे है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं॰ 8391 मार्च 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है।

आर॰ गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 17-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० 2257—यतः मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है।

और जिसकी सं० जसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो निजात्मनगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री सोम नाथ चोपड़ा निजात्म नगर जालन्धर।
(अन्तरक)

2. श्री धर्मवीर, इन्द्रजीत सिंह सपुत्र तरलोक नाथ डब्ल्यू० पी० 221 बाजार शेखा जालन्धर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन क अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 8026 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 17-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 अक्तूबर 1980

निर्देश स॰ ए॰ पी॰ न॰ 2258—यत मुझे आर॰ गिरधर, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु॰ से अधिक है** और जिसकी स॰ जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो बाजार माती बूरू कोट कपूरा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को **पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच** ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं **किया गया है :—**

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के **अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री बकील चन्द पुत्र बाबू राम रेलवे रोड कोट कपूरा।

(अन्तरक)

2. श्री पवन कुमार सुरिन्द्र कुमार पुत्र मुलखराज और प्रकाशवती पत्नी मुलख राज बाजार मोती बूरू कोट कपूरा।

(अन्तरिती)

3. जैसी की ऊपर नं॰ 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में **कोई भी आक्षेप :—**

(क) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं॰ 3607 फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कोट कपूरा में है।

आर॰ गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 17-10-1980
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 17 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2259—यत: मुझे आर० गिरधर, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो रामन मण्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तलवंडी साबों में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक फरवरी, 1980 को **पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;** और/या

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया** गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: **अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण** में, मैं, **उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के** अधीन **निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री मोहन लाल साधू राम सुपुत्र श्री परम राम रमन मण्डी (अन्तरक)

(2) 1. अर्जन दास चरनजीत लाल
2. फत्ता ट्रेडिंग कंपनी
3. मदन लाल मनोहर लाल
4. बालक राम लक्ष्मण दास
5. भगवान सिंह संतोख सिंह
6. चनान राम देव राज
7. कांशी राम किशोर चंद
8. हरदेव सिंह कृष्ण कुमार
9. बाबूराम प्रेमचंद
10. धर्मपाल मदनलाल
11. सतपाल पवन कुमार
12. गंगा राम राधाराम
13. काहनामल जोतराम
14. केवल कृष्ण पवन कुमार
15. बृजलाल केवल कृष्ण
16. रिखाराम वेदप्रकाश
17. बनारसी दास रतनचंद
18. ठाकुरमल हंसराज
19. किशोरचंद ओम प्रकाश
20. नारायणदास रोशनलाल
21. बाबूराम विजय कुमार
22. लाल चंद अमर नाथ
23. तारा चंद जुगल किशोर
24. कृष्ण गोपाल पवन कुमार
25. रामरतन दास विशेश दास
26. राजकुमार नंदलाल
27. दर्शन सिंह दीदार सिंह
28. अर्जन सिंह तीर्थ सिंह
29. बलवंत सिंह अजीत सिंह
30. हंसराज तरसेम चंद
31. शिवदयाल राम नारायण
32. रिखी राम जगमोहन लाल
33. त्रिलोक चंद मंगत राय
34. गुरमुख सिंह हरबंस सिंह
35. हरनाम सिंह हरिद्वारी लाल
36. बलबीर सिंह जसबीर सिंह
37. गोकल चंद पृथ्वी चंद
38. राजा राम ओम प्रकाश
39. कुंदन लाल सरवन कुमार
40. खेम सिंह हीरा सिंह

41. बिशनामल कांशी राम
42. टहिल सिह किशन सिह
43. हरा सिह रणजीत सिंह
44. तिलकराज रामजी दास
45. हरीराम बृजलाल
46. अमरनाथ वेद प्रकाश
47. परसराम किशोरचंद
48. बीरबल दास राजकपूर
49. मंगू राम अशोक कुमार
50. मुखतियार सिह राम सरूप
51. जगत प्रकाश कालड़ा एण्ड को०
52. गणेश मल माना मल
53. मंजीत सिह एवं कंपनी
54. तेलूराम शाम लाल
55. तुलसीराम इन्द्रमल
56. बिशन मल ओम प्रकाश
57. दोला राम लक्ष्मण दास
58. रोशनलाल जगदीश चंद
59. राजाराम ओम प्रकाश
60. मुलख राज जनक राज
61. कौर चंद देश राज
62. नरुता राम अशोक कुमार
63. मनोहर लाल अमृत लाल
64. सोता राम तेज इन्द्रपाल
65. खेतु राम कृष्ण चंद
66. बृजलाल वेद प्रकाश
67. मुंशी राम निरंजन दास
68. रामजीदास देवेन्द्र कुमार वासी रामा मण्डी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा विलेख नं० 2935 दिनांक फरवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तलवंडी साबो में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक: 17-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 23 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० ए० पी० नं० 2260---यत. मुझे आर० गिरधर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो भटिण्डा म स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनाक फरवरी 1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री कपूर सिंह पुत्र वीर सिंह, पीछे अलंकार सिनेमा, भटिण्डा।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मंजीत कौर पत्नी पाला सिंह पुत्र भगत सिंह, रजिन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह पुत्र भगत सिंह, शिविन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह पुत्र भगत सिंह मकान नं० जी० 25 स्टेट गर्वनमेंट मकान सिविल चे,ट भटिण्डा, पाला सिंह पुत्र भगत सिंह : तहसीलदार बुडलाडा तहसील मानसा जिला भटिण्डा

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 4669 दिनांक फरवरी 1980 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भठिण्डा में लिखा है।

आर० गिरधर,
सक्षम० प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक : 23-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1752—अत:, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सम्पत्ति जो कि देवास फ्लोर आयल और डि० आयल्ड केक फैक्ट्री और नन्द वनस्पति के नाम से जानी जाती है। तथा जो देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० नन्दलाल भन्डारी एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी 50, बजाज खाना, इन्दौर। (अन्तरक)

2. मै० एस० एस० लिमिटेड, 618, मार्बल हाउस, 25, स्ट्रेन्ड रोड, कलकत्ता। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जोकि देवास फ्लोर आयल और डि०-आयल्ड केक फैक्ट्री और नन्द वनस्पति और बनी हुई है। खसरा नं० 162,1/, 163/2, 277/2, 278/2, 281, 289, 290, 297/1, 298/1 और 299 नाप 12.99 एकड़ मौजा गांव शंकरगढ़ तहसील देवास जिसकी पूरी इमारत शेड, सुपर स्ट्रक्चर मशीनरी प्लान्ट फरनीचर एन्ड फिटिंग इत्यादि।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 22-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० 1ए०सी०/एक्यू०/80-81/1751—अतः मुझे विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 13 है तथा जो गुलमोहर कालोनी, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मे० वैभव सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या० 2 उदयपुरा, इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कुसुम पत्नि श्री राम लाल 14 छोटा सराफे, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन में के सम्बन्ध कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

के० नं० 1350/1, प्लाट नं० 13 जो गुलमोहर कालोनी, खजराना इन्दौर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 9-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए० सी०क्यू०/80-81/1753— अतः मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बड़वाह इंदौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-2-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकरसिंह सुपुत्र श्री चुन्नीलाल राजपूत निवासी खाती बाल्ल, तहसील बड़वाह।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बाबूलाल उर्फ धन्नालाल सुपुत्र श्री पूनमचन्द सोनी, बड़वाह।

(2) श्री छोटेलाल सुपुत्र श्री देशाजी जाट, बड़वाह।

(3) श्री गुलाब सिंह सुपुत्र शंकरसिंह राजपूत, बड़वाह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 117, सं० नं० 21/32, रकबा 3.93—1.598 हैक्टर्स, जो बड़वाह में स्थित है।

विजय माथुर
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1743—अतः मुझे विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो खजराना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैं० वैभव सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित 2, ऊधापुरा, इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती शोभना देवी पत्नी श्री सुनील कुमार 5/12, शास्त्री मार्किट, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 21, जोकि गुलमोहर खजराना इन्दौर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर, 1980

निदश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1744—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, जो खजराना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है); रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26 फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा की 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० वैभव सहकारी गृह निर्माण संस्था, मर्यादित 2, ऊषापुरा, इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. श्री रमेश पिता नाथुलाल, जी जैन, 6, बाम्ब बाजार, इन्दौर

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 6, जोकि गुलमोहर खजराना इन्दौर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-1980
मोहर :

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन/भोपाल/80-81/1745—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये अधिक है और जिसकी संख्या प्लाट है तथा जो खजराना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० वैभव सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित 2, ऊधापुरा, इन्दौर ।

(अन्तरक)

2. श्रीमति किरन पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह 208, जवाहर मार्ग, इन्दौर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 44, जो कि गुलमोहर, खजराना इन्दौर में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1734— अतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो मिलीनन्द, किबे कालोनी, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-2-1980

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

313-1531/80

1. (1) श्रीमती रसीदा बेगम बेवा एहसान उल्लाह
   (2) वली उल्लाह
   (3) करीम उल्लाह
   (4) इनाम उल्लाह
   (5) श्रीमती जकीया पिता एहसान उल्लाह
   9 सदर बाजार, इन्दौर ।

(अन्तरक)

1. सुशीला देवी पत्नि शिव नारायण द्वारा श्री गणेशराम 16 किबे कम्पाउन्ड, इन्दौर ।
   (2) सुन्दर लाल पिता मगन लाल जी-88, नीलकंठ कालोनी, इन्दौर

(अन्तरिती)

(3) (1) श्री विचित्र सिंह (2) अजीत सिंह (3) तारा सिंह (4) जोरो, सिंह (5) रामचन्द्र (6) संतोष सिंह (7) नंद सिंह
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जोकि 17 किबे कम्पाउन्ड इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1708—अत: मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो शाहपुरा, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. डा० तारानी प्रशन्त शर्मा पिता स्वर्गीय श्री जी० एल शर्मा, सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा, (म० प्र०) (
(अन्तरक)

2. आनन्दपुर ट्रस्ट श्री आनन्दपुर तहसील अशोक नगर जिला गुना द्वारा श्री महात्मा विचार परम आनन्द
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 54 व उस पर निर्मित भवन का भाग स्थित ई-5 शाहपुरा भोपाल कुल 14404.6 वर्गफिट-1304.186 वर्गमीटर में से 2844.6 वर्गफीट जिस पर 'ई' शब्द लिखा है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1709—अतः मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० मकान है तथा जो शाहपुरा, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कल्याण कुमार शर्मा पिता स्वर्गीय श्री जी० एल० शर्मा आल इंडिया रेडियो, गोहाटी।

(अन्तरक)

2. आनन्द पुर ट्रस्ट श्री आनन्दपुर तहसील अशोक नगर, जिला गुना द्वारा श्री महात्मा विचार परम आनन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 54, व उस पर निर्मित भवन का भाग स्थित ई-1, शाहपुरा, भोपाल कुल 14404.6 वर्ग फिट- 1304.186 वर्ग मीटर में से 2880 वर्ग फिट।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, भोपाल

भोपाल दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81-1710—अतः, मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है तथा जो शाहपुरा, भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्रीमती अलेना बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जी० एल० शर्मा निवासी छिंदवाड़ा, द्वारा श्री तारानी प्रसन्ना शर्मा सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा।

(अन्तरक)

2. श्री आनन्दपुर ट्रस्ट श्री आनन्दपुर तहसील अशोक नगर, जिला गुना, द्वारा श्री महात्मा विचार परम आनन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 54 व उस पर निर्मित भवन का भाग स्थित ई-1 शाहपुरा, भोपाल कुल 14404.6 वर्ग फिट- 1304.186 वर्ग-मीटर में से 2900 वर्ग फिट जिस पर 'डी' शब्द लिखा है।

विजय माथुर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-80
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1706— अतः, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो शाहपुरा, भोपाल मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री अशोक कुमार शर्मा पिता स्वर्गीय श्री डा० जी० एल० शर्मा, होल्कर साइंस कालेज, इन्दौर।

(अन्तरिती)

2. आनन्दपुर ट्रस्ट, श्री आनन्दपुर तहसील अशोक नगर, जिला गुना, द्वारा श्री महात्मा विचार परम आनन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 54 व उस पर निर्मित भवन का भाग स्थित ई-1, शाहपुरा भोपाल कुल 14404.6 वर्ग फिट अर्थात 1304.186 वर्ग मीटर में से 2880 वर्ग फिट। जिस पर 'ए' शब्द लिखा है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1707—अतः, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो शाहपुरा भोपाल में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-80 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सुबोधकुमार शर्मा पिता स्वर्गीय श्री जी० एल० शर्मा स्नातक महाविद्यालय, पंडारिया, बिलासपुर।
(अन्तरक)

2. आनन्दपुर ट्रस्ट, श्री आनन्द पुर तहसील अशोक नगर, जिला गुना, द्वारा श्री महात्मा विचार परम आनन्द।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 54 व उस पर निर्मित भवन का भाग स्थित शाहपुरा भोपाल कुल 14404.6 वर्गफीट अर्थात 1304.186 वर्ग मीटर में से 2900 वर्ग फिट जिस पर 'सी' शब्द लिखा है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1748—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग है तथा जो 1/5 मनोरमागंज, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री डा० बृन्दाबन ओहरी, पिता श्री रघुनाथ दास ओह 1-ए/5, मनोरमा गंज, इन्दौर। (अन्तरक)
2. श्री दिनेश चन्द्र झलानी पिता स्वर्गीय श्री सुरेश चन्द्र झलानी, द्वारा डा० बृन्दाबन ओहरी, पिता श्री रघुनाथ दास ओहरी 1-ए/5, मनोरमा गंज, इन्दौर। (अन्तरिती)
3. इन्डियन फार्मास्युटिकल्स (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 1/5, का भाग जोकि मनोरमा गंज, इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1477

अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान का भाग तथा जो 1/5 भाग मनोरमा गंज इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. डा० बृन्दाबन ओहरी पिता श्री रघुनाथ दास ओहरी, 1-ए/5, मनोरमा गंज, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री संजय कुमार तोतला पिता श्री मुरलीधर तोतला, 1/5, मनोरमा गंज, इन्दौर।

(अन्तरिती)

3. इन्डियन फार्मास्युटिकल्स मकान नं० 1/5, मनोरमा गंज, इन्दौर।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 1/5 का भाग जो कि मनोरमा गंज इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1749—अतः, मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान एक प्लाट है तथा जो 3/1, मनोरमा गंज, इन्दौर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 25-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कमल कुमारी पति स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह जी 3/1, मनोरमा गंज, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री एन० के० खंडेलवाल ट्रस्टी, मे० मांगी लाल फेमिली ट्रस्ट 502, एम० जी० रोड, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 3/1 जो कि मनोरमा गंज इन्दौर में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 6-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्तूबर 1980

निदश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1727—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है तथा जो अरेरा कालोनी, भोपाल मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-2-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री गनेशदास पिता श्री राम धन
103, मालवीया नगर, भोपाल ।

(अन्तरक)

2. श्री ओमप्रकाश तिवारी, पिता रामेश्वर दयाल तिवारी 192, ई-3, अरेरा कलोनी, भोपाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जोकि प्लाट नं० 192 ई-3, सेक्टर अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित है ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1750—अतः मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० दूसरा व तीसरा मंजला है तथा जो लाडकाना नगर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-2-80
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मंगल दास सुपुत्र बोदाराम जी, 55, लाडकाना नगर, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री कन्हैयालाल सुपुत्र बोदाराम जी 55, लाडकाना नगर, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लाडकाना नगर इन्दौर में स्थित प्लाट नं० 55 पर बने मकान का दूसरा एवं तिसरा मंजिला।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 9-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/80-81/1754—

अतः मुझे विजय माथुर
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो बड़वाहा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़वाहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकर सिंह सुपुत्र चुन्नीलाल राजपूत
R/o खमकी बाकूल त० बड़वाहा

(अन्तरक)

2. (1) बाबूलाल उर्फ धन्नालाल सुपुत्र पूरनचंद सोनी
(2) छोटेलाल सुपुत्र केसाजी जाट
(3) गुलाब सिंह सुपुत्र शंकर सिंह राजपूत
निवासी बड़वाहा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि रकबा 2.70 (हैक्टर 1.092) खसरा नं० 117, एस० नं० 21/5 बड़वाहा में स्थित ।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए०सी०क्यू०/बी०पी०एल०/80-80/1755—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 7 खसरा नं० 7, सारंगपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सारंगपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री विनायक राव सुपुत्र बलवन्त राव कुटुम्बले, सारंगपुर।

(अन्तरक)

2. श्री दिनेश नाबालिग सुपुत्र स्व० श्री जगन्नाथ श्री चुन्नीलाल माली कुम्हार हांडी, सारंगपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 7—2.456 हेक्टेयर जोकि सारंगपुर आगरा-बाम्बे रोड पर स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए०सी०क्यू०/बी० पी० एल०/80-81/1756—अतः मुझे विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो सारंगपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सारंगपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री विनायक राव सुपुत्र बलवन्त राव कुटुम्बले, सारंगपुर।

(अन्तरक)

2. श्री उमराव उर्फ उमराव सिंह सुपुत्र चुन्नीलाल माली कुम्हार हाडी, सारंगपुर, जिला शाहपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 8, 2.472 हेक्टर जोकि सारंकपुर, आगरा बाम्बे रोड पर स्थित है,

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए०सी०क्यू०/बी०पी०एल०/80-81/1757—अतः, मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो खसरा नं० 11, सारंगपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सारंगपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री विनायक राव सुपुत्र बलवन्त राव कुदिम्बिले, सारंगपुर ।

(अन्तरक)

2. श्री शिवनारायण सुपुत्र श्री चुन्नीलल माली कुम्हार हाडी, सारंगपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 11, 2.468 हेक्टेयर जोकि सारंगपुर, आगरा-बाम्बे रोड पर स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

निर्देश सं० आई० ए०सी०/ए० सी०क्यू०/बी०पी०एल०/80-81/1758—अतः, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ए० बी० रोड, देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-2-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शांतिबाई पत्नि श्री शंकर राव लाटनेकर, 29, कर्मचारी कालोनी, देवास।

(अन्तरक)

2. श्री कन्हैयालाल भार्गव, सोल प्रोप्राइटर : मैसर्स श्रेम प्रापर्टीज, 5/2, ओल्ड पलासिया, इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 685, 686/1, जोकि आगरा-बोम्बे रोड, देवास पर स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए०सी०क्यू०/भोपाल/80-81/1759—अतः, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो हुक्माखेडी मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 29-2-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री कन्हैयालाल
   (2) श्री भागीरथ
   (3) श्री जयराम
   (4) श्री जगन्नाथ सुपुत्र नग्गाजी जाति खाती निवासी ग्राम बिजलपुर, इन्दौर।

(अन्तरक)

2. श्री नवआनन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था, 9, शिव विलास पैलेस, इन्दौर द्वारा श्री शंकर लाल रामगोपाल बिल्लौर अध्यक्ष।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 एकड़ कृषि भूमि जो ग्राम हुक्माखेडी, (खसरा नं० नग 2) में स्थित है।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 13-10-80
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/भोपाल/80-81/1760—अतः, मुझे, विजय माथुर **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है** और जिसकी सं॰ भूमि नं॰ 25पी है, तथा जो गांव किटयानी मंदसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंदसौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 13-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अलफ खां पुत्र मदारी खां, जाति मुसलमान, निवासी नयापुरा मंदसौर ।

(अन्तरक)

2. विजय हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी मर्यादित मंदसौर द्वारा अध्यक्ष श्री केशरी मल जी मेहता एवंम उपाध्यक्ष श्री बालाराम जी हलेव निवासी मंदसौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि नम्बर 25 पी, रकबा 2 हे॰ 639 आरी में से रकबा 490 आरी लगानी 37 पैसे, ग्राम किटयानी, मन्दसौर।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/भोपाल/80-81/1761— अत:, मुझे, विजय माथुर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी संख्या भूमि नं० 25 है तथा जो गांव किटयानी, मंदसौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय मंदसौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री सैयद अहमद खां पुत्र, अलाउद्दीन, मुसलमान, मन्दसौर (नया पुरा)।
   (2) श्री अब्दुल हुसैन पुत्र फजल हुसैन जी बोहरा नया पुरा, निवासी मन्दसौर।

(अन्तरक)

2. विजय हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी मर्यादित मन्दसौर द्वारा अध्यक्ष श्री केशरीमल जी मेहता एवं उपाध्यक्ष श्री बालाराव जी हुलेब, निवासी मन्दसौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि नम्बर, 25-बी०, रकबा 1 हे० 620 आरो में से रकबा 490 आरो वाके ग्राम किटयानी, परगना मन्दसौर।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/भोपाल/80-81/1762—अत: मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 232 है तथा जो मुख्यतयार गंज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सतना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-3-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहनलाल गयादीन कुशवाहा
   सतना ब्रिज के नीचे, मुख्यतयार गंज,
   सतना ।

(अन्तरक)

2. श्री त्रिभुवन सिंह रामपती सिंह,
   माकिन विजयीपुर, तह० केशकत, जिला जौनपुर ।

(अन्तरिती)

3. श्री ब्रिजलाल बाजपई,
   जगत कोचिंग बिल्डिंग, मुख्यितयार गंज,
   ब्रिज के नीचे, सतना ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 232, जो सतना ब्रिज के नीचे मुख्यितयार गंज वार्ड नं० 2 में स्थित है ।

विजय माथुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/भोपाल/80-81/1763—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 725 है, तथा जो राजेन्द्रप्रसाद कालोनी, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-2-1980

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती यशोधरा देवी पत्नि श्री राम गोपाल निवासी बक्षी की गोठ, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री राम गोपाल
   (2) श्री राम नारायण
   (3) श्री बन्सीलाल पुत्र श्री नेतराम शर्मा निवासी ग्राम छपरा, परगना गोहद, जिला भिण्ड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 725, वार्ड नं० 21 में स्थित कालोनी राजेन्द्र प्रसाद कालोनी, ग्वालियर।

विजय माथुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 13-10-1980
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्तूबर 1980

निर्देश सं० आई० ए० सी /एक्यू०/भोपाल/ 80-81/1764—अतः मुझे, विजय माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3/747 है तथा जो पंडरीतराई शान्तिनगर वार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 2-2-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० एन० पाठक, सुपुत्र श्री एस० बी० पाठक मकान नं० 3/747, शान्ति नगर, रायपुर।

(अन्तरक)

2. श्री एस० एस० साहूकार, सुपुत्र श्री तुलसीराम साहूकार प्रिंसिपल, जी० एच० एस० स्कूल, बलखेड़ा, जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 3/747, खसरा नं० 162 जो पंडरी तराई, शान्तिनगर, वार्ड में प्लाट एरिया 522.8 स्क्वायर मीटर पर स्थित है।

विजय माथुर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 13-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

आदेश सं० राज /सहा० आ० अर्जन/—यतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है जो ब्यावर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-2-1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

सर्व श्री :

1. भंवरलाल, मोहनलाल, सीताराम पुत्रान श्री भीकाजी एवं जमना देवी पत्नि श्री भीकाजी, मोती पुरा बाडीया, अजमेर रोड, ब्यावर।

(अन्तरक)

2. नरेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, राम विलास एवं सोभाग सिंह निवासी मालियों का मोहल्ला, सूरजपोल, ब्यावर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नयानगर, ब्यावर में स्थित 4 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि जो उप पंजियक, ब्यावर द्वारा क्रम संख्या 342 दिनांक 14-2-80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 15-10-80
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

आदेश संख्या राज०/सहा० आ० अर्जन/—यतः मुझे, एम० एल० चौहान

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ब्यावर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21 फरवरी, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गोविन्दराम मंगलदास महाराज निवासी ब्यावर।

(अन्तरक)

2. श्री भंवरलाल पुत्र घीसूलाल अग्रवाल, नयानगर, ब्यावर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्राम नरसिंहपुरा, ब्यावर में स्थित 16 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि जो उप पंजियक, ब्यावर द्वारा क्रम संख्या 255, दिनांक 2-2-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 15-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1980

आदेश सं० राज०/सहा० आर्जन/—यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या शहरी भूमि है तथा जो अलवर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अलवर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-2-1980 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री नन्द सिंह पुत्र श्री बाल सिंह, लादिया, मोहल्ला, अलवर।

(अन्तरक)

2. सवश्री : ब्रह्मानन्द, माल सिंह, मोती लाल, जुगल किशोर, इन्द्रा कालोनी, अलवर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2266 वर्ग गज शहरी भूमि, जुवाली भवन के पास, रेलवे क्रोसिंग, अलवर जो उप पंजियक, अलवर द्वारा क्रम संख्या 85/4, दिनांक 28 फरवरी, 1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 15-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

आदेश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/—यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्टरी है तथा जो नीम का थाना में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नीम का थाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 22-2-80 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मोदी मिनरल ग्राईन्डिंग मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नीम का थाना, जिला सीकर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स दास एण्ड कम्पनी नीमा का थाना, जिला सीकर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मोदी मिनरल ग्राईन्डिंग मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली फैक्टरी बिल्डिंग जो नीम का थाना जिला सीकर मे स्थित है और उप पंजियक, नीम का थाना जिला सीकर द्वारा पंजिबद्ध विक्रय पत्र संख्या 323, दिनांक 22-2-80 में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 15-10-80
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 अक्तूबर 1980

आदेश सं० राज०/सहा०आ० अर्जन/—यतः मुझे, एम० एल० चौहान, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० शहरी भूमि है तथा जो अलवर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलवर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-2-80 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नन्द सिह पुत्र श्री बाल सिह, सोंडिया, मोहल्ला, अलवर।

(अन्तरक)

2. सर्वश्री : ब्रह्मानन्द, मल सिंह, मोती लाल, जुगल किशोर, इन्द्रा कालोनी, अलवर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जवाली भवन के पास, रेलवे कालोनी, [illegible] 6444 वर्ग गज शहरी भूमि जो उप पंजियक, [illegible] क्रम संख्या 80/4, दिनांक 27-2-80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० एल० चौहान
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 15-10-80

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 21 अक्तूबर, 1980

निदेश सं० आर-151/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 399 है, तथा जो सिविल लाइन्स, मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता व
   (2) श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्रगण श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ।

(अन्तरक)

2. श्री राम चन्द्र सहगल पुत्र स्व0 श्याम बिहारी सहगल

(अन्तरिती)

3. उपरोक्त क्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता भूमि तिकोनिया प्लाट नं० 399 में से एक किता आराजी भूमि का प्लाट तादादी 498.14 वर्ग मीटर वाके मोहल्ला सिविल लाइन्स, शान्ति नगर, मुरादाबाद एवं वह तमाम सम्पत्ति, जो फार्म 37-जी, संख्या 130/80 और सेल डीड में वर्णित है, जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 21-2-1980 को किया जा चुका है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन जरेंज, लखनऊ

तारीख : 21-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 23 अक्तूबर 1980

निदेश सं॰ के-94/अर्जन—अत: मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ डी-58/9-ए, है तथा जो मो॰ कबर आशिक-मासूक मोजा रामापुर वाराणसी, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती किरन आगा,

(अन्तरक)

सर्व श्री :

2 कृष्ण प्रताप सिंह, राना प्रताप सिंह, राना प्रताप सिंह, सुरेन्द्र प्रताप सिंह, गौतम, परिवार ट्रस्ट, द्वारा संजय बहादुर सिंह नीरज कुमार सिंह ।

(अन्तरिती)

3 दोलिप मुखर्जी,
पो॰ गिलदयाल तेजबहादुर ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक किता मकानमय जमीन नं॰ डी-58/9-ए, पैमाइशी 3107.25 वर्ग मीटर जो मोहल्ला कबरआशिक माशूक सिगरा मौजा रामापुरा परगना देहात अमानत वाराणसी में स्थित है और जिसका पूर्ण विवरण सेलडीड एवं फार्म 37-जी संख्या 1325/80 में वर्णित है, जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय वाराणसी के यहां दिनांक 20-2-1980 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 23-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोचीन-15

कोचीन-15, दिनांक 9 सितम्बर 1980

निदेश सं० एल० सी० 421/80-81/—206 यतः मुझे, वी० आर० नायर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार तथा जो इरिंगपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोट्टप्पडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री पी० चिन्नुअम्मा, पी० कल्यानियम्मा, और पी० गोपालकृष्णन

(अन्तरक)

2. श्रीमती मालति अम्मा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 5/8 cents of land with a building as per schedule attached to Doc. No. 113/80 dated 12-2-80.

वी० आर० नायर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 9-9-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोचीन-15

कोचीन-15, दिनांक 4 अक्तूबर, 1980

निदेश सं० एल० सी०424/80-81—यतः मुझे वी० वी० मोहन लाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अरनाट्टकरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ट्रिच्चूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-2-80
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० वी० फान्सीस,

(अन्तरक)

2 श्री के० पी० इनीज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

6.39 areas of land with building in Sy No. 47/4 of Aranathukare village

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 4-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-15, दिनांक 4 अक्तूबर, 1980

निदेश सं० एल० सी० 424/80-81—यत: मुझे वी० मोहनलाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अरनाट्टुकरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ट्रिच्चूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5-2-1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उस दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एन० पी० डवीस
(अन्तरक)

2. श्रीमती टी० के० सिसिली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

6.8 cents of land with building in Sy. No. 143/1, 2 and 1027 of Aranathukara Village.

वी० मोहनलाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम ।

दिनांक : 4-10-1980
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-15, दिनांक 4 अक्तूबर 1980

निदेश सं० एल० सी० 426/80-81—यत: मुझे वी० मोहनलाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो एरणाकुलम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-2-1980

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री एम० पी० मेनोन

(अन्तरक)

2. श्रीमती एल० राधालक्ष्मी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4.945 cents of land with building in Sy. No. 523 & 2237 of Karithala Desam, Ernakulam Village.

वी० मोहनलाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 4-10-1980

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-15, दिनांक 4 अक्तूबर 1980

निदेश सं० एल० सी० 427/80-81—यत: मुझे, वी० मोहनलाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो ट्रिच्चूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चेलाक्करा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-2-1980
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लूयीस (अन्तरक)

2. श्री के० सी० ईप्पन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

19.1 cents of land with building in Sy. No. 406/1 of Ollen Village.

वी० मोहनलाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 4-10-1980
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 9th October 1980

No. A-19014/11/80-Admn.I.—The Chairman, Union Public Service Commission, is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sharadamba Rao, formerly Reader in the National Council of Educational Research and Training, New Delhi, as Deputy Secretary in the Office of the Union Public Service Commission, on deputation, for a period of two years with effect from the forenoon of 26th September 1980, or until further orders, whichever is earlier, under proviso to Regulation 4 of the Union Public Service Commission (Staff) Regulations, 1958.

S. BALACHANDRAN
Dy. Secy.
for Chairman
Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 30th September 1980

No. 32013/3/80-Admn.I(i).—The President is pleased to appoint the following officers in the office of the Union Public Service Commission to officiate as Under Secretaries on *ad-hoc* basis in Grade I of the Central Secretariat Service for the period shown against each, or until further orders, whichever is earlier.

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1.	D. P. Roy Section Officer	From 10-5-80 to 30-6-80 and from 2-7-80 to 1-10-80
2.	T. M. Kokel Private Secretary	From 27-3-80 to 26-6-80 and from 28-6-80 to 31-7-80
3.	M. S. Chhabra Section Officer	From 2-7-80 to 31-7-80

No. A. 32013/3/80-Admn. I (ii)—The President is pleased to appoint the following officers in the office of the Union Public Service Commission to officiate as Under Secretaries on adhoc basis in Grade I of the Central Secretariat Service for the period shown against each, or until futher orders, whichever is earlier:—

S. No.	Name	Period
	S/Shri	
1.	M. P. Jain Private Secretary	From 28-5-80 to 31-7-80
2.	A. Gopalakrishnan Private Secretary (Officiating as Desk Officer)	From 28-5-80 to 31-7-80
3.	G.P. Saxena Section Officer [Officiating as Section Officer (Special)]	From 28-5-80 to 25-7-80
4.	J.S. Sawhney Section Officer [Officiating as Section (Officer (Special)]	From 28-5-80 to 7-7-80
5.	R.N. Sharma Section Officer	From 1-6-80 to 3-7-80

S. BALACHANDRAN
Dy. Secy.
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE

New Delhi-110022, the 13th October 1980

No. P.VII-2/79-Estt.—S/Shri Gian Chand Sharma and V. S. Yadav, office Superintendents of the CRPF are promoted to the grade of Section Officers on regular basis in the Directorate General, CRPF w.e.f. 8th July 1980 (FN) and 8th September 1980 (FN) respectively.

The 15th October 1980

No. O.II-1482/80-ESTT.—The President is pleased to appoint the following as General Duty Officer Grade-II (Deputy Supdt. of Police/Coy Commander) in the C.R.P. Force in a temporary capacity with effect from dates noted against each subject to their being medically fit :—

1. Dr. (Mrs.) Sneh Gupta 30-8-1980 (FN).
2. Dr. Sree Kanta Swamy 8-9-80 (FN).

A. K. SURI
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-19, the 10th October 1980

No. E-16014(6)/1/79-PERS.—On transfer on deputation Shri H. S. Randhawa assumed the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, IOC Gujarat Refinery, Baroda w.e.f. the forenoon of the 11th July 1980.

No. E-38013(3)/8/80-PERS.—On transfer from Jaduguda Shri O. P. Sharma assumed the charge of the post of Asstt. Comdt, CISF Unit, NFL Panipat w.e.f. the forenoon of 20th September 1980 vice Shri S. C. Laul who on transfer to New Delhi relinquished charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer to Cochin Shri K. L. Luke relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt., CISF Unit, VPT Visag w.e.f. the afternoon of 22nd July 1980.

2. This issues in supercession of Notification issued *vide* even number dated 7th September 1980.

The 14th October 1980

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer from Panipat Shri S. C. Laul, assumed the charge of the post of Asstt. Comdt, (Intelligence), CISF HQrs, New Delhi w.e.f. the forenoon of 1st October 1980.

No. E-38013(3)/9/80-Pers.—On transfer to Talcher Shri M. A. Jabbar relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, HEC Ranchi w.e.f. the afternoon of 11th September 1980.

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer from Ranchi Shri M. A. Jabbar assumed the charge of the post of Asstt. Comdt, CISF Unit, FCI Talcher w.e.f. the forenoon of 22nd September 1980 *vice* Shri T. K. Banerjee, Asstt. Comdt who on transfer to Vishakhapatnam relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer from Panna Shri P. P. Sahajpal assumed the charge of the post of Asstt. Comdt, CISF Unit, A.S.P. Durgapur w.e.f. the forenoon of 23rd September 1980.

No. E-38013(3)/9/80-PERS.—On transfer from Durgapur Shri S. N. Singh assumed the charge of the post of Asstt. Comdt, CISF Unit, UCIL Jaduguda w.e.f. the forenoon of 8th September 1980 *vice* Shri O. P. Sharma, Asstt. Comdt. who relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(2)/1/80-Pers.—On transfer from Rourkela Shri V. Krishnappa assumed the charge of the post of CISF Unit, VPT Visakhapatnam w.e.f. the forenoon of 19th September 1980.

Sd/—
Inspector-General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 15th October 1980

No. 7/10/79 Ad.I.—In supersession of this office notification of even number dated 14th December 1979, and on the

recommendation of the Departmental Promotion Committee and in consultation with the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the under-mentioned officers to the post of Assistant Director (Data Processing) in the Office of the Registrar General, India, New Delhi, in substantive capacity, with effect from the 3rd December 1977 :—

S. No. and Name of the Officer

1. Shri S. N. Chaturvedi.
2. Shri Himakar.
3. Shri H. R. Ghulyani.

No. 11/37/80 Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Gill, Investigator, in the Office of the Director of Census Operations, Punjab, Chandigarh, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of one year, with effect from the afternoon of the 25th September 1980, or till the post is filled in, on regular basis, whichever is earlier.

2. The headquarters of Shri Gill will be at Chandigarh.

3. The abovementioned *ad hoc* appointment will not bestow upon Shri Gill any claim to regular appointment to the grade of Assistant Director of Census Operations (Technical). The services rendered by him on *ad hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The abovementioned *ad-hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the competent authority without assigning any reason therefor.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

MINISTRY OF LABOUR

LABOUR BUREAU

Simla-171004, the 8th November 1980

No. 23/3/80-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1960=100 increased by five points to reach 402 (Four hundred and two) during the month of September, 1980. Converted to base2: 1949=100 the index for the month of September, 1980 works out to 489 (Four hundred and eighty-nine).

A. S. BHARDWAJ, Jt. Dir.
Labour Bureau,

MINISTRY OF FINANCE

(DEPTT. OF E.A.)

INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 17th October 1980

No. 1378/A.—In continuation of Notification No. 1280/A, dated 4th October 1980, the *ad hoc* appointments of S/Shri A. S. Palkar and G. Narayansamy as Dy. Control Officer, India Security Press, Nasik Road will be treated as regular with effect from 9th October 1980.

No. 1379/A.—The undersigned hereby appoints Shri G. T. Chaure, Inspector Control (Class-III non-Gazetted), India Security Press, Nasik Road, to officiate as Dy. Control Officer (Class II Gazetted) in India Security Press, in the revised scale of pay Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on regular basis against the shadow post of Control Officer, I.S.P. newly created vide GIMS. letter No. F.5(29)/80-Cy(I), dated 31st July 1980, with effect from the forenoon of 9th October 1980.

P. S. SHIVARAM
General Manager

BANK NOTE PRESS

Dewas, the 12th October 1980

No. BNP/C/43/80.—Shri K. M. Saksena, Junior Accounts Officer of the Office of the Chief Controller of Accounts, C.B.E.C., New Delhi, is appointed on deputation as Administrative Officer in the Bank Note Press, Dewas (M.P.) with effect from 28th September 1980 (FN) to 22nd September 1981.

M. V. CHAR
Dy. General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

MAHARASHTRA-I

Bombay-20, the 3rd October 1980

No. Admn.I/Genl/31-Vol.III/C1(1)/10.—The Accountant General, Maharashtra-I, Bombay is pleased to appoint Shri S. N. Petty, Section Officer (Audit and Accounts) to officiate as Accounts Officer in this office with effect from 30th May 1980 FN, until further orders.

The notification issued under this office No. Admn.I/Genl/31-Vol.III/C1(1)/3, dated 27th June 1980 may be treated as cancelled.

S. R. MUKHERJEE
Sr. Dy. Accountant General/M

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT

DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 21st October 1980

No. 3095/A.Admn/130/79-80.—The Director of Audit, Defence Services, is pleased to appoint Shri C N Jayaraman, Substantive member of Sub-ordinate Accounts Service, to officiate as Audit Officer in the office of the Joint Director of Audit, Defence Services, Patna, with effect from 22nd September 1980 (FN), until further orders.

K. B. DAS BHOWMIK
Joint Director of Audit, DS

MINISTRY OF DEFENCE

ORDNANCE FACTORY BOARD

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta, the 30th September 1980

No. 65/G/80.—The President is pleased to appoint the under mentioned Officers as Offg. GM(SG)/Level-I/DDGOF-Level-I with effect from the date shown against them, until further orders:—

(1) Shri C.S. Gourishankaran, Offg. GM (SG)/ Level-II.	30th August, 1980
(2) Shri G N. Ramaseshan, Offg. GM (SG)/ Level-II.	30th August, 1980
(3) Shri J. C. Marwah, Offg. GM (SG)/ Level-II.	30th August, 1980 (Under 'Next Below Rule')
(4) Shri R K. Chellam, Offg. DDGOF/Level-II.	30th August, 1980
(5) Shri V.V. Karmarkar, Offg. DDGOF/Level -II.	30th August, 1980
(6) Shri K. Narayan, Offg. GM (SG)/Level-II	30th August, 1980

No. 66/G/80—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offig. Dy. Manager/DADGOF with effect from the date shown against them, until further order:—

(1) Shri P. M. Sen. Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(2) Shri B. L. Sharma, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(3) Shri Sukumar Ghosh, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(4) Shri S. K. Banerjee, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(5) Shri V. S. Chandramouli, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(6) Shri R. Vasudevan, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(7) Shri P. N. Subramaniam, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(8) Shri A.R. Das, Offg. TSO.	14th Aug., 1980
(9) Shri T. A. V. R. Nambissan, Offg. A.M.	14th Aug., 1980
(10) Shri R. N. Upadya, Offg. T.S.O.	14th Aug., 1980
(11) Shri S. K. Pal, Offg. A.M.	14th Aug., 1980.

No. 67/G/80—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Offg. Asstt. Manager/TSO with effect from the date shown against them, until further orders:—

(1) Shri B. S. Gosavi, Pt. Foreman	1st May, 1980
(2) Shri C. L. Dhar, Pt. Foreman	1st May, 1980
(3) Shri. A. K. Samaddar, Pt. Foreman	1st May, 1980
(4) Shri S. N. Roy, Pt. Foreman	1st May, 1980
(5) Shri K. Ghosh, Pt. Foreman	1st May, 1980.
(6) Shri S. S. Murthy, Pt. Foreman	1st May, 1980
(7) Shri T. C. Sengupta, Pt. Foreman	1st May, 1980
(8) Shri B. Vaidyanathan, Pt. Foreman	1st May, 1980
(9) Shri E. S. Nilakantan, Offg. Foreman	1st May, 1980
(10) Shri O. D. Mishra, Offg. Foreman	1st May, 1980
(11) Shri A. V. Vishwanathan, Offg. Foreman	1st May 1980
(12) Shri N. C. Sarkar, Offg. Foreman	21st May, 1980
(13) Shri N. C. Ghosh, Offg. Foreman	2nd May, 1980

CORRIGENDUM

No. 68/G/80.—Entries at Serial No. 3 of this office Gazette Notification No. 3/G/80, dated 7-2-80 both in English and Hindi-Version published under No. 381/A/G, dated 7/11-2-80 may please be substituted as under :—

Shri S. R. Agarwal, AM (Prob) 23rd October 1979 (under "Next Below Rule").

The 14th October 1980

No. 69/80/G.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as Asstt. Manager (Prob) with effect from the dates shown against them :—

1. Shri K. SETHURAM 21-12-79.
2. Shri P. S. AMBIKAPATHY 23-6-80.
3. Shri Mahesh CHANDRA 7-8-80.
4. Shri D. K. SRIVASTAVA 5-12-79.
5. Shri T. V. RAO 19-6-80.
6. Shri Apurba GUHA 9-6-80.

V. K. MEHTA
Asstt. Director General, Ordnance Factories

Calcutta, the 9th October 1980

PROMOTION

No. 24/80/A/E-1(NG).—The DGOF is pleased to promote Shri Dilip Kumar Mitra, Permanent Assistant, as Assistant Staff Officer, on *ad-hoc* basis, against an overall vacancy of T.S.O. from 20th August 1980 until further orders.

Shri Mitra assumed the higher duties as A.S.O. w.e.f. 17th September 1980 (F.N.).

The 14th October 1980

CORRIGENDUM

No. 23/80/A/E-1(NG).—This office Gazette Notification No. 9/80/A/E-1(NG)/80, dated 16th May 1980 regarding ex-post-facto approval to the appointment of Superintendents as Assistant Staff Officers (Group 'B') Gazetted on *ad hoc* basis is amended as under :—

Against Sl. No. 64 Shri Nirmal Chandra Das under column 'From'

For : 15-12-69
Read : 17-12-69.

D. P. CHAKRAVARTI
ADGOF/Admin
for Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

DEPARTMENT OF TEXTILES

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 10th October 1980

No. 18(1)/77/CLB.II.—In exercise of the Powers conferred on me by clause 11 of the Textile (Production by Powerlooms) Control Order, 1956, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. 15(2)67-CLB.II/B, dated the 13th January 1972, namely :—

In the Table appended to the said Notification, against S. No. 22(ii) the existing entries under columns 2, 3 and 4 shall be substituted by the following, namely :—

"22(iii) Director, Sericulture and Weaving Assam Shillong. 6, 6B, 6C, 7A, 8, 8A (outside Co-operative sector)".

No. CLBI/1/6-G/80.—In exercise of the powers conferred on me by clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948 and with the previous sanction of the Central Government, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioner's Notification No. CLBI/1/6-G/71, dated the 13th January 1972, viz.

In the Table appended to the said Notifications, against S. No. 22, for the existing entries under columns 2, 3 and 4, the following shall be substituted, namely :—

"22(ii)	Director, Sericulture and Weaving, Shillong	Assam	12(6), 12(6A), 12(7A), 12(7AA), 12C and 12E for outside Co-operative sector).
(iii)	Secretary, Sericulture and Weaving, Department	Assam	12(7A) & 12 (7AA).

M. MADURAI NAYAGAM
Additional Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 14th October 1980

No A-1/42 (42) —The President is pleased to appoint the following officers of the Directorate General of Supplies & Disposals substantively in the permanent post with effect from the dates mentioned against each —

S. No.	Name of the officer	Officiating post held at present.	Post in which confirmed	Date of confirmation as Director	Remarks
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	B. L. Sharma	Director (Grade I of the Indian Supply Service, Class I) (Group 'A'), DGS&D, New Delhi.	Director (Grade I of Indian Supply Service Class I) (Group 'A')	15-3-78	vice Shri S. C. Agrawal, permanent Director cofirmed as DDG w.e.f. 1-12-75
2.	K K Nag	Director (Grade I of the Indian Supply Service Class I) (Group 'A') DS&D, Calcutta	Do.	15-3-78	vice Shri P. K. Chatterjee, Permanent Director retired from Govt. service on 31-12-76 (AN).
3.	A. S. N. Murty	Director (Grade I of Indian Supply Service, Class I) (Group 'A') DGS&D, New Delhi	Do.	15-3-78	vice Shri P. C. Mathur, Permanent Director retired from Govt. service on 28-2-78.
4.	M. Singh	Director (Retired) (Grade I of Indian Suply Service, Class I) (Group 'A') DGS &D, New Delhi.	Do.	1-10-78 (retired from service on 31-1-80)	vice Shri B. R. R. Iyengar, Permanent Director confirmed as DDG.
5	V. Nagaraja	Director (Grade I of the Indian Supply Service, Class I) (Group 'A') DGS&D, New Delhi	Director (Grade I of the Indian Supply Service Class I) (Group 'A')	1-11-78	vice Shri P. P. Kapoor Permanent Director, retired from Govt. service on 31-9-78.
6.	R N. D s	Director (Grade I of the Indian Supply Service, Class I) (Group 'A') DGS&D, New Delhi.	Do.	27-3-80	vice Shri J. C. Bhandari, Permanent Director confirmed as DDG.

The 15th October 1980

No. A-1/1(1163).—On the recommendation of the UPSC, the President is pleased to appoint Shri G S. Chaturvedi, as Deputy Director (Sales Tax) in the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi w.e.f the afternoon of 1st October 1980

The appointment of Shri Chaturvedi is temporary and he will be on probation for a period of two years w e f 1st October 1980 (AN)

K. KISHORE
Dy Director (Administration)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
(KHAN VIBHAG)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 15th October 1980

No. 8148B/A-19012(3-DSR)/80-19B —Shri D S Rao, Senior Technical Assistant (Chem), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Chemist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 15th July 1980, until further orders.

The 16th October 1980

No 6341N/A-19012(3-YSS)/80-19B —Shri Y. S. Sastry, Senior Aechnical Assistant (Chem), G S.I. is appointed on promotion as Assistant Chemist in the G S I on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th July 1980, until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 16th October 1980

No A19011(39)/79-Estt A —On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri G. S Kumar, Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines to officiate as Regional Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 19th September 1980, until further orders.

No A.19012(131)/80-Estt A —On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri D J Tahalramani, officiating Senior Technical Assistant (Ore Dressing) of Indian Bureau of Mines is promoted as Assistant Research Officer (Ore Dressing) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30th August 1980

No A 19012(132)/80 Estt.A —Shri P D Gangane, Officiating Senior Technical Assistant (Ore Dressing) of Indian Bureau of Mines is promoted as Assistant Research Officer (Ore Dressing) on *ad hoc* basis for a period of three months with effect from the forenoon of 30th August 1980

S. V. ALI
Head of Office

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 13th October 1980

No. 4(38)/80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. Manaobi Singh as Programme Executive, All India Radio, Imphal in a temporary capacity with effect from 23rd August 1980 and until further orders.

No. 4(80)/80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Rati Ranjan Mishra as Programme Executive, All India Radio, Jeypore, in a temporary capacity with effect from 28th August 1980 and until further orders.

No. 4(89)/80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Sailothanga Sailo as Programme Executive, All India Radio, Aizwal in a temporary capacity with effect from 29th August 1980 and until further orders.

No. 4(95)/80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Praduman Singh as Programme Executive, All India Radio, Jammu in a temporary capacity with effect from 10th September 1980 and until further orders.

No. 4(81)/80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri B. S. Sawai as Programme Executive, All India Radio, Aurangabad in a temporary capacity with effect from 28th August 1980 and until further orders.

The 16th October 1980

No. 4(19)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Kum. Pramila Rao as Programme Executive, All India Radio, Jaipur in a temporary capacity with effect from 28th August 1980 and until further orders.

No. 4(20)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Shashank Singh Adarsh as Programme Executive, All India Radio, Jagdalpur in a temporary capacity with effect from 27th September 1980 and until further orders.

No. 4(25)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. V. Kapil as Programme Executive, All India Radio, Chandigarh in a temporary capacity with effect from 17-9-80 and until further orders.

No. 4(36)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Prem Chand Pahawa as Programme Executive, All India Radio, Simla in a temporary capacity with effect from 8-9-80 and until further orders.

No. 4(56)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri B. S. Chauhan as Programme Executive, All India Radio, Ahmedabad in a temporary capacity with effect from 8-9-80 and until further orders.

No. 4(57)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri U. P. Parmar as Programme Executive, All India Radio, Ahmedabad in a temporary capacity with effect from 30-8-80 and until further orders.

No. 4(79)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri B. S. Shivananda as Programme Executive, All India Radio, Mangalore in a temporary capacity with effect from 27-8-80 and until further orders.

No. 4(80)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri B. C. Ingale as Programme Executive, All India Radio, Jalgaon in a temporary capacity with effect from 1-9-80 and until further orders.

The 21st October 1980

No. 4(32)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri L. D. Mandloi as Programme Executive, All India Radio, Raipur in a temporary capacity with effect from 30-8-80 and until further orders.

No. 4(60)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. Mehanathan as Programme Executive, All India Radio, Madras in a temporary capacity with effect from 11-9-80 and until further orders.

No. 4(85)80-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri H. T. Kakwani as Programme Executive, All India Radio, Ahmedabad in a temporary capacity with effect from 27-9-80 and until further orders.

H. C. JAYAL
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 14th October 1980

No. 3/39/64-SII.—Director General, All India Radio, hereby appoints Shri C. R. Paul, Head Clerk, Doordarshan Kendra, Calcutta to officiate on *ad hoc* basis as Administrative Officer, All India Radio, Kurseong with effect from 29-9-80 (FN).

S. V. SESHADRI,
Deputy Director of Administration
for Director General

(Civil Construction Wing)

New Delhi, the 16th October 1980

No. A. 12011/2/80-CWI—The Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint the following persons on promotion as Asstt. Engineers/Asstt. Surveyor of Works (Civil/Elect.) in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200/- at places and with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name & Designation	Place of posting	Date from which appointed
	S/Shri		
1.	K. Velukutty, AE(C)	Jalgaon (Bombay Dvn)	31-7-80 (FN)
2.	V. Ramachandran, AE (C)	Gauhti (Gauhati Dvn)	13-9-80 (AN)
3.	D. P. Mandal, AE (C)	Almorah (Luk. Dvn)	29-8-80 (FN)
4.	A. K. Chakraborty, ASW (C)	Calcutta (Circle Office)	30-7-80 (FN)
5.	A. K. Khan, AE(C)	Siliguri (Cal . Dvn)	30-7-80 (FN)
6.	A. P. Diwakaran, AE(C)	Srinagar (Delhi Dvn)	23-8-80 (AN)
7.	K. P. Sankaran AE(C)	Aizwal (Gauhati Dvn)	15-9-80 (FN)
8.	S. N. Bhattacharya, AE (E)	Bombay Sub Dvn	3-9-80 (AN)
9.	S. N. Mandal, AE(E)	Calcutta Sub Dvn	30-7-80 (FN)
10.	A. J. S. Uppal, AE(E)	Gauhati Sub Dvn	14-8-80 (AN)

Their appointment is governed by the terms and conditions contained in the order of promotion bearing No.2A-3204/1/80 CWI dt. 25-8-1980 already issued to them.

S. RAMASWAMY
Engineer Officer to Addl. CE (C)
for Director General

DIRECTORATE GENERAL : DOORDARSHAN

New Delhi, the 15th October 1980

No. A-12020/3/79-SII—The following officers of the office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi, are appointed on deputation basis as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-1200 in the office indicated against them with effect from the dates mentioned against each for a period of two years:—

Sl. No.	Name	Date of joining	Office
1	2	3	4
1.	Shri Ram Babu	14-7-80 (FN)	Office of the Controller of Sales, Doordarshan, New Delhi.

1	2	3	4
2.	Shri A. L. Syngol	1-8-80 (FN)	Office of the Station Engineer, Central Purchase & Stores, Doordarshan, New Delhi.

The pay and allowance of the above officers will be governed by the terms and conditions laid down in the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 10(24) E-3/600 dated 4th May, 1961 as amended from time to time.

C. L. ARYA
Dy. Director of Admn.
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-110001, the 14th October 1980

No. A. 38012/2/80-Est.—The Director of Advertising & Visual Publicity hereby appoints Shri S. K. Ghosh as Assistant Production Manager (Printed Publicity) in a temporary capacity on *ad hoc* basis, with effect from the forenoon of 8th October, 1980, until further orders.

J. R. LIKHI,
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 15th October 1980

No. A.12025/2/80(AIIHPH)/Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Arunabha Majumdar to the post of Assistant Professor of Sanitary Engineering (Design) at the All-India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta, with effect from the forenoon of the 19th September, 1980, on temporary basis and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director of Administration (O&M)

New Delhi, the 16th October 1980

No. A.32015/1/80-SI.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Ram Parshad Soni in the post of Assistant Depot Manager, Government Medical Store Depot, Karnal on an *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 15th September 1980, and until further orders.

The 21st October 1980

No. A.32013/1/79-SI.—The President is pleased to appoint Shri Sohan Lall in the post of Depot Manager, Government Medical Store Depot, Karnal in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 5th September, 1980 and until further orders.

SHIV DAYAL
Deputy Director of Administration (Stores)

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 14th October 1980

No. A. 19027/2/80-A-III.—Shri D. P. Bandooni, Hindi Translator, is appointed to officiate as Hindi Officer in this Directorate at Faridabad with effect from 26-9-1980 (forenoon) on purely short-term & *ad hoc* basis upto 28-2-1981 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

B. L. MANIHAR
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 4th October 1980

No. PPED/4(787)/79-Adm.—Consequent of his resignation having been accepted by the Director, Power Projects Engineering Division, Shri N. P. Pillai, a Quasi Permanent Scientific Assistant 'B' and Officiating Scientific Officer Engineer Grade 'SB' relinquished charge of his post in the Power Projects Engineering Division on the afternoon of September 26, 1980.

S. G. NAIR
Chief Administrative Officer

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Bulandshahr, the 14th October 1980

No. NAPP/Adm/1(177)/80-S/14066.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project appoints Shri L. C. Chaudhary a permanent Draftsman 'B' in Central Pool of Power Projects Engineering Division and officiating Scientific Officer/Engineer grade SB in the Rajasthan Atomic Power Project to officiate as Scientific Officer/Engineer grade SB in the Narora Atomic Power Project with effect from the forenoon of June 5, 1980 until further orders.

A. D. BHATIA
Administrative Officer
for Chief Project Engineer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 25th September 1980

No. DPS/2/1(5)/77-Adm./16516.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri S. R. Vaidya, Storekeeper of this Directorate to officiate as Asstt. Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000—EB—40—1200/- on an *ad hoc* basis in the same Directorate with effect from April 21, 1980 (FN) to June 7, 1980 (AN) *vice* Shri M. K. John Asstt. Stores Officer granted leave.

C. V. GOPALAKRISHNAN
Assistant Personnel Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 16th August 1980

ORDER

Ref. No. NFC/PA. V/2606/0302/1674.—1. WHEREAS Shri Yousuf Ali Khan, while functioning as Scientific Assistant 'A', MFP, did not report for duty on expiry of leave sanctioned to him from 2-4-80 to 28-4-80 with permission to suffix 29-4-80, 30-4-80 and 1-5-80, but instead sent a letter dt. 30-4-80 requesting for extension of leave by about 15 days;

2. AND WHEREAS a telegram was sent by NFC Administration to Shri Yousuf Ali Khan on 17-5-80 asking him to report for duty immediately and the post copy of the telegram bearing Ref. PA. IV/Y-9/EES/1248 dt. 17-5-80 sent by registered post (acknowledgement due) to H. No. 19-3-616, Gazi Banda, Hyderabad-500253, was returned undelivered by postal authorities with remarks "party out of station";

3. AND WHEREAS Shri Yousuf Ali Khan sent one more letter dt. 13-5-80 from Vijayawada asking for extension of leave by one more month;

4. AND WHEREAS one more telegram was sent by NFC-Administration to Shri Yousuf Ali Khan on 22-5-80 informing him that extension was not granted and asking him to report for duty immediately;

5. AND WHEREAS the post copy of the said telegram dt. 22-5-80 bearing Ref. PA. IV/Y-9/EES/1297 dt. 22-5-80 sent by registered post (acknowledgement due) to H. No. 42-2-14, Ajit Singh Nagar, Block No. 39, Vijayawada-15, was returned undelivered by postal authorities with remarks "no such addressee in block No. 39; hence returned to the sender";

6. AND WHEREAS Shri Yousuf Ali Khan did not report to duty in spite of above written instructions from Administration;

7. AND WHEREAS the Disciplinary Authority proposed to hold an inquiry against Shri Yousuf Ali Khan under rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 and a charge-sheet vide Memorandum No. NFC/PA. V/2606/0302/1487 dt. 24-7-80 was sent by registered post with acknowledgement due to H. No. 19-3-616, Gazi Banda, Hyderabad-500253 and H. No. 42-2-14, Ajit Singh Nagar, Block No. 39, Vijayawada-15;

8. AND WHEREAS the copies of the said memorandum No. NFC/PA. V/2606/0302/1487 dt. 24-7-80 addressed to H. No. 19-3-616, Gazibanda, Hyderabad-500253, and H. No. 42-2-14, Ajit Singh Nagar, Block No. 39, Vijayawada-15 (A.P.) were returned undelivered by postal authorities with the remarks "party out of India" and "the addressee not known" respectively;

9. AND WHEREAS the said Shri Yousuf Ali Khan continued to remain absent and failed to inform the Nuclear Fuel Complex of his whereabouts;

10. AND WHEREAS the said Shri Yousuf Ali Khan had been guilty of voluntary abandoning service;

11. AND WHEREAS because of his abandoning service without keeping Nuclear Fuel Complex informed of his whereabouts, the undersigned is satisfied that it is not reasonably practicable to hold an inquiry as provided in Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965;

12. NOW, THEREFORE, the undersigned in exercise of the powers conferred under DAE Order No. 22(1)/68-Adm-II dated 7-7-79 and/or under Rule 19(ii) of CCS (CCA) Rules, 1965, hereby removes the said Shri Yousuf Ali Khan, Scientific Assistant 'A', Maint. (F), from services with immediate effect.

Sd./- N. KONDAL RAO
Chief Executive

1. Shri Yousuf Ali Khan
H. No. 19-3-616,
Gazi Banda,
Hyderabad-500253.
2. Shri Yousuf Ali Khan,
H. No. 42-2-14,
Ajit Singh Nagar,
Block No. 39,
Vijayawada-15, A.P.

Hyderabad, the 27th August 1980

No. NFC/PAR/0704/5720.—In continuation of this Office Notification No. NFC/PAR/0704/5335 dated August 2, 1980, the Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Sri P. Raja Gopalan, an industrial temporary Selection Grade Clerk to officiate as Asstt. Personnel Officer, on *ad hoc* basis in Nuclear Fuel Complex from 11-8-1980, until further orders.

P. S. R. MURTY
Administrative Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603 102, the 7th October 1980

No. MAPP/31(1266)/75-IE.—WHEREAS an Enquiry under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification Control & Appeal) Rules, 1965 is ordered against Shri K. V. Mani, a temporary Tradesman (A) in the Madras Atomic Power Project;

AND WHEREAS the undersigned has been appointed as the Inquiring Authority by the Chief Project Engineer, Madras Atomic Power Project in exercise of the powers conferred on him by Sub Rule 2 of the said Central Civil Services (Classification Control & Appeal) Rules;

AND WHEREAS regular hearings of the enquiry were held on August 11, 1980, September 8, 1980 and September 29, 1980 during which hearings, the delinquent official failed to appear before the Inquiring Authority despite due services of the notices by Registered Post:

AND NOW THEREFORE the undersigned hereby notify that the said Shri K. V. Mani should appear before the undersigned on any working day within 21 days from the date of publication of this notification in the official Gazette of India.

K. JAMBULINGAM
Inquiring Authority

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500 016, the 13th October 1980

No. AMD-8/1/80-Adm.—Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Som Nath Sachdeva, permanent Assistant and officiating Hindi Translator in the Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Division with effect from 29-9-1980 to 1-11-1980, vice Shri J. R. Gupta, Assistant Personnel Officer granted leave.

M. S. RAO
Sr. Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 29th August 1980

No. A. 32013/9/78-EC—In continuation of this Department notification No. A. 32013/9/78 EC, dated 30-4-79, the President is pleased to continue the adhoc appointment of the undermentioned two Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer at the station and for the period of six months beyond the dates mentioned against each or till the regular appointments are made to the grade whichever is earlier:—

S. No.	Name	Station of posting	Period of continued ad-hoc appointment
1.	Shri K. Chandra Chudan	Director, Radio Constr. & Dev. Units, N. Delhi.	Beyond 28-9-79
2.	Shri N. R. N. Iyengar	Do.	Beyond 28-9-79

Serial number 3 & 4 of this Department Notification No. A. 32013/9/78-EC, dated 8-1-80 are hereby cancelled.

No. A. 32013/2/80-EC.—The President is pleased to appoint the following three Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer on an ad hoc basis with effect from the date indicated against each and upto 30-9-80 and to post them to the station indicated against each:—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
1.	Shri K. B. Nanda	A.C.S., Srinagar	A.C.S., Srinagar	2-8-80 (FN)
2.	Shri J .L. Suri	A.C.S., New Delhi	A.C.S., New Delhi	25-7-80 (FN)
3.	Shri L. R. Goyal	A.C.S., Palam	Dir. Radio, Constr. & Dev. Units, N. Delhi.	30-7-80 (FN)

No. A.38013/1/80-EC.—The undermentioned three officers of the Aeronautical Communication Organisation relinquished charge of their office on 31-7-80 (AN) on retirement on attaining the age of superannuation :

S. No. , Name, Designation and Station

S/Shri

1. G. L. Relwani, Asstt. Tech. Officer, Aero. Comm. Stn., Bombay.
2. G. L. Patel, Asstt. Tech. Officer, Aero. Comm. Stn., Bombay.
3. N. S. S. Money, Asstt. Comm. Officer Aero. Comm. Stn., Bombay

The 14th October 1980

No. A. 32013/2/80-EC.—The President is pleased to appoint the following four Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer on an ad hoc basis with effect from the date indicated against each and upto 30-9-80 and to post them to the station indicated against each:—

S. No.	Name	Present Station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
1.	Sh. R. G. Rao	A.C.S., Madras	ACS, Trivandrum	30-8-80 (FN)
2.	Sh. P. A. Shastry,	A.C.S., Calcutta	ACS, Calcutta	30-7-80 (FN)
3.	Sh. H. S. Grewal	RC&DU, New Delhi	RC&DU, New Delhi	2-8-80 (FN
4.	Sh. R. V. Rao	ACS, Aurangabad	RC&DU, New Delhi.	28-8-80 (FN)

No. A. 32014/2/80-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Communication Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on an adhoc basis with effect from the date indicated against each and to post them at the station indicated against each:—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
	S/Shri			
1.	M. R. Sharma	A.C.S., New Delhi	A.C.S., New Delhi	1-8-80
2.	F. R. Ferrao	A.C.S., Nagpur	A.C.S., Nagpur	31-7-80
3.	D. K. Chawdhury	A.C.S., Agartala	A.C.S., Calcutta	16-8-80
4.	S. K. Das	A.C.S., Calcutta	A.C.S., Port Blair	8-9-80
5.	P. R. Ganguly	A.C.S., Ranchi	A.C.S., Bhubaneshwar	25-8-80
6.	S. K. Roy	A.C.S., Calcutta	A.C.S., Calcutta	30-7-80

No. A.32013/3/80-EC—The President is pleased to appoint the following four Assistant Communication Officers to the grade of Communication Officer on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each and upto 30-9-80 and to post them to the station indicated against each:—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
1.	Shri B. N. Sil	DGCA (HQ) New Delhi	Regional Office, New Delhi	31-7-80 (FN)
2.	Shri S. R. Sethi	A.C.S., Ahmedabad.	A.C.S. Nagpur	30-8-80 (FN)
3.	Shri M. P. K. Pillai.	A.C.S., Visakhapatnam	A.C.S., Bangalore	22-8-80 (FN)
4.	Shri V. N. Iyer	A.C.S., Bhubaneshwar	A.C.S., Madras	5-8-80 (FN)

No. A.38013/1/80-EC.—Shri O. P. Bahl, Communication Officer in the office of the Controller of Communication, Aeronautical Communication Station, Safdarjung Airport, New Delhi relinquished charge of office on 31-8-80 (AN) on retirement on attaining the age of superannuation.

R. N. DAS
Asstt. Dir. Administration

New Delhi, the 4th October 1980

No. A-32013/12/78-EA—The President has been pleased to appoint the following Assistant Acrodrome Officers to the grade of Aerodrome Officer with effect from 25-9-1980 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Station
1.	Shri Kaviraj Singh	A.S.O. (ATC) Hdqrs.
2.	Shri J. S. R. K. Sharma	Madras
3.	Shri Amir Chand	Gwalior
4.	Shri H. D. Lal	Bhopal
5.	Shri G. Bansal	Rajkot
6.	Shri M. S. Gossain	Palam
7.	Shri C. N. S. Moorthy	Madras
8.	Shri A. N. Mathur	Kumbhirgram
9.	Shri P. K. Khanna	Dum Dum
10.	Shri P. B. Deswani	A.O. (P) Hdqrs.
11.	Shri K. P. S. Nair	Madras
12.	Shri A. K. Jha	North Lakhimpur
13.	Shri S. J. Singh	Palam
14.	Shri S. K. Vohra	Santacruz
15.	Shri Vinod Kumar Yadav	Santacruz
16.	Shri Daljit Sinth Chatrath	Palam
17.	Shri D. D. Vuthoo	Srinagar
18.	Shri K. K. Malhotra	Dum Dum
19.	Shri G. S. Kalsi	Leh
20.	Shri A. T. Richard	Madras
21.	Shri Rajinder Pal Singh	Bombay Airport
22.	Shri Arul Annand	Tirupathi
23.	Shri C. M. Kothiath	Bombay
24.	Shri P. N. Bhaskar	Bhavnagar
25.	Shri H. C. Malik	Amritsar
26.	Shri H. R. Joshi	Bombay
27.	Shri S. C. Huria	Begumpet
28.	Shri B. N. Singh	Dum Dum
29.	Shri R. K. Raman	Begumpet
30.	Shri Raj Kumar	Gauhati
31.	Shri N. Jaisimha	Santacruz
32.	Shri P. S. Narayanan	Madras
33.	Shri Surinder Singh	Santacruz

C. K. VATSA
Asstt. Director of Admn.

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 9th October 1980

No. 1/288/80-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Sutapes Das, Superintendent, Calcutta Branch as Assistant Administrative Officer, in an officiating capacity, in the same Branch, for the period from 15-7-80 to 23-8-80, against short-term vacancy, purely on *ad hoc* basis.

The 10th October 1980

No. 1/56/80-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri S. Perumal, Superintendent, Madras Branch Assistant Administrative Officer, in an officiating capacity, in the same Branch, for the period from 16-6-80 to 21-7-80, against short-term vacancy, purely on *ad hoc* basis.

H. L. MALHOTRA
Dy. Dir. (Admn.)
for Director General

Bombay, the 13th October 1980

No. 1/298/80-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Shaik Abdul Rahim, Temp. Tech. Asstt. Bombay Branch as Assistant Engineer, in an officiating capacity in the same Branch, with effect from the forenoon of the 29th July, 1980 and until further orders, on regular basis.

No. 1/393/80-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Satyendra Kumar (I) as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the Switching Complex, Bombay, with effect from the forenoon of the 10th September, 1980 and until further orders, on a regular basis.

P. K. G. NAYAR
Director (Admn.)
for Director General

FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES

Dehradun, the 15th October 1980

No. 16/247/76-Ests-I.—The notification issued under even number dated 18-9-80 replacing services of Shri Siddique Ahmad at the disposal of Government of Gujarat is hereby cancelled as the reversion orders are to be issued by the Government of India.

R. N. MOHANTY,
Registrar
Forest Research Institute & Colleges

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOM

Madras-600034, the 15th October 1980

No. IV/16/38?/78 CX Adj.—In exercise of the powers conferred on me by sub-rule (1) of Rule 232A of the Central Excise (7th amendment) Rules, 1976 which came into force from 21-2-1976 it is declared that the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2) of the persons who have been convicted by a court under Section 9 of the Central Excises and Salt Act, 1944 and persons on whom penalty of Rs. 10,000/- or more has been imposed by an officer referred to in Section 33 of the Act are as follows for quarter ending 30-6-1980.

Sl. No.	Name of the persons	Address	The provisions of the Act contravened	The amount of penalty imposed
1	2	3	4	5
1.	M/s. Guindy Machine Tools Limited.	L. 4. No. 103/75 (T.1 68) Pallikaranai P.O. Madras-601302	Section 9(1)(bb) of the Central Excises & Salt Act, 1944 and Rules 173 PP (1)(4) and 173PP	Sentenced to pay a fine of Rs. 1,500/-

1	2	3	4	5
	Shri K. G. Subramaniam Iyer, S/o Shri C. R. Krishna Iyer.	Itstreet, Ravi Colony, St. Thomas Mount, Madras-16.	(1)(5) of the Central Excise Rules, 1944.	Sentenced to pay a fine of Rs. 1,000/-
2.	Shri K. Muthusamy Udayar	L. 5 No. 24/64, Tobacco Merchant, Raghavendrapuram, Seshanchavadi, Salem District.	Section 9 (1) (b) & 9(1) (bb) of Central Excises & Salt Act, 1944 readwith Rules 151-C and 223-A of Central Excise Rules, 1944.	Convicted and sentenced to pay a fine of Rs. 500/- each on two counts (Total Rs. 1,000/-) in default to undergo Rigorous Imprisonment for 2 months on each count.

II—DEPARTMENTAL ADJUDICATION

.............NIL.............

B. R. REDDY, Collector
Central Excise, Madras

Nagpur, the 15th October 1980

No. 13/80.—Consequent upon his promotion as Administrative Officer Assistant Chief Accounts Officer/Examiner of Accounts etc. Group-B Shri M. B. Wankar lately posted as Office Superintendent, Central Excise, Hqrs. Office, Nagpur has assumed charge of the Office of the Assistant Chief Accounts Officer, Central Excise, Nagpur in the afternoon of the 24th September, 1980, relieving Shri V. M. Bhojraj proceeded on transfer on promotion as Chief Accounts Officer.

No. 14/80.—Consequent upon his promotion as Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer/Examiner of Accounts etc. Group-B Shri B. T. Kotpalliwar lately posted as Office Superintendent, Central Excise, Hqrs. Office, Nagpur has assumed charge of the Office of the Administrative Officer (Hqrs.) Central Excise, Nagpur in the forenoon of the 30th September, 1980, relieving Shri V. K. Tripathi proceeded on transfer on promotion as Chief Accounts Officer.

K. SANKARARAMAN,
Collector

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 16th October 1980

No. 30/80.—On his retirement on superannuation Shri A. Natarajan relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Customs & Central Excise) Group 'B' in the South Regional Unit of the Directorate of Inspection & Audit, Customs & Central Excise at Madras on 30-9-1980 (Afternoon).

K. J. RAMAN,
Dir. of Inspection

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 15th October 1980

No. A-32014/1/80-Adm. V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant. Director/Asstt: Engineer (Engineering) on purely temporary and adhoc basis in the Scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-100-EB-40-1200 for a period of six months or till the posts are filled on regular basis whichever is earlier with effect from the dates noted against their names:—

Sl. No.	Name of Officer with designation	Date of assumption of charge as EAD/AE
	S/Shri	
1.	A. K. M. Govil, Design Assistant	19-9-80 (forenoon).
2.	M. S. Motwani, Design Assistant	6-9-80 (forenoon)
3.	R. K. Thakur, Design Assistant	5-9-80 (forenoon)
4.	Ravinder Kumar, Design Assistant	5-9-80 (forenoon)
5.	I. S. Gupta, Supervisor	30-9-80 (forenoon)
6.	H. N. Yadav, Supervisor	7-10-80 (forenoon)
7.	P. Rama Brahman, Supervisor	6-10-80 (forenoon)
8.	S. R. Saini, Supervisor	25-9-80 (forenoon)
9.	K. D. Singh, Supervisor	23-9-80 (afternoon)
10.	H. Z. Qurashi, Supervisor	3-10-80 (forenoon)

K. L. BHANDULA
Under Secy.
Central Water Commission

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 16th October 1980

No. 1/112/69-ECIX.—The president is pleased to accept the notice dated 18-6-1980 given by O. P. Gupta, Dy. Architect, CPWD, to retire from service. Accordingly Shri O. P. Gupta stands retired from service with effect from 15th October, 1980 (AN).

K. A. ANANTHANARAYANAN
Dy. Dir. Admn.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Grain Merchants Association

Ernakulam, the 29th September 1980

No. 404/Liq/560/2473.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name Grain Merchants Association Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. AHAMED KUNJU,
Company Prosecutor and Ex-officio
Asstt Registrar of Companies, Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Amber Hotels and Restaurants Private Limited, Jaipur

Jaipur, the 7th October 1980

No. Stat/1493/9375.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Amber Hotels and Restaurants Private Limited, Jaipur has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

G. C. GUPTA,
Registrar of Companies,
Rajasthan, Jaipur.

In the matter of Companies Act 1 of 1956 and in the matter of Howrah Iron & Steel Works Pvt. Limited

Calcutta, the 10th October 1980

No. L/10949-H/D/1952.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Hon'ble High Court, Calcutta on 26-11-79 and the Official Liquidator/court Liquidator, High Court, Calcutta has been appointed the Official Liquidator.

In the matter of Companies Act 1 of 1956 and in the matter of Johannes & Co. Pvt. Limited.

Calcutta, the 10th October 1980

No. L/24489-H/D/1966.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Hon'ble High Court, Calcutta on 18-3-80 and the Official Liquidator/court Liquidator, High Court, Calcutta has been appointed the Official Liquidator.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Bharat Banijya Bistar Private Limited.

Calcutta, the 10th October 1980

No. 16506/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Bharat Banijya Bistar Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

A. B. BISWAS,
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal, Calcutta.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Wear & Smile Private Limited

Jullundur, the 13th October 1980

No. G/Stat/560/7813.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Wear & Smile Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Paradise Electronics Private Limited.

Jullundur, the 13th October 1980

No. G/Stat/560/2759/7794.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Paradise Electronics Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Himgiri Finance & Chit Fund Co. Private Limited

Jullundur, the 13th October 1980

No. G/Stat/560/3146/7800.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Hayerco Electronics Private Ltd., Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Hayerco Electronics Privated Limited.

Jullundur, the 13th October 1980

No. G/Stat/560/3257/7815.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Himgiri Finance & Chit Fund Co. Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Surinder Chit Fund & Finance Private Limited.

Jullundur, the 13th October 1980

No. G/Stat/560/2854/7811.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Himgiri Finance & Chit Fund Co. Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

N. N. MAULIK,
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Prasanta Iron and Steel Private Limited.

Orissa, the 13th October 1980

No. SO/480-2510(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Prasanta Iron and Steel Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. SEAL,
Registrar of Companies,
Orissa.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Straw Paper Mills of India Limited.

Hyderabad, the 15th October 1980

No. 1222/TA.I/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Straw Paper Mills of India Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. S. RAJU,
Registrar of Companies,
Andhra Pradesh, Hyderabad.

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400020, the 16th October 1980

No. F.48-Ad(AT)/80.—Shri Naranjan Dass, offg. Assistant Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi on ad-hoc basis in a temporary capacity for the period from 17-9-1980 to 16-10-1980 vide Notification No. F.48-Ad(AT)/80, dated 16th September, 1980, is now permitted to continue to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Benches, New Delhi on ad-hoc basis in a temporary capacity for a further period of three months with effect from 17-10-1980 to 16-1-1981 or till the post is filled up on reular basis by appointment of a nominee of the UPSC, whichever is earlier.

2. The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon Shri Naranjan Dass, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

T. D. SUGLA,
President.

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE

57, RAM TIRTH MARG,
LUCKNOW.

Notification regarding vesting of immovable property under section 269 I(4) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

Lucknow, the 30th August, 1979

GIR No. 13-J/Acq.—It is hereby notified that the property bearing No. 16 (Old No. 30), Chowk, Allahabad, situated at Allahabad has been taken possession of in terms of the provisions contained in sub-section (2) of Section 269I of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) on 27th August, 1979, by Shri B. Mazumdar, Executive Engineer, Allahabad Central Division, 76-Lukerganj, Allahabad, and Shri T. K. Chatterjee, A.D.I. Office of the Commissioner of Income-tax, Allahabad, duly authorised in this behalf. In terms of sub-section (4) of Section 269I of the Act, the said property vests absolutely in the Central Government free from all encumbrances with effect from the aforesaid date.

GIR No. 20-P/Acq.—It is hereby notified that the property bearing No. 230, Muthiganj, situated at Gandhi Nagar, Allahabad, has been taken possession of in terms of the provisions contained in sub-section (2) of Section 269-I of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) on 23rd August, 1979, by Shri B. Majumdar, Executive Engineer, Allahabad Central Division, 76, Lukerganj, Allahabad, duly authorised in this behalf. In terms of sub-section (4) of Section 269I of the Act, the said property vests absolutely in the Central Government free from all encumbrances, with effect from the aforesaid date.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 13th October 1980

C.R. No. 62/26340/79-80/Acq/B.—Whereas I, R. THOTHATHRI, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing
No. Site No. 6 and 6/1, situated at 'B' street I Main Sheshadripuram, Bangalore-20,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gandhinagar. Document No. 3695/79-80 on 6-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assetsw hich have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri C. L. Han, No. 52, 1st main Road, Malleswaram, Bangalore-55.
(Transferors)

(2) 1. S/Shri H. A. Gopinath,
2. H. A. Srinidhi, No. 48, 17th cross, Malleswaram, Bangalore.
3. H. D. Balaji
4. H. D. Narayanababu, No. 257, 17th cross, Upper Palace Orchards Bangalore-6.
(Transferee)

(3) S/Shri G. B. Navale Ground floor and H. N. Keshavamurthy First floor.
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 3695/79-80 dated 6-2-80)
All that house property bearing site No. 6 and 6/1, at 'B' street, I main, Sheshadripuram, Bangalore-20.
Total Extent 670.41 Sq. Mts.

Bounded by

East : Dr. Prahlad's property.
West : 'B' Street.
North : S. B. Lakshamamma's house.
South : Private property.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-10-80
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 13th October 1980

C.R. No. 62/26660/80-81/ACQ/B.—Whereas I, R. THOTHATHRI, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Corporation No. 12/1 (old) 16 (New) situated at Site No. 2 (part of property bearing old No. 3) Race course Road, Bangalore city. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar, Document No. 172/80-81 on 17-4-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri U. N. Ramdas Balal No. 12/1 Race course Road Bangalore-9.
(Transferors)

(2) Shri Narayana T. Shetty No. 12/1 (old) 16 (new), II floor Race course Road Bangalore-9.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 172/80-81 dated 17-4-80)
All that house property bearing corporation old No. 12/1 and new No. 16 site No. 2 (part of property bearing old No. 3) II floor.
Race course road
Bangalore-9.

Bounded by :

On North : Private property.
On South : Private property.
On East : Common passage.
On West : Private property.

R. THOTHATHRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 25th August 1980

Ref. No. AR-III/AP.350/80-81.—Whereas I, A. H. TEJALE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 50-55 situated at Nahur Vil,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 21-2-1980 Document No. S-996/74
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 296-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

19—316GI/80

(1) Minerva Dealers Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Lok Sewa Udyog Premises Co-op. Soc. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-996/74 and registered on 21-2-1980 with the Sub-registrar, Bombay.

A. H. TEJALE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 25-8-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

Bombay, the 25th August 1980

Ref. No. AR-II/2934-7/Feb'80.—Whereas, I, A. N. TEJALE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 45, T.P.S. II situated at Juhu,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 4-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Petrick Brax Rodrigues and Shri Charles Albert Rodrigues.
(Transferor)

(2) Marine and Premises Co-op. Soc Ltd.
(Transferee)

(3) Members of the Society.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCH)DULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-921/75 and registered with the Sub-Registrar at Bombay on 4-2-1980.

A. H. TEJALE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acqusition Range-II, Bombay

Date : 25-8-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th October 1980

Ref. No. AR-I/4373-14/Feb'80.—Whereas I, SUDHAKAR VARMA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing C.S. No. 19/69, 128, 18/69 of Colaba situated at Victoria Bunder Road (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 14/2/1980 Document No. 1785/79/Bom. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Tungabhadra Sugar Works Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Transport Corporation of India Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the registered Deed No. 1785/79/Bom and as registered on 14-2-1980 with the Sub-Registrar, Bombay.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 14-10-80
Seal :

FORM ITNS—————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 14th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/2-80/6191.—Whereas I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2662, Baradari Sher situated at Afgan Bellimaran Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pishta Devi Wd/o Laxmi Narain for self and on behalf of her minor son Master C. C. Ashok
2. Vikarmaditya
3. Ishwar Chander
4. Shiv Narain
5. Smt. Raj Dulari
6. Km. Rajeshwari
7. Km. Vijay Laxmi all R/o Wz-173, Village Pathevan Delhi.

(Transferors)

(2) Shri Manjoor Ilahi & Smt. Habib Hajar, 2446, Baradari, Sher Afgan Bellimaran Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 2662, Baradari Sher Afgan, Ballimaran Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 14th October 1980

Ref No. IAC/Acq-II/SR-1/2-80/6238.—Whereas I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 59, Road No. 41 situated at Punjabi Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 25-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tirath Ram Sachdev s/o Diwan Chand Sachdev (2) Sham Dass (3) Subhash Chander (4) Gulshan Kumar sons of Tirath Ram Sachdev, 59, Road No. 11 Punjabi Bagh, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Chand Rani Soni w/o Kidar Nath Soni r/o 36/62 Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 59 on Road No. 41 Class A situated in Punjabi Bagh, Delhi measuring 1100 sq. yds. in the area of village Bassai Darapur, Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Lane
Couth : Road No. 41.
East : Plot No. 57
West : Ramain land mg. 1157.70 sq. yds. of plot No. 59.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14-10-80
Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 14th October 1980

Ref. No. IAC/Acq.-II/SR-I/2-80/6225.—Whereas I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 9694-9695, situated at Gali Nee mWali, Nawabi Ganj, Ward No. 12, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Nand Lal s/o Trilok Chand r/o 9694, Gali Neemwali, Nawab Ganj, Delhi.
2. Surinder Nath s/o Nand Lal, 81-Gujranwala Town Part-2, G.T. Karnal Road, Delhi.
3. Jugal Kishore s/o Nand Lal, 170, Gujranwala Town Part II, G.T. Karnal Road, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Shri Rakesh Kumar s/o Jagdish Pershad.
2. Naresh s/o Jagdish Pershad under the guardianship of his father Shri Jagdish Pershad, r/o 6177, Kucha Shiv Mandir, Gali Batacha, Khari Bawri, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property No. 9694 and 9695 Gali Nawab Ganj, Gali Neem Wali, Ward No. 12, Delhi Area 61 sq. yds.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 14th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRI/2-80/6190.—Whereas, I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 58 situated at Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sham Sunder Mittal s/o Gobind Ram, 939 Gali Tota Maina, Behind Novelty Cinema Delhi
(Transferor)

(2) 1. Shri Ranavtar s/o Roop Chand, 140, near Jagashwar Mandir, Palwal, Faridabad.
2. Raghunath Prasad s/o Jagan Nath Goyal r/o 1859, Pahari Bhojla Jama Masjid, Delhi.
3. Anil Kumar Goyal s/o Shyam Lal Goyal 5504, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar, Delhi.
4. Hari Om S/o Shri Chander.
5. Jagdish Parshad s/o Pooran Chand r/o village Sohna, Distt. Gurgaon, Haryana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 58 Part, measuring 13 sq. yds. situated at Katra Ishwar Bhawan, Khari Baoli, Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,

NEW DELHI-110002

New Delhi, the 9th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRII/2-80/3132.—Whereas, I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 25/23, situated at Tilak Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. S. P. Narang s/o Des Raj Narang, and his wife Smt. Binod Kumari Narang, r/o J.24, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Gita Rani Chopra wd/o Ram Prakash Chopra of B.F. 36, Tagore Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built up house on plot of land measuring 200 sq. yds. bearing No. 25/23, Tilak Nagar, New Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi.

Date : 9-10-1980
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

New Delhi-110002, the 10th October 1980

Ref No IAC/Acq-II/SR-I/2-80/6234.—Whereas, I, BALJEET MATIYAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No. 49 situated at Rama Road Industrial Area, Najafgarh Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 23-2 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely: —

(1) Shri Satish Kumar Oswal S/o Shetal Prasad Oswal, R/o H No 2/5, Roop Nagar, Delhi-7 (Transferor)

(2) M/s Abdul Salam Wool Merchants, 1009, Pan Mandi Sadar Bazar, Delhi-6 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of property bearing No 49 measuring 1641 sq yds situated at Rama Road, Industrial Area, Najafgarh Road, Delhi bounded as under :—

North Plot No 48
East Railway Line
West Open Plot
South · Road

MRS BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi

Date · 10-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

New Delhi-110002, the 9th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRII/2-80/3143.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CL-6 Block-I, situated at Hari Nagar, Village Tihar, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269 of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rajinder Singh S/o Joginder Singh, Main Road, Ram Garh, Bihar and Bhim Sen Chopra S/o Ram Chand Chopra, R/o Main Road, Ram Garh Cantt., Bihar.
(Transferor)

(2) Shri Sarup Singh S/o Shan Singh, E-5, Raghbir Nagar, New Delhi and Gurvinder Singh S/o Sohan Singh, E-4, Raghbir Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One piece of land measuring 641.66 sq. yds. bearing plot No. CL-6 of Khasra Nos. 880 and 881, situating in Residential approved Colony, L-Block, Hari Nagar, New Delhi, area of village Tehar Delhi bounded as under :—

North : Plot No. CL-7
South : Plot No. CL-4
East : Road 40' wide
West : Lane 15' wide

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 9-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,

New Delhi-110002, the 14th October 1980

New Delhi, the 14th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/2-80/3147.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land measuring 17 bighas situated at village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Teku alias Tek Chand S/o Shri Chander R/o Holambi Kalan, Delhi State, Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Kishan S/o Deep Chand, R/o Village Shahpur Garhi, Delhi-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 17 bighas situated in the area of village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi bearing Khasra Nos. as under :—

Rect No.	Killa No.	Area
31	17	2-10
31	18/2	2-8
31	22/2	2-8
31	23	4-16
31	24	4-18

MRS. BALJEET MATIYANI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 14-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II H BLOCK VIKAS BHAVAN I P ESTATE NEW DELHI 110002

New Delhi-110002 the 9th October 1980

Ref No IAC/Acq-II/SR-II/2-80/3175—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No J-13/35 situated at Rajouri Garden, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Smt Sugget Bala Ahuja W/o Kewal Krishan Ahuja, R/o J-7/52, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar & Vinod Kumar Sons of Sultan Singh Gupta R/o D 34, Rajouri Garden New Delhi (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No J-13/35, Rajouri Garden, New Delhi

MRS BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-II Delhi New Delhi

Date 9 10 1980
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

New Delhi-110002, the 9th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/2-80/3142.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 share of CL-6, Block L, situated at Hari Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhim Sain Chopra S/o Ram Chand Chopra & Rajinder Singh S/o Joginder Singh, R/o Main Road, Ram Garh Cantt., Bihar.
(Transferor)

(2) Shri Sarup Singh S/o Shan Singh, E-5, Rajinder Nagar, Delhi. Gurinder Singh S/o Sohan Singh, F-4, Raghbir Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 Share of Plot No. CL-6 of Khasra No. 880 and 881 situated in Residential approved colony, L Block, Hari Nagar, New Delhi measuring 641.66 sq. yds. bounded as under :—

North : Plot No. CL-7
South : Plot No. CL-4
East : Road 40/ wide
West : Land 15/ wide

MRS. BALJEET MATIYANI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 9-10 1980
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi-110002, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/2-80/6192.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 8, Block A-1, situated at Model Town, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Delhi on February 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance in section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shakuntala Nayyar W/o Manohar Lal Nayyar R/o Karnal, through
Shri Harishwar Dayal S/o B. Dayal
R/o Madhuban Arpana Trust, Karnal General Attorney.
(Transferor)

(2) Shri Roop Chand Jain S/o Late Chuni Lal Jain, Master Sunil Jain & Master Akhil Jain both minor Sons of Roop Chand under guardianship of their father Roop Chand Jain, 7/17, Daryaganj, Ansari Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have in the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed building with land underneath measuring about 450 sq. yds. with one room in first floor bearing Plot No. 8 Block A-1, Model Town, Delhi bounded as under :—

East : Road
West : Building on Plot No. A-8
North : Building on Plot No. A-1/9
South : Building on Plot No. A-1/7

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 13-10-80
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 16th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-I/SRIII/2-80/979.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1st-A-IV/67 situated at Daya Nand Colony, Lajpat Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 18-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Yog Raj Dhingra S/o Tek Chand
R/o 1st-A-IV/67, Lajpat Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Chela Ram Sindhi S/o Tila Ram Sindhi
R/o 1st-A-IV/67, Lajpat Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing No. 1ST-A-IV/67, Lajpat Nagar, New Delhi with the leasehold rights of land measuring 100 sq. yds. bounded as under :—

North : House No. A-68
South : House No. A-66
East : Road
West : Lane

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner Of Income Tax,
Acquisition Range II, Delhi/New Delhi.

Date : 16-10-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi-110002, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRII 2-80/3126.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason or believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Kothi No. 5 Road No 46-A situated at Punjabi Bagh New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at Delhi on 5-2-1980. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lalit Kumar S/o R. K. Nanda I-10/49, Rajouri Garden New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Darshan Singh S/o S. Mohinder Singh R/o F-143, Mansarover Garden New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 5 on Road No. 46-A Class D, situated in the colony known as Punjabi Bagh, area of Village Madipur Delhi with the land measuring 280 sq. yds. under the said Kothi bounded as under :—

North : Service Lane.
South : Road No. 46-A.
East : Plot No. 3
West : Plot No. 7.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 21-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II,

H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/2-80/6231.—Whereas I, BALJEET MATIYANI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1309 and 1310 Ward No. VIII situated at Gali Tansukh Rai Kundewalan Ajmere Gate Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

21—316GI/80

(1) Smt. Sarla Devi W/o Late Sh. Amar Nath 1308, Gali Tansukh Rai Kundewalan Ajmere Gate Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Kallu Mal Goel S/o Moti Ram R/o 2774, Gali Arya Samaj Bazar Sita Ram Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1309 and 1310 Ward No. VIII Gali Tansukh Rai. Kundewalan Ajmere Gate Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 21-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRII/2-80/3136.—Whereas I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4/B/2, situated at Tilak Nagar New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Todar Mal S/o Shanker Dass R/o 4/B/2. Tilak Nagar New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Sudharshan Sharma W/o Sh. Vidhya Sagar Sharma R/o F-35, West Patel Nagar New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 4-B/2 Tilak Nagar New Delhi measuring 200 sq. yds. bounded as under :—

North : Gali
South : Road
East : G.B.P.
West : G.B.P.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range-II.
Delhi/New Delhi.

Date : 21-10-1980
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

H-BLOCK VIKAS BHAVAN I.P. ESTATE,

4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SRII/2-80/3177.—Whereas, I, MRS. BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 39 Road No. 54 situated at Punjabi Bagh New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 26-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to betweeen the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pushpa Dhawan W/o Lt. Col. P. K. Dhawan & Lt. Col. P. K. Dhawan S/o Gobind Ram Dhawan R/o Flat No. 170, Service Enclave Estate II, New Delhi.

(Transferors)

(2) Shri Kirori Ram S/o Likhi Ram R/o J-10/49, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold plot of land bearing Plot No. 39 on Road No. 54 Class D measuring 337.1 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Madipur Delhi State, Delhi alongwith boundary wall bounded as under :—

North : Service Lane.
South : Road No. 54.
East : Vacant Plot No. 37 & Vacant land.
West : Others land.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 21-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

H-BLOCK VIKAS BHAVAN, I.P. ESTATE,

NEW DELHI-110002

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/SRI/2-80/6203.—Whereas I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 153-D/2, situated at Kamla Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on 13-2-80, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harinder Grewal alias Harinder Kaur W/o Sh. A. S. Grewal, 110, Sector 9-B, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Madan Gopal s/o Chaman Lal, Juneja, Gujranwala Town Delhi-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA o fthe said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 153-D/2 in Kamla Nagar Delhi (Northern City Extension Scheme No. 1) Municipal No. 6670/2 with land freehold underneath measuring 112-1/3 sq. yds. out of entire area 195.8 sq. yds. bounded as under :—

North—60 ft. wide Road
South—15 feet wide road
East—Property on Plot No. 154
West—15 ft. wide Road.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 21-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-1/2-80/6201.—Whereas, I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 153-D/2 situated at Kamla Nagar Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 13-2-80, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Satinder Gill Alias Satinder Kaur w/o Sh. J. S. Gill, 110 Sector 9-B, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Madan Gopal s/o Chaman Lal, Juneja, Gujranwala Town Delhi-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor & Miani on garrage property No. 153-D/2, Kamla Nagar Delhi (Northern City Extension Scheme No. 1) Municipal No. 6670/2 with land free hold underneath measuring 112-1/3 sq. yds. out of entire area 195.8 sq. yds. bounded as under :—

North—60 ft. wide Road
South—15 feet wide road
East—Property on Plot No. 154
West—15 ft. wide Road.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 21-10-1980
Seal :

Form ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

H-BLOCK VIKAS BHAVAN, I.P. ESTATE,

NEW DELHI-110002

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/2-80/3145.—Whereas I, BALJEET MATIYANI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land 16 bighas 16 biswas situated at Village Hastal Delhi State Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Onkar Pershad S/o Kacheru R/o Village Hastsal Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Mangtu Ram S/o Ram Rikh R/o Vill. Badhela Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 bighas 16 biswas, Khasra No. 18/4/2, 6, 7, 8, Village Hastal Delhi State Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 21-11-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, H-BLOCK VIKAS BHAVAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 16th October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR II/2-80/3227.—Whereas I, BALJEET MATIYANI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land 20 bighas situated at Village Zatikra Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Prakash S/o Jia Ram R/o Hasatsal Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Randhir Singh S/o Ram Singh and Shri Chander Singh S/o Jiwana of village Daulatpur Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 20 bighas out of 27 bighas 13 biswas in village Zatikra Delhi State Delhi.

MRS BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 16-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
H-BLOCK VIKAS BHAVAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 21st October 1980

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-II/2-80/3183.—Whereas I, BALJEET MATIYANI being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land mg. 24 bighas situated at Village Masudabad Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February 1980, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roshan Lal S/o Bishan Singh, R/o Najafgarh New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Raghbir Singh S/o Bishan Singh, R/o Najafgarh New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 24 bighas situated at village Masudabad Delhi.

MRS. BALJEET MATIYANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date : 21-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2221.—Whereas, I R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property,having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Vill. Kahlwan
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kartarpur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to ay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Nirmal Singh S/o Dhana Singh, Vill. Kahlwan.
(Transferor)

(2) Shri Bhan Singh S/o Mahyia Singh Vill. Bidhipur.
(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 99 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Kartarpur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2222.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Jullundur By Pass Road near Chagitti Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jaswant Rai S/o
Sh. Sant Ram, E.D. 248, Dhan Mohalla, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Parminder Singh,
Gagninder Singh SS/o Devinder Mohan Bir Singh C/o M/s. Doaba Coach Builders, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 7582 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2223 —Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Vill. Talwandi Madho
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Nakodar on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfered for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohar Singh, Mohinder Singh, Pritam Singh SS/o Sunder Singh, Vill. Talwandi Madho, Teh. Nakodar.
(Transferor)

(2) Shri Gurdev Singh, Gurmel Singh, Balkar Singh, Harbans Singh SS/o Naranjan Singh, V. & P.O. Talwandi Madho, Tehsil Nakodar.
(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 2731 of Feb 1980 of the Registering Authority, Nakodar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2224.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Basti Sheikh near Bhargcamp Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Ram S/o Rulia Ram Bhargo Camp, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Lubhiaya S/o Ram Lal, 425, Adarsh Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 8141 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. 2225.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Basti Rau, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Feb. 1980.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid said exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Wasir Kaur D/o Arbel Singh, Milap Chowk, Jullundur. (Transferor)

(2) Shrimati Surinder Kaur W/o Jasbir Singh, Sudarshan Kaur W/o Lakhbir Singh 82, Now Jawahar Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7680 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. 2226.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable preperty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Basti Nau, Jullundur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Jullundur on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Wasir Kaur D/o Arbel Singh, Milap Chowk, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Mohinder Kaur W/o Rajinder Singh and Sudershan Kaur W/o Sh. Lakhbir Singh, 82-New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 7661 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax.
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2227.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Gali No. 15-B, Mandi Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Abohar on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian ncome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Parkash Vati W/o Prithvi Raj R/o Gali No. 14-15, Mandi Abohar.
(Transferor)

(2) Shrimati Narinjan Kaur w/o Narinder Singh, S/o Partap Singh R/o Vill. Jhindwala, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in Registeration sale deed No. 2830 of Feb. 1980 of the Registeration Authority Abohar.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P.No. 2228.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Vill. Deowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hoshiarpur on Feb., 1980
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Lal S/o Bodh Raj, Sabzi Mandi, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Ajit Singh Jhikka S/o Hasara Singh 262-Lajpat Nagar, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are declined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 4240 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Hoshiarpur.

R. GIRDHAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980,
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 22nd September 1980

Ref. No. A.P. No. 2229.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Vill. Deowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Hoshiarpur on Feb., 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

23—316GI/80

(1) Shri Amrit Lal S/o Bodh Raj
Sabzi Mandi, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Ajit Singh Jhikka S/o Hasara Singh
262-Lajpat Nagar, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 4274 of Feb. 1980 of the Registering Authority Hoshiarpur.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2230.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Vill. Deowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hoshiarpur on March, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be dissolved by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hari Kishan S/o Bodh Raj.
Sabzi Mandi, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Ajit Singh Jhikka S/o Hasara Singh
262-Lajpat Nagar, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 4731 of March, 1980 of the Registering Authority, Hoshiarpur.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref No A. P No 2231—Whereas, I, R GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Vill Bhagana Teh Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Phagwara on Feb. 1080 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Banta Singh S/o Ram Singh, Vill Bhagnana Teh Phagwara (Transferor)

(2) Shri Darshan Ram S/o Karam Chand Vill. Bhagana Teh Phagwara (Transferee)

*(3) As per Sr. No 2 above (Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property (Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No 2270 of Feb 1980 of the Registering Authority, Phagwara.

R GIRDHAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2232.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Near Taki Mohalla, Phagwara.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on Feb. 1980
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Incime-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Parkash S/o Kishan Dyal,
Mahli Gate, Phagwara
through Vinod Kumar.
(Transferor)

(2) Parmodh Kumar Yogesh Chander
Wine contractor, Model Town, Phagwara.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation ot the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2264 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Phagwara.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2233.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Sant Nagar, Old Fazilka Rd., Abohar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Abohar on Feb. 1980. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Munshi Ram S/o Ganga Ram R/o Nihal Kehra Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Shri Lekh Raj S/o Jai Lal R/o Johri Mandir Road, Abohar.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2854 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE,

JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2234.—Whereas, I,
R GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Mandi Abohar
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Abohar on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parmeshwari
D/o Sh. Jai Ram Dass R/o Abohar
(Transferor)

(2) Shri Chagan Lal S/o Bajrang Dass
R/o Gali No. 4, Abohar.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined is Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2778 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2235.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Mandi Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Abohar on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Shanti Devi
D/o Jai Ram Dass
R/o Abohar.

(Transferor)

(2) Shri Pawan Kumar
S/o Bajrang Dass
R/o Gali No. 4, Abohar.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2859 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Abohar.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2236.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at Railway Road, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jallalabad on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Avinash Chander
S/o Tara Chand
R/o Jallalabad.
(Transferor)

(2) Shri Sadanand, son of Sh. Sher Chand
R/o Shop No. 1275, Railway Road, Jallalabad.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 150 of Feb. 1980 of the Registering Authority Jallalabad.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2237.—Whereas, I,
R. GIRDHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Moh. Ohrian, Phagwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phagwara on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sadhu Ram, Premjit, Inderjit, Surjit Kumar, SS/o Kishori Lal
R/o Mohalla Sudan, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shrimati Anpurna
W/o Subhash Chander
R/o Mohalla Daddal, Phagwara Now at Mohalla Ohrian, Phagwara.
(Transferee)

*(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registeration sale deed No. 2387 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Phagwara.

R. GIRDHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2238.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Abadpura, back side Sant Pura Gurdwara Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rameshwar Singh S/o Dr. Capt. Karam Singh R/o 4-Model Town, Jullundur.
(Transferors)

(2) Bhoom Raj S/o Hari Ram R/o Jagat Pur Jatan Teh. Phagwara Distt. Kapurthala.
(Transferees)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 8195 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2239.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Ferozepur City,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ferozepur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifeen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Prem Rani, Adopted Daughter of Sh. Amrit Lal, R/o Ferozepur City.
(Transferor)

(2) Sh. Sewa Ram S/o Mool Chand and Smt. Sudershan Kumari D/o Sewa Ram R/o Ferozepur City.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 5492 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Ferozepur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2241.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Model Town, Jullundur, (and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transfrered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed-the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bishan Dass Retd. S.D.O. S/o Sh. Gauri Shankar, Chow Pandian, Batala.
(Transferor)

(2) Shri Sharan Kumar C/o R. L. Seth & Co., Bazar Sheikhan, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7603 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. 2242.—Whereas, I, R GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Model Town, Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur on May 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Bishan Dass Retd. S.D.O.
S/o. Sh. Gauri Shankar, Chowk Pandian, Batala.
(Transferor)

(2) Shri Gian Chand C/o R. L. Seth & Co.,
Bazar Sheikhan, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in htc property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration Sale deed No. 1326 of May, 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2244.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at Model Town, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jullundur on Feb. 1980

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tarsem Lal S/o Baru Ram Vill. Ud Esian Teh. Jullundur.

(Transferor)

(2) Shri Partap Singh S/o Gurmukh Singh Vill. Jalal Pur Distt. Hoshiarpur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 8143 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2243.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration the property as aforesaid exceeds the apparent consideration consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anup Sondhi S/o
Shri Shivraj Sondhi, Jullundur
Through G. A. Shri Bhim Sain Jogata.
(Transferor)

(2) Shri Karam Chand S/o Balna Ram
S Sh. Sarwan Kumar, Ram Parkash, Devinder
Ss o Karam Chand, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 bove.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No 7688 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OF INCOME-TAX,
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2240.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No As per Schedule situated at Garha Road Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ujagar Singh S/o Amar Singh
R/o 945, Garha Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shrimati Surjit Kaur W/o Harjit Singh
R/o 88-Green Park, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7820 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisitoin Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2245.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable able property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Vill. Channu (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lambi on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt Surjit Kaur W/o Shri Jaswant Singh, Vill. Channu.
(Transferor)

(2) Shri Bant Singh, Kulwant Singh Ss/o Sh. Jagraj Singh Vill. Channu.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 102 of Feb. 1980 of the Registreing Authority, Lambi.

Competent Authority
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur the 14th October 1980

Ref No A P No 2246—Whereas I R GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No As per Schedule situated at R B Badri Dass Colony, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Feb 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

(1) Shri Parshotam Lal Sabharwal
S/o Amar Nath Vill Rurka Kalan, Jullundur
(Transferor)

(2) Major S K Bhatia S/o
Karam Chand WX 173 Basti Nau, Jullundur
(Transferee)

(3) As per Sr No 2 above
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No 7924 of Feb 1980 of the Registering Authority Jullundur

R GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range Jullundur

Date 14 10-1980
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2247.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at R. B. Badri Dass Colony, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Parshotam Lal Sabharwal S/o Amar Nath, Vill. Rurka Kalan (Jullundur)
(Transferor)

(2) Major S. K. Bhatia S/o Karam Chand, WX-173, Basti Nau, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7883 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A. P. No. 2248.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Gian Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdawar Singh S/o Chanan Singh Vill. Jagpal Pur Teh. Phagwara.

(Transferor)

(2) Shrimati Surinder Kaur W/o Sh. Naranjan Singh Vill. Sansarpur Teh. Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation the property)

(4) An other person interested in the property.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are dfined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7779 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2249.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at By Pass, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tara Singh S/o Jawahar Singh Luxmi Pura, Jullundur.
(Transferor)

(2) 1. Sandhya Devi W/o Kishan Lal 47, Vijay Nagar, Jullundur.
2. Rattan Chand S/o Sunder Lal, Vijay Nagar, Jullundur.
3. Saroj Rani W/o Harsh Kumar. WA-226, Moh. Kohlian, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation the property)

(4) An other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7681 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2250.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at By Pass, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tara Singh S/o Shri Jawahar Singh, Lakshmi Pura, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Kartar Singh Kalsi S/o Shri Teja Singh, Amar Garden, Jullundur.
(Person in occupation of the property).
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 7656 of Feb., 1980 of the Registering Authority, Jullundur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2251.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Central Town, Phagwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Phagwara on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Tara Singh S/o Shri Mayia Singh, Central Town, Phagwara.

(Transferor)

(2) Shri Baldev Singh S/o Shri Lal Singh, R/o Indra Nagar, Phagwara.

(Transferor)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the aquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 2335 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Phagwara.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2252.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Raman Mandi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Talwandi Sabo Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Lal Hans Raj
SS/o Paras Ram S/o Shri Tota Ram
R/o Raman Mandi.
Name of the Transferees

S/Shri
1. Shri Arjan Dass Chranji Lal
2. Fatta Trading Company
3. Madan Lal Manohar Lal
4. Balak Ram Lachman Dass
5. Bhagwan Singh Santo Singh
6. Shri Chanan Ram Dev Raj.
7. Shri Kanshi Ram Kishor Chand.
8. Hardev Singh Krishan Kumar.
9. Shri Babu Ram Prem Chand.
10. Shri Dharm Paul Madan Lal.
11. Shri Sat Paul Pawan Kumar.
12. Shri Ganga Ram Radha Ram.
13. Shri Kahana Mal Jot Ram.
14. Shri Kewal Krishan Pawan Kumar.
15. Shri Brij Lal Kewal Krishan.
16. Shri Rikhi Ram Ved Parkash.
17. Shri Banarsi Dass Rattan Chand.
18. Shri Thakur Mal Hans Raj.
19. Shri Kishore Chand Om Parkash.
20 Shri Narain Dass Roshan Lal.
21. Shri Babu Ram Vijay Kumar
22. Shri Lal Chand Amar Nath.
23. Shri Tara Chand Jugal Kishore.
24. Krishan Gopal Pawan Kumar
25. Shri Ram Rattan Dass Basheshar Dass.
26. Shri Raj Kumar Nand Lal.
27 Shri Darshan Singh Didar Singh
28. Shri Arjan Singh Tirth Singh.
29. Shri Balwant Ajit Singh.
30. Shri Hans Raj Tersem Chand.
31. Shiv Dyal Ram Narain
32. Rikhi Ram Jagmohan Lal
33 Tirlok Chand Mangat Rai
34. Gurmukh Singh Harbans Singh
35 Harnam Singh Hardwari Lal
36 Balbir Singh Jasbir Singh
37. Gokal Chand Pirthi Chand
38. Raja Ram Som Parkash
39. Kundan Lal Sarwan Kumar
40 Khem Singh Hira Singh
41 Bishna Mal Kanshi Ram
42. Tehal Singh Kishan Singh
43. Hari Singh Ranjit Singh
44 Tilak Ram Ramji Dass
45 Hari Ram Brij Lal
46 Amar Nath Ved Parkash
47. Paras Ram Kishore Chand
48. Birbal Dass Raj Kumar
49. Mangoo Ram Ashok Kumar
50. Mukhtiar Singh Ram Saroop
51. Jagat Parkash Kalra & Co
52. Ganesha Mal Bhana Mal
53 Manjit Singh & Co
54 Telu Ram Sham Lal
55 Tulsi Ram Inder Mall
56 Bishana Mal Om Parkash
57 Dilla Ram Lachman Dass
58 Roshan Lal Jagdish Rai
59 Raja Ram Om Parkash
60 Molak Ram Janak Raj
61. Kour Chand Des Raj
62 Naruta Ram Ashok Kumar
63. Manohar Lal Amrit Lal
64 Sita Ram Tej Inder Paul
65 Khetu Ram Krishan Chand
66 Brij Lal Ved Parkash
67 Munshi Ram Naranjan Dass
68 Ramji Dass Davinder Kumar

(Transferees)

(3) As per Sr. No. 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 2941 of Feb 1980 of the Registering Authority, Talwandi Sabo

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2253.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Raman Mandi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Talwandi Sabho Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohan Lal S/o Paras Ram, R/o Raman Mandi.

(Transferor)

(2) Name of the Transferee.

S Shri

1. Shri Arjan Dass Chranji Lal
2. Fatta Trading Company
3. Madan Lal Manohar Lal
4. Balak Ram Lachman Dass
5. Bhagwan Singh Santosh Singh
6. Chanan Ram Dev Raj
7. Kanshi Ram Kishor Chand
8. Hardev Singh Krishan Kumar.
9. Babu Ram Prem Chand
10. Dharm Paul Madan Lal
11. Sat Paul Pawan Kumar
12. Ganga Ram Radha Ram
13. Kahana Mal Jot Ram
14. Kewal Krishan Pawan Kumar
15. Brij Lal Kewal Krishan
16. Rikhi Ram Ved Parkash
17. Banarsi Dass Rattan Chand
18. Thakur Mal Hans Raj
19. Kishore Chand Om Parkash.
20. Narain Dass Roshan Lal
21. Babu Ram Vijay Kumar
22. Lal Chand Amar Nath
22. Shri Lal Chand Amar Nath.
24. Shri Krishan Gopal Pawan Kumar.
25. Ram Rattan Dass Basheshar Dass
26. Shri Raj Kumar Nand Lal.
27. Shri Darshan Singh Didar Singh.
28. Arjan Singh Tirth Singh
29. Balwant Singh Ajit Singh
30. Shri Hans Raj Tersem Chand.
31. Shiv Dyal Ram Narain
32. Rikhi Ram Jagmohan Lal
33. Tirlok Chand Mangat Rai
34. Gurmukh Singh Harbans Singh
35. Harnam Singh Hardwari Lal
36. Balbir Singh Jasbir Singh
37. Gokal Chand Pirthi Chand
38. Raja Ram Som Parkash
39. Kundan Lal Sarwan Kumar
40. Khem Singh Hira Singh
41. Bishna Mal Kanshi Ram
42. Tehal Singh Kishan Singh
43. Hari Singh Ranjit Singh
44. Tilak Ram Ramji Dass
45. Hari Ram Brij Lal
46. Amar Nath Ved Parkash
47. Paras Ram Kishore Chand
48. Birbal Dass Raj Kumar
49. Mangoo Ram Ashok Kumar
50. Mukhtiar Singh Ram Saroop
51. Jagat Parkash Kalra & Co.
52. Ganesha Mal Bhana Mal
53. Manjit Singh & Co.
54. Telu Ram Sham Lal
55. Tulsi Ram Inder Mall
56. Bishana Mal Om Parkash
57. Dilla Ram Lachman Dass
58. Roshan Lal Jagdish Rai
59. Raja Ram Om Parkash
60. Molak Ram Janak Raj
61. Kour Chand Des Raj
62. Naruta Ram Ashok Kumar
63. Manohar Lal Amrit Lal
64. Sita Ram Tej Inder Paul
65. Khetu Ram Krishan Chand
66. Brij Lal Ved Parkash
67. Munshi Ram Naranjan Dass
68. Ramji Dass Davinder Kumar.

(Transferee)

(3) 1. Shri Mangat Rai
2. Shri Ashok Kumar
3. Shri Pawan Kumar
4. Shri Kamal Kant S/o Tarlok Chand. R/o Raman.

(Person in occupation of the property).

(4) 1. Shri Mangat Rai
2. Shri Ashok Kumar

3. Shri Pawan Kumar
4. 4. Shri Kamal Kant Ss/o Tarlok Chand, R/o Raman.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 2936 of Feb., 1980 of the Registering Authority, Talwandi Sabo.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 14th October 1980

Ref. No. A.P. No. 2254.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Raman Mandi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regitsering Officer at Talwandi Sabo Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sadhu Ram S/o Shri Paras Ram, R/o Raman Mandi.

(Transferor)

(2) Name of the Transferee.

S/Shri

1. Arjan Dass Charanji Lal
2. Tara Trading Company
3. Madan Lal Manohar Lal
4. Balak Ram Lachhman Dass
5. Bhagwan Singh Santokh Singh
6. Shri Chanan Ram Dev Raj
7. Shri Kanshi Ram Kishor Chand.
8. Hardev Singh Krishan Kumar
9. Babu Ram Prem Chand
10. Shri Dharm Paul Madan Lal.
11. Shri Sat Paul Pawan Kumar.
12. Shri Ganga Ram Radha Ram.
13. Shri Kahana Mal Jot Ram.
14. Shri Kewal Krishan Pawan Kumar.
15. Shri Brij Lal Kewal Krishan.
16. Shri Rikhi Ram Ved Parkash.
17. Shri Banarsi Dass Rattan Chand.
18. Shri Thakur Mal Hans Raj.
19. Shri Kishore Chand Om Parkash.
20. Shri Narain Dass Roshan Lal.
21. Shri Babu Ram Vijay Kumar
22. Shri Lal Chand Amar Nath.
23. Tara Chand Jugal Kishore
24. Shri Krishan Gopal Pawan Kumar.
25. Shri Ram Rattan Dass Basheshar Dass.
26. Shri Raj Kumar Nand Lal.
27. Darshan Singh Didar Singh
28. Shri Arjan Singh Tirth Singh.
29. Shri Balwant Ajit Singh.
30. Shri Hans Raj Tarsem Chand.
31. Shiv Dyal Ram Narain
32. Rikhi Ram Jagmohan Lal
33. Tirlok Chand Mangat Rai
34. Gurmukh Singh Harbans Singh
35. Harnam Singh Hardwari Lal
36. Balbir Singh Jasbir Singh
37. Gokal Chand Pirthi Chand
38. Raja Ram Som Parkash
39. Kundan Lal Sarwan Kumar
40. Khem Singh Hira Singh
41. Bishna Mal Kanshi Ram
42. Tehal Singh Kishan Singh
43. Hari Singh Ranjit Singh
44. Tilak Ram Ramji Dass
45. Hari Ram Brij Lal
46. Amar Nath Ved Parkash
47. Paras Ram Kishore Chand
48. Birbal Dass Raj Kumar
49. Mangoo Ram Ashok Kumar
50. Mukhtiar Singh Ram Saroop
51. Jagat Parkash Kalra & Co.
52. Ganesha Mal Bhana Mal
53. Manjit Singh & Co.
54. Telu Ram Sham Lal
55. Tulsi Ram Inder Mall
56. Bishana Mal Om Parkash
57. Dilla Ram Lachman Dass
58. Roshan Lal Jagdish Rai
59. Raja Ram Om Parkash
60. Molak Ram Janak Raj
61. Kour Chand Des Raj
62. Narutu Ram Ashok Kumar
63. Manohar Lal Amrit Lal
64. Sita Ram Tej Inder Paul
65. Kheta Ram Krishan Chand
66. Brij Lal Ved Parkash
67. Munshi Ram Naranjan Dass
68. Ramji Dass Davinder Kumar.

(Transferee)

(3) 1. Shri Mangat Rai
2. Shri Ashok Kumar
3. Shri Pawan Kumar
4. Shri Kamal Kant Ss/o Tarlok Chand, R/o Raman.

(Person in occupation the property).

(4) 1. Shri Mangat Rai
2. Shri Ashok Kumar
3. Shri Pawan Kumar
4. Shri Kamal Kant Ss/o Tarlok Chand, R/o Raman.

(Person in occupation of the property).
ested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed 2940 of Feb., 1980 of the Registering Authority, Talwandi Sabo.

R. GIRDHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 14-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th October 1980

Ref No. A.P. No. 2255.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Kotwali Bazar, Hoshiarpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hoshiarpur in Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Santosh Rani W/o Shri Hari Narain,
Shish Mahal Bazar, Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Shrimati Bimla Devi W/o Shri Basant Lal Aggarwal
S/o Shri Sham Lal Aggarwal,
Mohalla Jagatpura, Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person wohm the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 4389 of Feb., 1980 of the Registering Authority, Hoshiarpur.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 17-10-1980
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th October 1980

Ref No A P No 2256—Whereas, I R GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/- and bearing No As per Schedule situated at Inside Saidan Gate Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur in March 1980 consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely —

(1) Shri Swarna Rani D o Shri Munshi Ram W/o Shri Mangal Dass House No 46-Lal ib Bahenan, Jullundur City (Transferor)

(2) Shri Ram Chand S o Shri Sardari Lal R/o EO-123, Pucca Bagh Jullundur (Transferee)

(3) As per Sl No 2 above (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property (Person wohm the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No 8391 of March, 1980 of the Registering Authority Jullundur

R GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Jullundur

Date 17-10 1980
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th October 1980

Ref No A P No 2257 —Whereas, I, R GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No As per Schedule
situated at Nisatam Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in Feb. 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Shri Som Nath Chopra, Nisatam Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Dharamvir, Shri Inderjit SS/o Shri Tarlok Nath, W P 221, Bazar Sheikhan, Jullundur
(Transferee)

(3) As per Sr No 2 above
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writng to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No 8026 of Feb , 1980 of the Registering Authority, Jullundur

R GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date . 17-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th October 1980

Ref. No. A.P. No 2258.—Whereas I. R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule
situated at Bazar Moti Bhuru, Kot Kapura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Kot Kapura in Feb, 1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intimate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Wakel Chand S/o Babu Ram, Railway Road Kot Kapura.

(Transferor)

(2) Shri Pawan Kumar, Surinder Kumar SS/o Mulkh Raj, and Parkash Wanti W/o Mulkh Raj, Bazar Moti Bhuru, Kot Kapura

(Transferee)

(3) As per Sr. No 2 above (person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person intersted in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—*The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.*

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No 3607 of Feb 1980 of the Registering Authority, Kot Kapura.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 17-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 17th October 1980

Ref. No. A P. 2259.—Whereas, I, R. GIRDHAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Raman Mandi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Talwandi Sabo on Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohan Lal Shri Sadhu Ram SS/o Shri Paras Ram, Raman Mandi.

(Transferor)

1. Arjan Dass Charanji Lal
2. Fatta Trading Company
3. Madan Lal Manohar Lal
4. Balak Ram Lashman Dass
5. Bhagwan Singh Santokh Singh
6. Shri Chanan Ram Dev Raj.
7. Shri Kanshi Ram Kishor Chand.
8. Hardev Singh Krishan Kumar.
9. Shri Babu Ram Prem Chand.
10. Shri Dharm Paul Madan Lal.
11. Sat Paul Pawan Kumar
12. Shri Ganga Ram Radha Ram.
13. Shri Kahana Mal Jot Ram.
14. Shri Kewal Krishan Pawan Kumar.
15. Shri Brij Lal Kewal Krishan.
16. Shri Rikhi Ram Ved Parkash.
17. Shri Banarsi Dass Rattan Chand.
18. Shri Thakur Mal Hans Raj.
19. Kishore Chand Om Parkash
20. Shri Narain Dass Roshan Lal.
21. Shri Babu Ram Vijay Kumar
22. Shri Lal Chand Amar Nath.
23. Shri Tara Chand Jugal Kishore.
24. Shri Krishan Gopal Pawan Kumar.
25. Shri Ram Rattan Dass Basheshar Dass.
26. Raj Kumar Nand Lal
27. Darshan Singh Didar Singh
28. Shri Arjan Singh Tirth Singh.
29. Shri Balwant Ajit Singh.
30. Hans Raj Tersem Chand
31. Shiv Dyal Ram Narain
32. Rikhi Ram Jagmohan Lal
33. Tirlok Chand Mangat Rai
34. Gurmukh Singh Harbans Singh
35. Harnam Singh Hardwari Lal
36. Balbir Singh Jasbir Singh
37. Gokal Chand Pirthi Chand
38. Raja Ram Som Parkash
39. Kundan Lal Sarwan Kumar
40. Khem Singh Hira Singh
41. Bishna Mal Kanshi Ram
42. Tehal Singh Kishan Singh
43. Hari Singh Ranjit Singh
44. Tilak Raj Ramji Dass
45. Hari Ram Biraj Lal
46. Amar Nath Ved Parkash
47. Paras Ram Kishore Chand
48. Birbal Dass Raj Kumar
49. Mangoo Ram Ashok Kumar
50. Mukhtiar Singh Ram Saroop
51. Jagat Parkash Kalra & Co.
52. Ganesha Mal Bhana Mal
53. Manjit Singh & Co.
54. Telu Ram Sham Lal
55. Tulsi Ram Inder Mall
56. Bishana Mal Om Parkash
57. Dilla Ram Lachman Dass
58. Roshan Lal Jagdish Rai
59. Taje Ram Om Parkash
60. Molak Ram Janak Raj
61. Kour Chand Des Raj
62. Naruta Ram Ashok Kumar
63. Manohar Lal Amrit Lal
64. Sita Ram Tej Inder Paul
65. Khetu Ram Krishan Chand
66. Brij Lal Ved Parkash
67. Munshi Ram Naranjan Dass
68. Ramji Dass Davinder Kumar.

(Transferee)

(1) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 2935 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Talwandi Sabo.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 17-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 23rd October 1980

Ref. No. A.P. No. 2260.—Whereas, I, R. GIRDHAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Bhatinda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda in Feb. 1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kapoor Singh S/o Shri Vir Singh, Behind Alankar Cinema, Bhatinda.

(Transferor)

(2) 1. Shri Manjit Kaur W/o Shri Pala Singh S/o Shri Bhagat Singh,
2. Ravinder Singh S/o Pala Singh S/o Bhagat Singh,
3. Shri Shivinder Singh S/o Pala Singh S/o Bhagat Singh
H. No. G. 25, State Govt. Qrs. Civil Station Bhatinda, Pala Singh S/o Shri Bhagat Singh Naib Tehsildar, Budhlada, Teh. Mensa Distt. Bhatinda.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.

(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property).

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property and persons as mentioned in the Registration sale deed No. 4669 of Feb. 1980 of the Registering Authority, Bhatinda.

R. GIRDHAR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 23-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 22nd October 1980

Ref. IAC/ACQ/BPL/80-81/1752.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. property known as Dewas Flour Oil & De-oiled cake factory and Nand Vanaspati. situated at Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Dewas on 20-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) M/s. Nandlal Bhandari & Sons Pvt. Ltd., Company, 50, Bhajaj Khana, Indore.
(Transferor)

(2) M/s. S. S. Ltd., 618, Marshal House, 25, Strand Road, Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property known as Dewas Flour Oil & De-oiled Cake-Factory and Nand Vanaspati, constructed at Khasra No. 162/1, 163/2, 277/2, 278/2, 281, 289, 290, 297/1, 298/1 and 299 admeasuring 12.99 acres at Moaja Vill : Shankergarh, Tah : Dewas, together with all buildings, sheds, superstructures, machinery, plants, furniture and fittings etc.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 22-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 9th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 13 situated at Khajafana, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Indore on 26-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vaibhav Sahkari Grah Nirman Sansha, 2 Udaipura, Indore. (Transferor)

(2) Mrs. Kusum W/o Shri Ramlal, 14 Chhota Sarafa, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 13, situated at Gulmohar, Kh. No. 1350/1, Khajrana, Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 9-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1753.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Barwah, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 25-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shanker Singh S/o Chunilal Rajput, R/o Khanthi Barool, Teh: Barwah.

(Transferor)

(2) (1) Shri Babulal Alias Dhannalal S/o Poonamchand Soni, Barwah.
(2) Shri Chottelal S/o Keshaji Jat, Barwah.
(3) Shri Gulabsingh S/o Sharkersingh Rajput, Barwah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Khasra No. 117 S. No. 21/2, Rakba 3.93-1.598 Hecter, situated at Barwah.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 13-10-80
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, 6th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1743.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the (said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 21, situated at Gulmohar, Khajarana, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 25-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Vaibhav Sahkari Grah Nirman Sanstha, 2, Udaipura, Indore.

(Transferor)

(2) Mrs. Sobhana Devi W/o Shri Sunil Kumar, 5/12, Shastri Market, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 21, situated at Gulmohar, Kh. No. 1308/2, Khajrana, Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 6th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1748.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of house No. 1/5 situated at Manormaganj, Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 2-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brindaban Ohri, S/o
Shri Raghunath Das Ohri, R/o
1-A/5, Manoramaganj, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Dinesh Chandra Jhalani, S/o
Late Shri Suresh Chandra Jhalani, C/o
Dr. Brindaban Ohri, R/o
1-A/5, Manoramaganj, Indore.
(Transferee)

(3) M/s. Indian Pharmaceuticals
[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House No. 1/5, situated at Manoramaganj, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 6-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BBOPAL

Bhopal, the 6th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1747.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of ouse No. 115, situated at Manoramaganj, Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 2-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Brindabhan Ohri S/o Raghunath Das Ohri, R/o 1. A/5, Manoramaganj, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Sanjay Kumar Totla S/o Shri Murlidhar Totla, 1/5, Manormaganj, Indore.
(Transferee)

(3) M/s Indian Pharmaceuticals House No. 1/5, Manormaganj, Indore.
[Person(s) in occupation of the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House No. 1/5, situated at Manormaganj, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 6-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTATNT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 6th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80 81/1749.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 3/1, situated at Manoramaganj, Indore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 25-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kamal Kumari W/o Shri Rajendra Singhji, 3/1, Manoramaganj, Indore.
(Transferor)

(2) Shri N. K. Khandelwal, Trustee M/s Mangilal Family Trust, House No. 502, M. G. Road, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3/1, situated at Manoramaganj, Indore.

VIJAY MATHUR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 6-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 6th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1727.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Arera colony, Bhopal. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal on 27-2-80 for an apparent consideration wihch is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ganesh Das S/o Shri Ramdhan, 103, Malviya Nagar, Bhopal.
(Transferor)

(2) Shri Om Prakash Tiwari S/o Rameshwar Dayal Tiwari, 192, E-3, Arera Colony, Bhopal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House at Plot No. 192, E-3, Sector, Arera Colony, Bhopal.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 6-10-80
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 9th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2nd & 3rd floor of the house at Plot No. 192 situated at Ladkana Nagar, Indore.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Indore on 13-2-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jhangaldas S/o Bodaramji
R/o 55, Ladkana Nagar, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Kanhiyalal S/o Bodaramji,
55, Ladkana Nagar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter

THE SCHEDULE

1st & 2nd floors of the house at plot No. 192, situated at Ladkana Nagar, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 9-10-80
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1754.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land situated at Barwah, Indore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Indore on 25-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shanker Singh S/o Chunilal Rajput,
R/o Khanthi Barool, Teh: Barwah.

(Transferor)

(2) (1) Shri Babulal alias Dhannalal S/o Poonamchand Soni, Barwah.
(2) Shri Chootelal S/o Koshaji Jat, Barwah.
(3) Shri Gulabsingh S/o Shankersingh Rajput, Barwah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 34 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Khasra No. 1175 S. No. 21/5. Rabka 2.70-Hector 1.092 situated at Tah: Barwah.

VIJAY MATHUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1755.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
agricultural land, Kh. No. 7. 7. situated at Sarangpur,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Sarangpur,
on 26-2-80
for an apparent consideration wihch is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Vinaik Rao S/o Balwant Rao Kutumble, Sarangpur.
(Transferor)

(2) Dinesh Minor son of late Jagannath L/R Shri Chunnilal Mali-Kumarhadi Sarangpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 7- 2.456 Hector, situated at Sarangpur on Agra-Bombay Road.

VIJAY MATHUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM NO. ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1756.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
agricultural land-Kh. No. 8. situated at Sarangpur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Sarangpur on 26-2-80
fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vinaik Rao S/o Balwant Rao, Kutumble Sarangpur.
(Transferor)

(2) Shri Umrao Alias Umrao Singh S/o Chunilal Mali, Kumhar Hadi Sarangpur-Distt. Shahzapur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agriculural land Kh. No. 8, 2.472 Hectre situated at Sarangpur on Agra-Bombay Road.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1757.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
agricultural land-Kh. No. 11. situated at Sarangpur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
on 26-2-80
Sarangpur
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vinaik Rao S/o Balwant Aao, Kutimble, Sarangpur.

(Transferor)

(2) Shivnarayan S/o Chunnilal Mali Kumhar Hadi Sarangpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given is that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land Kh. No. 11, 2.468 Hector-situated at Sarangpur on Agra-Bombay Road.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-**TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1758.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. agricultural land-Kh. No. 685 & 686/1 situated at Agra-Bombay Road, Dewas. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on 27-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti Bai W/o Shri Shanker Rao Latnekar, 29, Karamchari Colony, Dewas.
(Transferor)

(2) Shri Kanhiyalal Bhargava, Sole proprietor M/s Shreya Properties, 5/2, Old Palasia, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land-Kh. No. 685, 686/1, situated at Agra-Bombay Road, Dewas.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1759.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
agricultural land situated at Vill. Hukka Khedi, Indore.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Indore on 29-2-80
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Kanhiyalal (2) Shri Bagirath (3) Shri Jairam & (4) Shri Jagannath S/o Shri Neggaji Cast Khati R/o Village: Bijalpur, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Navanand Grah Nirman Sahkari Sanshtha, 9, Shiv vilas Palace Indore C/o Shri Shankarlal Ramgopal Billore President of the Society.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land of 8 acres situated at Village: Hukka-Khedi, Indore.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1760.—Whereas, I, VIJAY MATHUR,

being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. land No. 25-P. situated at Village: Kitiani, Mandsaur. (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mandsaur on 13-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Alaf Khan S/o Madarikhan Caste Mohamndan-R/o Nainpura, Mandsaur.

(Transferor)

(2) Vijay Housing Cooperative Society Ltd., through: President Shri Keshrimalji Mehta and Vice President Shri Balaraoji Halev, R/o Mandsaur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land No. 25-P-Rakaba 2 Hector 639 Aari Rakaba-490-Aari in Village Kitiani, Mandsaur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-**TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1761.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land No. 25 situated at Village : Kitiani, Distt : Mandsaur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mandsaur on 13-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : —

(1) Syed Ahmad Khan S/o Allauddin Mohamandan, Mandsaur.
(2) Abdul Hussain S/o Fazal Hussainji Bohra R/o Mandsaur.

(Transferor)

(2) Vijai Housing Cooperative Society Ltd., Through: President Shri Keshrimal Mehta and Vice-President Shri Balaraoji Halev R/o Mandsaur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land No. 25 M. Rakaba 1, Hector 620 in Aari 490-at Village: Kitiani, Distt: Mandsaur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1762.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 232, Ward No. 2, situated at Near Satna Bridge, Satna, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Satna on 26-3-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohanlal s/o Gayadin, Mukhtar Ganj, Near Satna Bridge, Satna.

(Transferor)

(2) Shri Tribhuvan Singh s/o Rampatsingh, Village: Vijayipur-Distt: Jounpur.
(2) Jagatnarain Tripathi, Jagat Coaching Building, Mukhtar Ganj, Near Satna Bridge, Satna.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 232, Ward No. 2, situated near Satna-Bridge Satna.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1763.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 725, Ward No 21, situated at Rajendra Prasad Colony, Gwalior. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior on 8-2-80 for an apparen consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of the income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Yashodhara Devi w/o Shri Ramgopal r/o Bakshi Ki Goth, Janak Ganj, Lashkar, Gwalior. (Transferor)

(2) S/Shri Ramgopal (2) Ramnarayan (3) Bansi lal, s/o Net Ram Sharma r/o Village : Dhapra, Pargana Gohad Distt: Bhind. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 725, Ward No. 21, situated at Rajendra Prasad Colony, Gwalior.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M. P.

Bhopal, the 13th October 1980

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/80-81/1764.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 3/747 situated at Village: Pandi Tarai, Shanti Nagar Ward, Raipur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on 2-2-80 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) R. N. Pathak, s/o Shri S. B. Pathak, House No. 3/747, Shanti Nagar, Raipur.
(Transferor)

(2) S. S. Sahukar s/o Shri. Tulsiram Sahukar, Principal, G.H.S. School,, Balkheda, Distt: Jabalpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 3/747 on plot of 522.8 Sq. Mtr. part—Kh. No. 162 of Pandi Tarai Village—Shanti Nagar, Raipur.

VIJAY MATHUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 13-10-1980
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th October 1980

Ref. No. Nil.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land situated at Beawar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering at Beawar on 14-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Bhanwarlal, Mohanlal, Sitaram, sons of Shri Bhikaji and Jamna Devi, w/o Shri Bhikaji, Motipura Badia, Ajmer Road, Beawar.

(Transferor)

(2) S/Shri Narendrakumar, Dineshkumar, Ramniwas & Sobhag Singh R/s of Malion Ka Mohalla, Surajpole, Beawar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any oher person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 4 bigha 8 biswas situated at Naya Nagar, Beawar and more fully described in the sale deed registered by S.R., Beawar vide No. 342 dated 14-2-80.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-10-1980
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th October 1980

Ref. No. Nil.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agrl. land situated at Beawar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Beawar on 2-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Govind Ram Mangaldas Maharaj, R/o Beawar.
(Transferor)

(2) Shri Bhanwarlal, S/o Ghisulal Agarwal, Naya Nagar, Beawar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 bighas 2 biswas situated at village Narsingh pura, Beawar and morefully described in the sale deed registered by S.R., Beawar vide No. 255 dated 2-2-1980.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th October 1980

Ref. No. Nil.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Residential Plot situated at Alwar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Alwar on 28-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nand Singh, S/o Bal Singh, Ladia Mohalla, Alwar.

(Transferor)

(2) Svs. Brahmanand, Mal Singh, Motilal, Jugal Kishore, Indra Colony, Alwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2266 sq. yds. of urban land situated near Jawali Bhawan, Railway crossing, Alwar and more fully described in the sale deed registered by the S.R., Alwar vide No. 85/4 dated 28-2-1980.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 5-10-1980

Seal :

FORM ITNS———-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th October 1980

Ref. No. Nil.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Factory situated at Neemkathana
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Neemkathana on 22-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Modi Mineral Grinding Mills (P) Ltd., Neemkathana, District Sikar.

(Transferor)

(2) M/s Dass & Co., Neemkathana, District Sikar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette. Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building known as Modi Mineral Grinding Mills (P) Ltd. situated at Neemkathana, District Sikar and more fully described in the sale deed registered by the S.R. Neemka-thana, vide No. 323 dated 22-2-1980.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 5-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th October 1980

Ref. No. Nil.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Residential Plot situated at Alwar and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at Alwar on 27-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1 of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nand Singh, S/o Shri Bal Singh, Ladia Mohalla, Alwar.
(Transferor)

(2) Svs. Brahmanand, Mal Singh, Motilal, Jugal Kishore, Indra Colony, Alwar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6444 sq. yds. of urban land situated near Jawali Bhawan, Railway Crossing, Alwar and more fully described in the sale deed registered by the S.R., Alwar vide No. 80/4 dated 27-2-1980.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 21st October 1980

Ref. No. G.I.R. No. R-151/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 399, Civil Lines, Shanti Nagar situated at Moradabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Moradabad on 21-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely: —

(1) 1. Shri Arvind Kumar Gupta, 2. Vipin Kumar Gupta Sons of Shri Pramod Kumar Gupta.
(Transferor)

(2) Shri Ram Chandra Sehgal S/o late Shyam Behari Sehgal.
(Transferee)

(3) Above purchaser.
(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A vacant plot of land measuring 498.14 sq. metres out of plot No. 399, situate at Civil Lines, Shanti Nagar, Moradabad, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 130/80 which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Moradabad, on 21-2-1980.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 21-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 23rd October 1980

Ref. No. G.I.R. No. K-94/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. D-58/9-A situated at Mohalla-Kabra Ashiq Masooq Sigra, Mauza-Ramapura, Varanasi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
at Varanasi on 20-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, names :—

(1) Smt. Kiran Aga.

(Transferor)

(2) 1. Shri Krishna Pratap Singh, 2 Shri Rana Pratap Singh, 3. Shri Rana Pratap Singh, 4. Shri Surendra Pratap Singh, 5. Gautham Family Trust through Shri Sanjay Bahadur Singh and 6. Shri Niraj Kumar Singh.

(Transferees)

(3) Shri Dilip Mukherjee, 2. Prof. Ghildayal and 3. Tej Bahadur.

(Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house including land No. D-58/9-A, measuring 3107.25 sq. mts. situate at Mohalla-Kabra Ashiq Masooq Sigra, Mauza-Ramapura, Pargana-Dehat Amanat, Varanasi, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37-G No. 1325/80, which have duly been registered at the office of the Sub-Registrar, Varanasi, on 20-2-80.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Lucknow

Date :23-10-1980.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, "ANJIPARAMBIL BLDGS.", ANAND BAZAAR, COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 9th September 1980

Ref. No. L.C. 421/80-81.—Whereas, I, V. R. NAIR, being the competent authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Iringapuram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Kottappady on 12-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri
(1) 1. P. Chinnu Amma,
2. P. Kalyani Amma,
3. P. Gopalkrishnan,
Pichirikkatu House, Guruvayoor P.O.,
Trichur Dist.

(Transferors)

(2) Smt. Malathi Amma,
Chakkalakoombil, Edakkara,
Andathode P.O., Chavakkad.

(Transferors)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

135/8 cents of land with a building asper schedule attached to Doc. No. 113/80 dated 12-2-1980.

V. R. NAIR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-tax
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 9-9-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, "ANJIPARAMBIL BLDGS.", ANAND BAZAAR, COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 4th October 1980

Ref. No. L.C. 424/80-81.—Whereas, I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No. Sy. No. as per schedule situated at Aranattukara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichur on 7-2-1980 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. P. Davis,
Kunnampilly House,
Aranattukara, Trichur.

(Transferor)

(2) Shri M. V. Francis,
Multath House, Nehru Nagar,
Kuriachira, Trichur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6.39 acres of land with building in Sy. No. 47/4 of Aranattukara Village.

V. MOHANLAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 4-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
"ANJIPARAMBIL BLDGS.", ANAND BAZAAR,
COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 4th October 1980

Ref. No. L.C. 425/80-81.—Whereas, I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Sy. No. as per schedule situated at Aranattukara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Trichur on 25-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. P. Davis,
Arackal Nellissery House,
Aranattukara, Trichur.

(Transferor)

(2) Smt. T. K. Sicily,
Tharakan House,
Aranattukara, Opp. Convent,
Trichur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6.8 cents of land with building in Sy. No. 143/1, 2 and 1027 of Aranattukara Village.

V. MOHANLAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 4-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
"ANJIPARAMBIL BLDGS.", ANAND BAZAAR,
COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 4th October 1980

Ref. No. L.C 426/80-81.—Whereas, I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Sy. No. as per schedule situated at Ernakulam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ernakulam on 12-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. P. Menon,
Muttathil House, Karackamuri Cross Road,
Cochin-11.

(Transferor)

(2) Smt. L. Radhalakshmi,
Krishnakripa,
Karackamuri Cross Road, Cochin-11.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

4.945 cents of land with building in Sy. No. 523 & 2237 of Karithala Desom, Ernakulam Village.

V. MOHANLAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 4-10-1980
Seal :

FORM ITNS———

OTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
"ANJIPARAMBIL BLDGS.", ANAND BAZAAR,
COCHIN-682 016

Cochin-682016, the 4th October 1980

Ref. No. L.C. 427/80-81.—Whereas, I, V. MOHANLAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Trichur
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chelakkara on 15-2-1980
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons. namely :—

31—316GI/80

(1) Shri Louis,
S/o Moyalan Joseph,
Ollur.

(Transferor)

(2) Shri K. C. Eapen,
S/o E. C. Chandy,
Plot No. 142, Nehru Nagar, Trichur-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

19.1 cents of land with building in Sy. No. 406/1 of Ollur Village.

V. MOHANLAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 4-10-1980
Seal :